पंचम माला, खंड 43, अंक 29
Fifth Series, Vol. XLIII, No. 29

गुरूवार, 29 अगस्त, 1974/7 भाद्र, 1896 (शक)
Thursday, Aug. 29, 1974/Bhadra 7, 1896 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION

OF

LOK SABHA DEBATES

[ग्यारहवां सत्र
Eleventh Session]

5th Lok Sabha

[खंड 43 में अंक 21 से 30 तक हैं
Vol. XLIII contains Nos. 21 to 30]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price :Two Rupees

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।]

[This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

PARLIAMENT LIBRARY
No. B. 282(9)
DATE 1.4.75

विषय सूची/CONTENTS

अंक 29—गुरुवार, 20 अगस्त, 1974/7 भाद्र 1896 (शक)

No. 29—*Thursday, August* 20, 1974/*Bhadra* 7, 1896 (*Saka*)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

*ता० प्र० संख्या *S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
549	इस्पात के इस्तेमाल में मितव्ययता	Economy in use of Steel.	1–4
550	अहमदाबाद में क्षेत्रीय पारपत्र कार्यालय का पुनर्गठन	Reorganisation of Regional Passport Office at Ahmedabad	4–7
551	औद्योगिक श्रमिकों को मजूरी और जीवन निर्वाह व्यय में वृद्धि की प्रतिशतता	Percentage Increase in Industrial Workers Wages and Cost of Living . . .	7–12
553	हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड, उदयपुर, में उत्पादन	Production in Hindustan Zinc Ltd., Udaipur . . .	12–13
554	हिन्दुस्तान मशीन टूल्स द्वारा फिलामेंट लैम्प का बनाया जाना	Production of Filament Lamp by HMT . . .	13–14

प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.			
552	राज्यों की रोजगार क्षमता में वृद्धि	Increase in Employment Capacities in States . . .	15
555	बोकारो इस्पात संयंत्र का विस्तार	Expansion of Bokaro Steel Plant	15–16
556	खनिज विकास	Mineral Development . .	16
557	कर्नाटक तट पर मिश्र गुटिका (ब्लेंडिड पैलेटाइजेशन) संयंत्र	Blended Pelletisation Plants on Karnataka Coast .	16
558	तैयार इस्पात की आवश्यकता	Requirement of Finished Steel	16–17
559	मेडिकल कालेजों द्वारा छात्रों से प्रति व्यक्ति फीस या दानराशि का लिया जाना	Charging of Capitation Fees/ Donations from Students by Medical Colleges . .	18
560	हिन्द महासागर में चीन की नौसैनिक गतिविधियां	Chinese Navel activities in Indian Ocean . . .	18–19

*किसी नाम पर अंकित यह + इस बातका द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य वास्तव में पूछा था।

*The Sign + marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
561	दिल्ली में कनिष्ठ डाक्टर एसो सिएशन महासंघ द्वारा प्रस्तुत मांग पत्र	Charter of Demnds submitted by the Federation of Junior Doctors Association of Delhi	19
562	ग्रांड स्मिथी वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड	Grand Smithy Workers Private Ltd.	19
563	भूभागी सागरों के संबंध में नौ राष्ट्रों की योजना	Nine Nations Plan on Territorial Seas . . .	20
564	दुर्गापुर मिश्र इस्पात संयंत्रों में स्टैनलैस इस्पात चादरों का उत्पादन	Statinless Steel Sheets Produced in Durgapur Alloy Steel Plants . . .	20
565	दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के श्रमिकों कि ओर से सुझाव	Suggestions from Works of Durgapur Steel Plants .	20–21
566	आपात रोगियों को देखने जाने के लिए डाक्टरों को परिवहन सुविधा	Transport facility to Doctors for attending to Emergency Cases	21
567	इंडियन आयरन एंड स्टील कम्पनीमें कथित अनियमितताएं और त्रुटियां	Alleged irregularities and lapses in IISCO. . .	21
568	भारी इंजीनियरिंग निगम, रांची	Heavy Engineering Corporation, Ranchi . . .	21

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.			
3880	भारत और इंडोनेशिया के बीच सांस्कृतिक आदान-प्रदान के बारे में विचार-विमर्श	Discussion between India and Indonesia for Cultural Exchange	22
3881	बिक्री योग्य इस्पात के उत्पादन में कमी	Decline in production of Saleable Steel	22
3882	कोयला खनन के लिये जापानी फर्म को अनुमति देना	Japanese Firm to Mine Coal	23
3883	पाकिस्तान द्वारा हिन्द महासागर में बड़ी शक्तियों की उपस्थिति की मांग	Big Power Pressure in Indian Ocean Sought by Pakistan .	23
3884	रक्षा सेवाओं के लिये इमारतों, सड़कों तथा हवाई अड्डों का निर्माण करने के लिये ठेके	Contracts for construction of Buildings, Roads, Aerodromes for Defence Services .	23
3885	पोलियो वैक्सीन का उत्पादन	Production of Polio Vaccine	24
3886	पांचवीं योजनावधि में इस्पात उत्पादन लक्ष्य	Steel Production Target during Fifth Plan . . .	24
3887	इस्पात संयंत्रो के लिये पुर्जों का आयात	Import of Spare Parts for Steel Plants	24–25

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
3888	ईरान के साथ संबंध सुधारने के लिये अनुवर्ती कार्यवाही	Follow-up Action to Improve Relations with Iran . .	25
3889	ट्रैक्टर के मूल्यों में वृद्धि	Increase in Tractor Prices .	25
3890	अमरीका के विदेश मंत्री द्वारा भारत के दौरें का स्थगित किया जाना	Postponement of visit to India by U.S. Secretay of State .	26
3891	कोयला खान प्राधिकरण के कर्मचारी	Employees of Coal Mines Authority	26
3892	हिन्दुस्तान स्टील कन्स्ट्रक्शन वर्क्स लिमिटेड के श्रमिकों द्वारा हड़ताल	Hindustan Steel Construction Works Limited Workers on Strike	26–27
3893	आंध्र प्रदेश के विस्फोटक संयत्र	Explosives Plant in Andhra Pradesh	27
3894	राज्यों में नसबन्दी के मामले	Sterilisation cases in States .	27–28
3895	अखिल भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा डिग्रियों को मान्यता प्रदान करना	Approval of Cegrees by All India Medical Council .	28
3896	जयपुर उद्योग लिमिटेड सीमेंट फक्टरी द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि का जमा न करवाया जाना	Non-Deposit of E.P.F. by Jaipur Udyog Limited Cement Factory	29
3897	राजधानी के ब्लड बैंक	Blood Banks in the Capital .	29
3898	पांचवीं पंचवर्षीय योजना में हौम्योपथी के कालेज तथा अस्पताल खोलना	Setting up of Homoeopahy Colleges and Hospitals during Fifth Plan . . .	30
3899	राष्ट्रीयकरण से पूर्व कोयला खानों के कर्मचारियों की सेवा	Service of Employees of Pre-Nationalised Coal Mines .	30
3900	अमरीका स्थित भारतीय दूतावास में काम करने वाले भारतीय तथा विदेशी नागरिक	Indian and Foreign Nationals Working in Indian Embassy in USA	30
3901	सोवियत रूस स्थित भारतीय दूतावास में काम करने वाले भारतीय तथा विदेशी नागरिक	Indian and Foreign Nationals Working in Indian Embassy in USSR	30–31
3902	फ्रांस स्थित भारतीय दूतावास में काम करने वाले भारतीय तथा विदेशी नागरिक	Indian and Foreign Nationals Working in Indian Embassy in France . . .	31
3903	ब्रिटेन स्थित भारतीय उच्चायोग में काम करने वाले भारतीय तथा विदेशी नागरिक	Indian and Foreign Nationals Working in Indian High Commission in U.K. . . .	31

ता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
3904	खेतड़ी के आस-पास के क्षेत्रों में दूषण	Pollution of Areas Around Khetri	31–32
3905	दिल्ली में बेरोजगारी में वृद्धि	Increase in Unemployment in Delhi . . .	33
3906	कोल माइन्स अथारिटी लिमिटेड में सेवा निवृत्ति आयु	Superannuation Age in Coal Mines Authority Ltd., .	34
3907	बेहतर औद्योगिक संबंधों के लिए कार्मिक संघ	Trade Unions for healthy Industrial Relations . . .	34
3908	उड़ीसा के खुले बाजारों में नकली ग्लूकोज सेलाइन की जांच	Checking of Spurious Glucose Sailne in Orissa . . .	34–35
3909	ईरान के रक्षा दल की रक्षा मंत्री के साथ बैठक	Meeting of Iranian Defence Team with Defence Minister.	35
3910	प्रेक्षणास्त्रों के भंडारण, तैयारी, मरम्मत तथा ओवरहाल के लिये तटीय सुविधायें	Shore Facilities for storage, Preparation, Repair and Overhaul of Missiles .	35
3911	रानीगंज में कृत्रिम तेल संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव	Proposal to set up a Synthetic Oil Plant at Raniganj .	36
3912	दिग्विजय इंडस्ट्रीज बांगरोदको दिया गया इस्पात	Steel Given to Digvijoy Industries Bangrod . . .	36
3913	नकली औषधियां	Spurious Drugs	36
3914	मैसर्स बाबुल बेकरी फोरबस गंज जिला पूर्णिया के विरुद्ध कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के अंतर्गत मामलो में अपील दायर की जाना	Filing of appeals in cases under E.P.F. Act against M/s Babul Bakery, Forebesganj, Purnea District	37
3915	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के अंतर्गत मैसर्स ज्ञानोदय प्रेस आफ पटना के विरूद्ध आपराधिक मामले	Criminal cases under E.P.F. Act against M/s Gyanodaya Press of Patna	37
3916	मैसर्स एशियाटिक ट्रेडिंग कम्पनी, गया के विरुद्ध कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के अंतर्गत मामले	Cases under E.P.F. Act against M/s Asiatic Trading Co., Gaya	37–38
3917	कारों और स्कुटरों के बिना पारी के आवंटन के लिए पात्रता	Entilement for out of Turn allotment of Cars and Scooters	38
3918	ग्रामीण जन संख्या के दुर्बल वर्गों के लिए बहु-उद्देश्शीय स्वास्थ्य योजनाओं का कार्यान्वियन	Implementation of multi purpose health Schemes for vulnerable section of rural population	38

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
3919	केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा औषधालयों में विशेषज्ञों की सुविधा	Specialists fiacilities in C.G.H.S. Dispensaries . . .	38–39
3920	उड़ीसा एस० सी० बी० मेडिकल कालेज, कटक में कैंसर इंस्टीट्यूट का खोला जाना . . .	Opening of a Cancer Institute in S.C.B. Medicial Coll ege, Cuttack	39
3921	लीडर इंजीनियरिंग वर्क्स जैलंधर के श्रमिको द्वारा हड़ताल	Strike by Workers of Leader Engineering Works, Jullunder	39
3922	ऐल्यूमिनियम के मूल्यों में कमी	Slump in price of Aluminium	39–40
3923	जबलपुर कारखाने के लिये देश में उपकरणों का निर्माण करने के लिए तकनीकी. समिति	Technical Committee for Indigenous Production of components for Jabalpur Factory	40–41
3924	वर्ष 1973–74 के दौरान फिर से चालू की गई कोयला खानें	Coal Mines Re-opened in 1973-74	41
3925	कोयला और इस्पात की तीव्र गति से ढुलाई	Speedy movement of coal and Steel	41
3926	दुर्गापुर स्थित मिश्र इस्पात संयंत्र को घाटा	Loss to Alloy Steel Plant, Durgapur . . .	41–42
3927	पश्चिम पाकिस्तान में छोड़ी गई निष्क्रांत सम्पत्ति के दावेदारों को अनुग्रहपूर्वक मुआवजा	Ex-gratia compensation to claimants of evacuee properties left in West Pakistan	42
3928	वाणिज्य के गाडियों के चेसिस बनाना	Manufacture of Commercial Vehicle Chassis . . .	43
3929	उपकरणों के उत्पादन और रक्षा अनुसंधान के लिए भारत और कनाडा के बीच सहयोग	Co-operation between India and Canada for Defence Research and Production of equipment . . .	43–44
3930	नांगलराय गांव में भूमि को अर्जन से मुक्त करना	Derequisitioning the land of Nangalraya . . .	44
3931	भिलाई इस्पात संयंत्र की भूमि पर अनधिकृत कब्जा	Unauthorised occupation of land meant for Bhilai Steel Plant	44–45
3932	देश में मलेरिया, चेचक और पोलियों रोगों में. वृद्धि	Increase in Malaria, Small Pox and Polio cases in the country	45
3933	कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरियोएन्टेड इस्पात की मांग	Requirement of cold rolled grain orient Steel . . .	45
3934	50 करोड़ रुपये के इस्पात का निर्यात	Export of Steel worth Rs. 50 crores	46

अता० प्र० संख्या U.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
3935	भारतीय नाविकों के पंजीकृत श्रमिक संघों के विवाद	Disputes of registered Trade Unions of Seamen of India	46
3936	राजस्थान की अकावली परियोजना से तांबे के कच्चे माल का इकट्ठा किया जाना	Collection of copper raw material from Aakawali Project in Rajasthan	46–47
3937	सिक्कम में भूमि सुधारों के लिये सहायता के लिये अनुरोध .	Request for assistance for Land Reforms in Sikkim . .	47
3938	कोयला खानों से विद्युत प्रजनन के लिये कोयले का भेजा जाना	Transportation of coal from coal mines for power generation .	47
3939	भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड की बिक्री में वृद्धि . .	Increase in sale of Bharat—Electronics Limited . . .	48
3940	ट्रांसफार्मरों के निर्माण के लिये मध्य प्रदेश और कर्नाटक द्वारा कारखाने की स्थापना	Setting up a factory by M.P. and Karnataka for manufacture of Transformers . .	48
3941	अफगानिस्तान के एक प्रतिनिधिमंडल द्वारा भारत की यात्रा	Visit to India by a delegation from Afghanistan . .	48–49
3942	देश में मलेरिया का फैलना	Malaria in the country . .	49
3943	कोयला खान कर्मचारियों में खाद्यान्न का वितरण	Distribution of foodgrains among coal mine workers . .	50
3944	फिक्सड विंग्स वाले कृषि विमानों का निर्माण	Manufacture of Fixed Wings Agricultural Planes . .	50
3945	पश्चिम बंगाल में कारखानों के बंद होने और परिसमापन की स्थिति के दौरान कर्मचारियों को उपदान न दिया जाना	Workers denied Gratuity during closure and liquidation of Unit in West Bengal . .	50–51
3946	उपदान निधि .	Gratuity Fund . . .	51–52
3947	कारों के आवंटन में डाक्टरों को प्राथमिकता	Priority in allotment of Cars to Doctors	52
3948	चीन और नेपाल के बीच नया व्यापार और भुगतान समझौता	New Trade and payment Agreement between China and Nepal	52
3949	यूनाइटेड मिनरल वर्कर्स यूनियन, गुआ, सिंहभूम, बिहार से प्राप्त ज्ञापन	Memo from United Mineral Workers Union Gua Singhbhum, Bihar . . .	52–53
3950	गैस द्वारा पकाये जाने वाले फलों का बुरा प्रभाव	Ill effects of Gas Ripened fruits	53

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
3951	खाद्यान्न और ईंधन के बढ़ते मूल्यों से अत्यधिक प्रभावित देशों की संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा बनाई गयी सूची	U. N. List of Countries worst hit by rising food and Fuel prices	53
3952	महाराष्ट्र के लघु उद्योग कारखानों के लिये लोहे और इस्पात की कमी	Shortage of Iron and Steel for Maharashtra Small Scale Unit . . .	54
3953	कोठागुडियम कोयला खानों की विस्तार संबंधी समस्याएं	Expansion problems of Kothagudium Coal Mines .	54
3954	हिन्दुस्तान लेटेक्स लि०, त्रिवेन्द्रम का विस्तार	Expansions of Hindustan Latex Ltd., at Trivandrum .	55
3955	भूमिगत परमाणु विस्फोट के बारे में निक्सन और ब्रजनेव के बीच करार	Agreement between Nixon and Brezhnev on Underground Nuclear Explosions . .	55
3956	"बिहाइंड भुट्टोज ओलिव ब्रांच शीर्षक के बारे में समाचार	News report re: behind Bhutto's Olive Branch. .	55–56
3957	श्रमिक असंतोष में वृद्धि	Increase in Labour Unrest	56
3958	महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र के कालेजों में एन० सी० सी० की तकनीकी यूनिटों का बंद होना	Closure of NCC Technical Units in a Vidarbha Region Colleges of Maharashtra	56–57
3959	दुर्गापुर इस्पात संयंत्र का उत्पादन	Production of Durgapur Steel Plant	57
3960	सेना द्वारा पंजाब के गुरदासपुर जिले में भूमि का अधिग्रहण	Acquisition of Land in Gurdaspur District, Punjab by Army	57–58
3961	गुरदासपुर जिले के भूमि मालिकों तथा काश्तकारों को मुआवजे का भुगतान	Payment of Compensation to Tenants and Land Owners of Gurdaspur District	58–59
3962	मध्य प्रदेश के सिधी जिले में तांबे और चांदी के निक्षेप	Deposits of Copper and Silver in S idhi District, Madhya Pradesh	59–60
3963	केन्द्रीय उपदान निधि समिति	Central Gratuity Fund Committee	60–61
3964	राजमहल, बिहार में चिनी मिट्टी की खानों के श्रमिकों को कम मजूरी	Low Wages to Workers in China Clay Mines in Rajmahal, Bihar . . .	61
3965	स्नातकों में बेकारी	Unmployment among Graduates	61–62
3966	आसाम शुगर मिल्स लिमिटेड	Assam Sugar Mills Ltd.	62
3967	भारत में संबंध विच्छेद करने की सैगोन की धमकी	Threat by Saigons for Breaking ties with India	62

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
3968	दुबई में इस्पात संयंत्र	Steel Plant in Dubai . .	63
3969	विदेश मन्त्री की सिंगापुर, मलेशिया और इण्डोनेशिया की यात्रा	Foreign Minister's visit to Singapore, Malaysia and Indonesia	63
3970	दक्षिण वियतनाम की अस्थायी क्रांतिकारी सरकार को मान्यता दिया जाना	Recognition of PRG of South Vietnam	64
3971	अस्थायी क्रांतिकारी सरकारों को मान्यता देने का प्रस्ताव	Proposal to recognise provisional Revolutionary Governments	64
3972	पाकिस्तान द्वारा अणु बम का निर्माण	Manufacture of atom bomb by Pakistan . . .	64
3973	दिल्ली में महामारी रोकने के लिये कार्यवाही	Steps to prevent epidemics in Delhi	64–65
3974	भारत-पाक सीमा पर पाकिस्तानी घुसपैठियों की गतिविधियां	Movement of Pak Infiltrators on Indo-Pak Border	65
3975	भिलाई इस्पात संयंत्र के जनरल मेनेजर द्वारा एक परिवहन कम्पनी का संरक्षण	General Manager of Bhilai Steel Plant Patronising a transport Company . . .	65
3976	आंध्र प्रदेश में एल्यूमिनियम फाइल्स यूनिट	Aluminium Foils unit in Andhra Pradesh . . .	65–66
3977	सैनिक पड़ाव के लिये अलग रखी गई भूमि का उपयोग	Use of land kept apart for military camping ground	66
3978	हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड, कलकत्ता के मुख्य परिवहन और नौवहन प्रबंधक के विरुद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरो की जांच	CBI investigation against Chief Transport and Shipping Manager, HSL Calcutta	66
3979	बिहार में चिरिबुरु क्वार्टजाइट खानों में तालाबंदी	Lockouts in Chiriburu in Quartzite Mines in Bihar	66–67
3980	पठानकोट सैनिक अस्पताल की एक वार्ड सहायिका के साथ दुर्व्यवहार	Maltreatment of a Ward Sahayika of Pathankot Military Hospital	67
3981	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम प्रयोज्यता	Applicability of E. P.F. Act	67–68
3982	कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कर्मचारियों के वेतन को तृतीय वेतन आयोग के प्रतिवेदन के अनुसार पुनरीक्षत करना	Revision of pay according to Third Pay Commissions, Report in E.P.F.O. . .	68

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
3983	कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के क्षेत्रीय कार्यालयों के समीप विश्राम गृह	Rest Houses near Regional Offices of E.P.F.O. .	68–69
3984	टाटा आयरन एंड स्टील कम्पनी की रक्षित कोयला खानों की उत्पादन-क्षमता	Production Capacity of Captive Coal Mines of TISCO	69
3985	इस्पात की चोरबाजारी	Blackmarketing in Steel .	70
3986	भारत इलक्ट्रोनिक्स लिमिटेड का एक नयी एकक स्थापित किया जाना	New Unit of Bharat Electronics Limited . . .	70
3987	श्रीनगर में जेंकोर्ट में एच० एम० टी० द्वारा हाथ घड़ी की एक नयी निर्यात-किस्म 'चिनार' का उत्पादन	Production of a new Export Quality Wrist Watch Chinar by HMT, Srinagar	71
3938	एक गैर-सरकारी परिवहन फर्म के विरूद्ध कथित आरोप	Alleged Allegations against a Private Transport Firm	71–72
3989	ईट्स पुनर्वास परियोजना	EATS Resettlement Project	72
3990	जेटोर टी-25 और स्वराज टैक्टर की बिक्री	Sale of Zetar, T-25 and Swaraj Tractors	72–73
3991	बिहार में नकली दवाइयां	Fake Drugs in Bihar	73
3992	अमरिका के नये राष्ट्रपति का भारत के प्रति रवैया	Attitude of New US President Towards India . . .	73
3993	नकली औषधियों के निर्माण और उनकी बिक्री के विरूद्ध कार्यवाही	Action against manufacturing and Sale of Spurious Drugs .	74
3994	केन्द्रीय सरकार स्वास्थ सेवा औषधालयों में औषधियों की कम सप्लाई	Short supply of Medicine in C.G.H.S. Dispensaries .	75
3995	सब्जी मंडी, दिल्ली में आई० टी० आई० के लिये भवन	ITI Building, Subzimandi Delhi.	75
3996	केरल में भूगर्भीय सर्वेक्षण के निष्कर्षों पर आधारीत उद्योग	Industry based on Findings of Geological Survey in Kerla	75–76
3997	उड़ीसा खान निगम द्वारा पुराना क्रशर खरीदे जाने का आरोप	Alleged purchase of obsolete Crusher by Orissa Mining Corporation. . .	76
3998	इस्पात के कोटे का दुरुपयोग	Misuse of Steel Quota .	76

अता० प्र० संख्या U.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
3999	क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, बिहार के कार्यालय में अनुसूचित जातीयों तथा अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों की नियुक्ति और पदोन्नति	Appointment and Promotion of S.C. and S.T. Candidates in the Office of R.P.F.C. Bihar .	77
4000	स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड द्वारा ऋण-पत्र (डिबेंचर) जारी किया जाना	Issue of Debentures by SAIL	77
4001	श्रम संबंधी मामलों के लिये स्पेशल बैंच	Special Benches for Labour Cases	77–78
4002	विभिन्न देशों द्वारा पाकिस्तानी नौ सेना के लिये सहायता दिया जाना	Assistance to Pakistan Navy by various Countries .	78
4003	डीजल जनरेटर सेट के आयात पर प्रतिबंध	Ban on Import of Diesel Generator Sets	78
4004	खेतिहर मजदूरों का अध्ययन	Study of Agricultural Labour	78–79
4005	बस के लिये परमिट देने के बारे में शिक्षित बेरोजगारों को प्राथमिकता	Priority for Bus permits to educated Unemployed	79
4006	आटोमोबाइल स्कूटर कम्पनियों द्वारा डीलरों की नियुक्ति	Dealers appointed by Automobile Scooter Companies	79–80
4007	इस्पात संयंत्रों द्वारा नय सीमित (कैप्टिव) विद्युत एककों की स्थापना	New Captive Power Units by Steel Plants . .	80
4008	खाद्यान्नों में मिलावट करने वालो को आजीवन कारावास	Life Imprisonment for Food Adulterators . . .	80–81
4009	पांचवीं योजना के दौरान अनुसंधान योजनाओं तथा श्रमिक-समस्याओं के सर्वेक्षण की व्यवस्था	Provision for Research Schemes and Survey of Labour Problems during Fifth Plan .	81
4010	ग्रेशम एंड क्रेवेन आफ इंडिया (प्राइवेट) लिमिटेड, कलकत्ता	Greshem and Craven of India (Pvt.) Ltd., Calcutta .	81–82
4011	इंजीनियरिंग प्रोजेक्टस इंडिया लिमिटेड द्वारा निर्यात क्रयादेश प्राप्त करना	Export Order Secured by Engineering Projects India Ltd.	82
4012	केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के भेषजविज्ञों की पदोन्नति तथा वेतनमान	Promotion and Pay Scales of C.G.H.S. Pharmacists. .	82–83

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में	Re. Question of Privilege .	83–84
मंत्री द्वारा वैयक्तिक स्पष्टीकरण के बारे में	Re. Personal Explanation by Minister	84–86
सभा-पटल पर रखे गये पत्र—	Papers Laid on the Table .	86–88
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति—	Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes—	
अध्ययन दल एक और दो के अध्ययन दौरों के प्रतिवेदन	Reports of Study Tour of Study Groups I & II . .	89
डाक सेवाओं संबंधी कतिपय परीवर्तनों के बारे में वक्तव्य—	Statement re. certain changes concerning Postal Service—	
श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी	Shri K. Brahmanand Reddy .	90–91 & 93
नियम 377 के अधीन मामले के बारे में	Re. Matter under Rule 377 .	94–95
प्रेस परिषद (संशोधन) अध्यादेश का निरनुमोदन करने संबंधी सांविधीक संकल्प	Statutory Resolution re. disapproval of Press Council (Amendment) Ordinance	
और	and	
प्रेस परिषद (संशोधन) विधेयक—	Press Council (Amendment) Bill—	
विचार करने का प्रस्ताव राज्य सभा द्वारा पारित रूप में—	Motion to consider, as passed by Rajya Sabha—	
श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye .	95
श्री धर्मवीर सिंह	Shri Dharma Bir Sinha .	95–96
श्री सरोज मुखर्जी	Shri Saroj Mukherjee .	96–97
श्री बी० वी० नायक	Shri B.V. Naik . . .	97
श्री भान सिंह भौरा	Shri B.S. Bhaura .	97–98
श्री वयालार रवि	Shri Vayalar Ravi . .	98–99
श्री जगन्नाथ राव जोशि	Shri Jagannathrao Joshi .	99–100
श्री डी० डी० देसाई	Shri D.D. Desai . .	100–101
श्री मुरासोली मारन	Shri Murasoli Maran .	101–102
श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी	Shri Dinesh Chandra Goswami . . .	102–103
श्री पी० जी० मावलंकर	Shri P. G. Mavalankar .	103–104
श्री परिपूर्णानन्द पेन्यूली	Shri Paripoornanand Painuli	104–105
श्री श्यामनन्दन मिश्र	Shri Shyamnandan Mishra	105
खंड 2 से 4 और 1	Clauses 2 to 4 and 1 .	108

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
पारित करने का प्रस्ताव	Motion to pass—	
श्री सरजू पांडे	Shri Sarjoo Pandey .	108
श्री मूलचन्द डागा	Shri M. C. Daga . .	108
श्री धर्मवीर सिंह	Shri Dharam Bir Sinha .	109
इंडियन आयरन एंड स्टिल कम्पनी (प्रबंध ग्रहण) संशोधन अध्यादेश का निरनुमोदन करने संबंधी सांविधिक संकल्प	Statutory Resolution re. Disapproval of Indian Iron and Steel Company (Taking over of Management) Amendment Ordinance	
और	and	
इंडीयन आयरन एंड स्टील कम्पनी (प्रबंध ग्रहण) संशोधन विधेयक—	Indian Iron and Steel Company (Taking over of Management) Amendment Bill—	
विचार करने का प्रस्ताव—राज्य सभा द्वारा पारित रूप में—	Motion to consider, as passed by Rajya Sabha—	
श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye	109
श्री के० डी० मालवीय	Shri K. D. Malaviya	110
श्री सोमनाथ चटर्जी	Shri Somnath Chatterjee .	110–112
सरदार स्वर्ण सिंह सोखी	Sardar Swaran Singh Sokhi	112
श्री ई० आर० कृष्णन	Shri E. R. Krishnan .	112
श्री वसन्त साठे	Sari Vasant Sathe .	113
श्री भोगेन्द्र झा	Shri Bhogendra Jha . .	113

लोक-सभा
LOK SABHA

गुरूवार, 29 अगस्त, 1974/7 भाद्र, 1896 (शक)
Thursday, August 29, 1974/Bhadra 7, 1896 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

इस्पात के इस्तेमाल में मितव्ययिता

+

***549. श्री पी० गंगादेव :**

श्री श्रीकिशन मोदी :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने इस्पात के इस्तेमाल में मितव्ययता बरतने के उपायों पर विचार किया है जैसा कि इस कार्य के लिए नियुक्त समिति ने सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या गैर आवश्यक कार्यों के लिए इस्पात की वस्तुओं के इस्तेमाल को रोकने हेतु श्रेणीवार समायोजन करने की व्यवस्था की जा रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

इस समिति की कुछ शिफारिशों को कार्यान्वित करने में कुछ कठिनाइयां हैं, जैसे सीमेन्ट की उपलब्धि, उपयुक्त ग्रेड की ईंटों, इमारती लकडी आदि की उपलब्धि और इस्पात की कुछ श्रेणियों के उत्पादन में प्रौद्योगिक कठिनाइयां । यह भी आवश्यक होगा कि डिजाइन में परिवर्तनों के बारे में की गई सिफारिशों की भारतीय मानक संस्थान, केन्द्रीय जल तथा बिजली आयोग, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग आदि सम्बन्धित प्राधिकरणों द्वारा और जांच करा ली जाय जिससे यह मालूम हो सके कि व्यवहारिक रुप में इन्हें अपनाना कहां तक सम्भव होगा । इसकी आगे जांच की जा रही है ।

फिर भी सरकार इस्पात के इस्तेमाल में बचत के लिए कई योजनाओं पर विचार कर रही है । वर्ष 1965 में जारी किए गए एक सरकारी आदेश के दवारा भारतीय मानकों के अन्तर्गत आने वाले साइजों के संरचनात्मक को छोडकर दूसरे साइजों में इन के उत्पादन पर रोक लगा दी गई थी । देश में इस्पात कारखाने केवल मध्यम श्रेणियों के संरचनात्मक का उत्पादन करते रहे है क्यों कि भारतीय मानक संस्थान द्वारा निर्दिष्ट हल्की श्रेणियों का उत्पादन वर्तमान कारखानों में नहीं किया जा सकता है । अनुमान है कि संरचनात्मकों कों मानक साइजों में उत्पादन के फलस्वरूप संरचनात्मक इस्पात का खपत में लगभग 12 1/2 प्रतिशत की बचत की गई है ।

सरकार ठंडी मुडी हुई छडों के उत्पादन और उपयोग को भी बढावा देती रही है जिसका वर्ष 1968-69 से कुल उत्पादन लगभग 10 लाख टन है । अनुमान है कि ठंडी मुडी हुई छडो के इस्तेमाल से कंक्रीट रीइन्फर्समेंट में काम आने वाले इस्पात मे लगभग 20% अथवा 2 लाख टन की बचत हुई है ।

श्री पी० गंगादेव : इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि सरकार इस्पात के उपयोग में बचत करनी चाहती है तथा विदेशी मूद्रा अर्जित करने के लिये इसका निर्यात करना चाहती है । मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि अनावश्यक कार्यों के लिये इस्पात के उपयोग पर प्रतिबन्ध लगाने की दिशा में मंत्रालय ने क्या नवीनतम निदेश जारी किये है अथवा जारी करने का विचार है ।

श्री सुबोध हंसदा : अभी तक ऐसे कोई निदेश जारी नहीं किये गये है किन्त यह प्रस्ताव है कि गैर आवश्यक कार्यों के लिये, जैसे कि कार्यालयों रेस्टारेन्टों आदि के लिए, बहु मंजिली इमारतों की निर्माण करने पर प्रतिबन्ध लगाया जाये तथा इस्पात का उपयोग केवल उत्पादक कार्यों के लिये ही करने दिया जाये ।

श्री पी० गंगादेव : मैं यह भी जानना चाहता हूं कि चुंकि इस्पात के दुरुपयोग का एक कारण यह भी है कि वह चोरबाजार में सरलता से उपलब्धता हो जाता है, इस कदाचार को रोकने के लिये सरकार का क्या ठोस उपाय करने का विचार है जिससे बाजार में ऐसा इस्पात उपलब्ध ही न हो जिसका नियतन नहीं किया गया है ।

इस्पात और खान मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : इस्पात की बिक्री बाजार में अनियंत्रित नहीं है । इसके वितरण पर विभिन्न प्रकार का नियंत्रण है । किन्तू इसके बावजूद कुछ इस्पात चोर बाजार में चला जाता है तथा जो व्यक्ति अधिक मूल्य दे सकते है वे वहां से इस्पात खरीद लेते है । इसी उद्देश्य से कुछ किस्म की इमारतों के निर्माण पर-प्रतिबन्ध लगाया जा रहा है । आशा की जाती है कि इसमे गैर आवश्यक कार्यों के लिपू इस्पात के उपयोग में कामी होगी ।

प्रो० मधु दण्डवते : क्या यह सच है कि केन्द्र दवारा महाराष्ट्र को और विशेषकर बम्बई को दिये गये इस्पात के कोटे में से 40 प्रतिशत इस्पात 2,000 टन इस्पात चोर बाजार में बेचा जाता है और क्या इसकी कोई जांच थी गई की और क्या यह की सच है कि खीरा, जे० के० और हाइकोस्टोन ने भी कुछ कम्पनियां को दिया गया कोटा इस्पात की और चोर बाजारी के कारण रद्द कर दिया गया है ?

अध्यक्ष महोदय : यह सामान्य प्रकार का प्रश्न है किन्तु आप एक विशिष्ट प्रश्न कर रहे हैं ।

प्रो० मधु दण्डवत : उन्होने इस्पात की चोर बाजारी का उल्लेख किया है । मैंने उसी सन्दर्भ में प्रश्न किया है ।

अध्यक्ष महोदय : आप एक विशिष्ट प्रश्न पूछ रहे है ।

प्रो० मधु दन्डवते : उदाहरण के रुप में क्या यह सच है कि बम्बई जैसे स्थान पर 40 प्रतिशत इस्पात के कोटे की चोर बाजरी होती है क्या सरकार ने इसकी कोई जांच करायी है और क्या यह भी सच है कि तीन कम्पनियों को जिनका मैंने उल्लेख किया है, इस्पात का कोटा नहीं दिया गया क्यों कि वे इस्पात की चोर बाजारी करती थी ?

श्री के० डी० मालवीय : यह एक विशिष्ट प्रश्न है तथा इसकी जांच करनी होगी । मैं इस समय यह नहीं बता सकता है कि 40 प्रतिशत की चोरबाजरी की जाती है या 20 की अथवा 15 की किन्तु यह सच है कि कुछ इस्पात लाभ कमाया जाने के उद्देशसे बिक्री के लिये अनांदित स्थानों पर पहुंचाया जाता है । इसके बारे मे मुझे अधिक जानकारी नहीं है । यदी माननीय सदस्य यह जानना भी चाहते है तो मैं इसकी जांच करके बताउगां ।

Dr. Kailash : In view of the fact that steel is freely available in the open market in Bombay especially even after the control imposed on the category wise non-essntial commodities may I know whether the method of allocation of steel quota is defective? May I know whether Government allocate steel quota to certain fictitious firms? How much firms received the steel after the imposition of restrictions on the categorised items? If they got the steel I would like to know the quantity thereof. Have the Government got the figures in this regard ?

Shri K. D. Malaviya : We take all the precautions. Rules and regulations are there. There is a Steel Priority Committee which allocate steel according to the priorities laid down and the centre allocate steel quotas to the State Governments. Some of the steel may go to the undesirables places through them. We are not aware of the existence of any fictitious firms. We never allocate steel to such companies. It is for the hon. Member to draw any conclusion regardnig the method with which the steel is taken away by unauthorised persons. There is a shortage of Cement in these days as a result of which the demand for steel has come down.

श्री मनोज चन्द्र : क्या दिल्ली तथा अन्य स्थानों पर एक मंजिली इमारते बनाये जाने की नीति विश्व भर में गृह निर्माण के इस मूलभूत सिद्धांत के प्रतिकूल नही है कि जहां भूमि की कीमत बहुत अधिक है वहां इमारतें बहुमंजिली होनी चाहिए तथा जहां भूमि सस्ती है वहां एक मंजिली इमारतें बनायी जानी चाहिये ? जिन व्यक्तियों ने बहुतअधिक मूल्य पर भूमि खरीदी है यदि उनको केवल एक मंजिली इमारतें ही बनाने की अनुमति दी जायेगी तो उनको बहुत हानि होगी ।

श्री के० डी० मालवीय : इन समस्याओं पर निर्माण और आवास मंत्रालय ने विचार किया होगा । मैं इस का उत्तर देने में असमर्थ हूं ।

Shri B. S. Bhaura : Is the hon. Minister is aware of the fact that certain individuals and firms register themselves with fictitious names and get steel quota. In this way the steel allocated goes in black market ? May I know whether Government propose to institute an enquiry to find out the names of the fictitious firms in order to stop the quota to these firms?

Shri K. D. Malaviya ; If it comes to the notice of the organisation set up by the Government that a certain firm gets the quota of steel against it two three names' then the organisation will no allot the steel to that firm. I have no information in this regard. If the hon. member has any information that a certain firm is getting steel quota in the fictitious name and he supplied the information to us we will certainly take the advantage of the information.

Dr. Kailas : Their names are mentioned in the newspapers.

Shri K. D. Malaviya ; Such persons are arrested.

श्री पी० आर० शिनाय : किन कार्यों के लिये इस्पात के उपयोग को सरकार गैर-आवश्यक मानती है ?

श्री के० डी० मालवीय : इसका उल्लेख मेरे सहयोगी द्वारा कर दिया गया है । बहु मंजिली इमारतों सिनेमाघरों आदि के लिये इस्पात के उपयोग को सरकार गैर आवश्यक मानने का विचार कर रही है तथा विभिन्न तरीकों द्वारा इस्पात के उपयोग पर प्रतिबन्ध लगाया जा रहा है । आशा है कि इन उपायो के परिणाम स्वरूप इस्पात का उपयोग गैर आवश्यक कार्यों के लिये नहीं किया जाएगा । **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कुछ सदस्य प्रत्येक प्रश्न पर रोज प्रश्न पूछने के लिये खडे हो जाते है । कृपया वे रोज ऐसा न करें । उन्हे अब सदस्यों को भी अवसर देना चाहिये । मैं इसी आधार पर आगे बढ रहा हूं । श्री कछवाय !

Shri Hukamchand Kachwa : Is it a fact that the demand of steel has increased very much in the country? When there is an increase in the demand Government have laid down a rule according to which steel will be allocated to that person who deposits the money. Now the Government have discontinued that procedure. Now Government want to give steel after sanctioning the demand. Certain persons deposited money with the Government for two years back and that money has been kept by the Government with them. A sum of Rs. 3 crores is lying with the Centre. The money deposited with the Government was taken by the people on loan by paying interest on it. May I know whethrer Government will allot them steel or return their money with interest?

Mr. Speakr ; This does not arise out of the main question.

Shri Hukam Chand Kachwai : It is in consistent with the question. The hon. Minister has said that people have deposited the money. The steel Ministry has been utilising the money of the people who deposited it with the Government after getting it on loan. How is it that Government do not want to pay the interest of the money which they have been utilising for last two years?

Mr. Speaker : Let him clarify the position regarding the persons who deposited their money.

Shri K. D. Malaviya : It is a fact that many firms made their demands for steel. We introduced a procedure of deposit of money under disincentive Scheme. They deposited the money also. Steel has been given to some of the firms. Now this matter is under consideration. As soon as any decision is taken it will be known to the House.

Mr. Speaker : It is a valid question. What is the fault of those persons who deposited their money?

अहमदाबाद में क्षत्रीय पारपत्र कार्यालय का पुनर्गठन

*550. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या **विदश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है की अहमदाबाद में क्षेत्रीय पारपत्र कार्यालय अत्यन्त असंतोषजनक ढंग से कार्य कर रहा है जिसके कारण सैकडों आवेदकों को अपने पारपत्र शीघ्रता से प्राप्त करने में काफी कठिनाई तथा परेशानी होती है;

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति को हल करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कार्यवाही की जा रही है; और

(ग) क्या उक्त क्षेत्रीय पारपत्र कार्यालय का पुनर्गठन अथवा विस्तार किया जा रहा है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) से (ग) अहमदाबाद के क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय में पासपोर्टों के जारी करने तथा उनके सम्बन्ध में अन्य कार्रवाई में विलम्ब किए जाने की शिकायतें हुई हैं। विदेश मंत्रालय के दो वरिष्ठ अधिकारी स्थिति को स्वयं जांच करने के लिए जुलाई 1974 में अहमदाबाद गए। उन्होंने शिकायतें दूर करने को अविलम्ब उपाय किये। पासपोर्ट जारी करने में समय नष्ट न हो इसके लिए और भी बेहतर कार्यप्रणाली शुरू की गई। अतिरिक्त मामले की भी मंजूरी दी गई है जिससे इकट्ठा हुआ काम शीघ्र निपटाया जा सके। कार्य प्रणाली में सुधार तथा अमला बढ़ाने से शेष कार्य को कम करना संभव हुआ है। अहमदाबाद कार्यालय की कार्यकुशलता के सुधार के लिए और उपाय करने पर सरकार विचार कर रही है।

श्री पी० जी० मावलंकर : यह समस्या केवल अहमदाबाद क्षेत्रीय पारपत्र कार्यालय में नहीं है वरन ऐसे सभी कार्यालयों में है तथा बम्बई कार्यालय में भी ऐसे बहुत से आवेदन पत्र जमा हो गये हैं। अहमदाबाद पारपत्र कार्यालय पूरे गुजरात और संघ राज्य क्षेत्र दादरा और नागर हवेली के लिये है। यह कार्यालय सरकार ने 1969 में स्थापित किया था। मंत्री महोदय को ज्ञात है कि वर्ष 1970 में आवेदन पत्रों की संख्या 14,628 थी तथा इस चालू वर्ष में अर्थात जनवरी से मई, 1974 तक आवेदन पत्रों की संख्या 11,336 हो गई है। अनिर्णीत आवेदन पत्रों की संख्या में बहुत अधिक वृद्धि हो गई है तथा कार्यकरण बहुत असंतोषजनक है।

इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या मंत्री महोदय इस सम्बन्ध में पूरा ब्यौरा बतायेंगे? ये प्रश्न उनके उत्तर से ही उत्पन्न होते हैं। जैसा कि मंत्री महोदय ने बताया है कि दो सीनियर अधिकारी दिल्ली से अहमदाबाद भेजे गये हैं। उनके नाम क्या है? वे कब दिल्ली वापस आये, क्या उन्होंने कोई रिपोर्ट दी? यदि हां, तो उन्होंने रिपोर्ट में क्या-क्या शिफारिशें की हैं? क्या उसमें उपचारात्मक कार्यवाही का कोई उल्लेख किया गया है? किन प्रक्रियाओं का सुझाव दिया गया? क्या उन्होंने यह सुझाव दिया है कि वहां पर अतिरिक्त कर्मचारी नियुक्त किये जायें? यदि हां, तो कितने कर्मचारी नियुक्त किये गये और यदि नहीं तो क्यों नहीं नियुक्त किये गये? मंत्री महोदय कहते हैं कि अनिर्णीत आवेदन पत्रों की संख्या कम हो गई है। उत्तर तो बहुत बढ़िया है किन्तु इसमें तथ्य नहीं बताये गये, मैं इस मामले में मंत्री महोदय का सहयोग चाहूंगा। मैं उत्तर की सराहना करता हूं। मंत्री महोदय ने कहा है कि अनिर्णीत आवेदन पत्रों की संख्या में कमी करने के लिये उनकी नियुक्ति की जानी थी। मैं जानना चाहता हूं कि वे कितने बकाया आवेदन पत्रों को कम कर सके हैं। यह भी कहा गया है कि इस सम्बन्ध में अन्य उपाय भी किये गये हैं। वे उपाय क्या हैं?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : मैं माननीय सदस्य के साथ यथासम्भव सहयोग करूंगा। माननीय सदस्य ने बहुत से प्रश्न पूछे हैं। प्रमुख प्रश्न यह प्रतीत होता है कि इस कार्यालय के कार्यकरण में कैसे सुधार किया जा सकता है तथा क्या सुधार किये गये हैं। मैं यह बताना चाहता हूं कि जुलाई में जब हमारा दल वहां भेजा गया था तो उस कार्यालय में 10,000 आवेदन पत्र अनिर्णीत पड़े थे। कुछ उपचारात्मक कार्यवाही के पश्चात तथा नई प्रक्रिया आरम्भ करने के बाद यह संख्या जुलाई के अन्त में घट कर 4,000 रह गई। उस समय अर्थात् 24 अगस्त तक अहमदाबाद स्थित कार्यालय में केवल 1500 मामले अनिर्णीत हैं। इस बात से स्पष्ट होता है कि कुछ न कुछ तो कार्यवाही की ही गई है जिससे यह कार्यालय बहुत संतोषजनक ढंग से कार्य कर रहा है।

जहां तक दल का सम्बन्ध है यह वहां गया था तथा इस कार्यालय के कार्य की जांच के पश्चात इसने सिफारिशें की थीं जितना सम्बन्ध अल्पकालिक तथा दीर्घकालिक उपायों से है जैसे कि प्रक्रिया सम्बन्धी सुधार अर्थात् आवेदन पत्र किस प्रकार प्राप्त किये जायें तथा उनका

किस प्रकार शीघ्र निपटान किया जाये। उन्होंने कुछ अतिरिक्त कर्मचारियों की भी सिफारिश की जो तदर्थ आधार पर कार्य कर रहे थे। इसके परिणामस्वरूप वहां कार्यकरण में काफी सुधार हुआ है। दिर्घावधि उपायों के सम्बन्ध में उस प्रतिवेदन में बहुत-सी बातें कही गई हैं जिनका मैं विस्तार से उल्लेख नहीं करना चाहता। किन्तु मुख्य सिफारिश यह है कि वहां पर कार्यभार में वृद्धि होने पर स्थाई रूप से अतिरिक्त कर्मचारी रखे जाये। उन्होंने यह भी प्रस्ताव किया है कि उस कार्यालय में कुछ स्थाई पद बनाये जाये तथा इस प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है।

श्री पी० जी० मावलंकर : मेरा दूसरा प्रश्न भ्रष्टाचार के बारे में कुछ शिकायतों के सम्बन्ध में है। क्या सरकार का ध्यान उन शिकायतों की ओर दिलाया गया है ? पारपत्र लेने के लिये भ्रष्टाचार का सहारा लिया जाता है। पारपत्र देने में जितनी देर की जाती है अधिकारियों की ओर से उतनी ही अधिक घूल की मांग होती है। क्या यह सच है? जहां तक दीर्घावधि उपायों का सम्बन्ध है क्या मंत्री महोदतें बतायेंगे कि वे उपाय क्या हैं तथा क्या सरकार ने उन उपायों को लागू करना आरम्भ कर दिया है। मंत्री महोदय उन अधिकारियों का नाम बताना भी भूल गये जो अहमदाबाद भेजे गये थे।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : जैसा कि मैंने कहा है यह मामला सरकार के विचाराधीन है। हम इन सिफारिशों को यथाशीघ्र लागू करने का प्रयत्न करेंगे। कोई समय-सीमा बताना कठिन है। जहां तक भ्रष्टाचार का सम्बन्ध है इस बारे में कुछ समाचारपत्रों में समाचार प्रकाशित हुये हैं। इस सम्बन्ध में विशेषकर हमें कोई शिकायतों प्राप्त नहीं हुई हैं। विदेश मंत्रालय के पास ऐसी कोई शिकायतें नहीं भेजी गई हैं। इस मंत्रालय को एक शिकायत मिली है जिस पर किसी के हस्ताक्षर नहीं है। यदि माननीय सदस्य को किसी ऐसे मामले की जानकारी है तो वह हमें वह जानकारी दे सकते हैं।

श्री पी० जी० मावलंकर : क्या सरकार स्वयं कोई जांच नहीं करेगी ?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : हम अवश्य करेंगे। हम हरसम्भव प्रयत्न कर रहे हैं। भ्रष्टाचार का मुख्य कारण विलम्ब है। पारपत्रों के जारी किये जाने में विलम्ब का उल्लेख किया गया है किन्तु भ्रष्टाचार का कोई विशिष्ट मामला नहीं है।

श्री नरेन्द्र कुमार सांघी : महोदय ! पारपत्र पाना उतना ही कठिन हैं जितना औद्योगिक लाइसेंस पाना। क्या मंत्रालय कोई ऐसा तरीका निकालेगा जिससे आवेदक को यह पता लग जाये कि उसके आवेदन पर कितने दिन पश्चात कार्यवाही आरम्भ की जाएगी ? क्या कोई ऐसा तरीका निकाला जा सकता है जिसके अन्तर्गत आवेदक को पत्र डाल कर यह सूचित किया जा सके कि उसका पारपत्र कब तक तैयार हो जाएगा ? यदि पार पत्र देने के सम्बन्ध में कोई कठिनाइयां हैं तो उसे उसकी सूचना दे दी जाये तथा इसके लिये कोई समय निर्धारित कर दिया जाये।

श्री सुरेन्द पाल सिंह : मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत हूं कि पार पत्र जारी किये जाने में बहुत विलम्ब नहीं किया जाना चाहिये। आवेदक को कुछ फारम भरने पड़ते हैं तथा उन फारमों में कुछ प्रविष्टियां करनी होती हैं तथा इनको परिपत्र अधिकारी सत्यापित करते हैं। कुछ आवेदक अपने फारमों को सही-सही नहीं भरते जिसके कारण विलम्ब हो जाता है।

श्री प्रसन्न भाई मेहता : मंत्री महोदय ने अभी यह बताया है कि सीनियर अधिकारियों के एक दल ने अहमदाबाद स्थित कार्यालय का निरीक्षण किया था तथा उस समय वहां 10,000 आवेदन पत्रअनिर्णीत पडे थे तथा अब केवल 1,500 आवेदन पत्र अनिर्णीत पड़े हैं।

मैं जानना चाहता हूं कि इस असाधारण विलम्ब के क्या कारण थे। क्या सीनियर अधिकारियों के दल ने अपने प्रतिवेदन में इसका उल्लेख किया था तथा 10,000 आवेदन पत्रों का समय पर निपटान न किये जाने के लिये उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : आवेदन पत्रों की संख्या 1970 और 1971 में लगभग उतनी ही रही किन्तु 1972 में यह बढ़कर 18,000 हो गई। उस समय हमें इस मामले पर विचार करना पड़ा। कार्यभार में अचानक वृद्धि हो जाने के कारण हम तुरंत ही अतिरिक्त कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं कर सके। इसी लिये काम जमा हो गया । अब इसकी ओर ध्यान दिया गया है तथा अधिक कर्मचारी नियुक्त कर दिये गये है ।

Percentage Increare in Industrial Workers Wages and Cost of Living

***551. Shri Jagannath Rao Joshi :**
Shri Atal Bihari Vajpayee :

Will the Minister of Labour be pleased to state :

(a) "the percentage increase in the wages of industrial workers up to date" compared to that of 1961 and the percentage increase in the cost of living during this period; and

(b) the special steps taken by Governmet to ensure that the industrial workers get wages commensurate with the cost of living?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour (Shri Balgovind Verma) : (a) A statement giving the required information is laid on the table of the House.

(b) Schemes of variable dearness allowance which are in force in almost all the major industries provide for periodical increases in dearness allowance, depending on the increases in the Consumer Price Index Numbers.

STATEMENT

Percentage increase in industrial workers wages and cost of living

Year	All India Consumer Price Index number for working class (Base shifted to 1961 = 100)	Index number of money earning (Base 1961 = 100)	Index number of real earnings (base 1961 = 100)
		Factory workers	Factory workers
1962	103	106	103
1963	106	109	103
1964	121	114	94
1965	132	128	97
1966	146	139	95
1967	166	151	91
1968	171	160	94
1969	169	170(R)	101
1970	178	180	101
1971	183	187*	102*

*Provisional.
(R) = Revised.

Shri Jagannath Rao Joshi : Mr. Speaker, Sir, had the hon. Minister read my question carefully he would have known that I had asked the "percentage increase in the wages of industrial workers upto date ....." and the statement laid by the Minister on the table of the House shows fingers upto 1971 only. There is no point in quoting the figures of 1971. There is a great rise in the year 1972 to 1973. Therefore I want to know the latest cost of living index number. What is the real income of industrial labour so that we may be able to raise supplementaries ?

Shri Bal Govind Verma : I can give the consumer price index figures but the figures about money earnings and real earnings are not available with me. The information regarding these figures is sent through State Governments and we have not received the information as yet.

Price consumer index is given below :

1972	202
1973	236

Shri Jagannath Rao Joshi : What about the figures of year 1974 ?

Shri Bal Govind Verma : The year 1974 is running. I can give you monthwise figures.

January 1974	264
February 1974	267
March 1974	275
April 1974	283
May 1974	294
June 1974	301

Shri Jagannath Rao Joshi : When the figures were available with the hon. Minister he should have given it earlier. He is cheating himself as well as others.

Cost of living index is increasing day by day and the value of money is declining. I want to know what steps the Government is taking to ensure that the real income of labour is not affected by the declining money value.

Shri Bal Govind Verma : Variable dearness formula is applicable to most of the industrial establishments. The dearness allowance gets automatically increased with the rise in cost of living index. It is not therefore correct to say that they are at any disadvantage.

Shri Jagannath Rao Joshi : In view of the fact that the prices are rising and the real income is declining how far it is reasonable to insist on compulsory deposit. How can you adjust these factors?

Shri Bal Govind Verma : The hon. member should have put this question to the Finance Ministry. The increase in production results in decrease in prices. The circulation of money has increased because of the development that is going on in the country. Consequently the money value has decresed. The Government is trying to reduce the circulation of money and the ordinance which has been referred to is intended to secure that object. This will benefit the workers most. There should be no doubt about it that the Government has taken this step for their benefit only.

श्री वसन्त साठे : क्या जीवन निर्वाह व्यय सूचकांक तैयार करने की पद्धति को विशेषज्ञों, अर्थशास्त्रियों और संबद्ध प्राधिकारियों ने भी दोषपूर्ण पाया है और इस विषय पर सदन में पहले भी चर्चा हो चुकी है। टोकरी में पड़ी चीजों के वजन तौलने वाली पद्धति अब पुरानी हो चुकी है अत: सम्पूर्ण सूचकांक से कर्मचारी वर्ग के जीवन निर्वाह व्यय में वास्तव में कितनी वृद्धि हुई है, पता नहीं चलता। जीवन निर्वाह व्यय सम्बन्धी सूचकांक को सही पद्धति से तैयार करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे है क्योंकि इस पुरानी पद्धति से जीवन निर्वाह व्यय में हुई वृद्धि का सहीसही पता नहीं लगता।

श्री बालगोविंद वर्मा : उपभोक्ता मूल्य सूचकांक तैयार करने के लिए हम वही पद्धति अपनाते हैं जो अन्य देशों द्वारा अपनाई जा रही है । यह पद्धति कोई हमारी अपनी बनाई नहीं है । सारे विश्व द्वारा यह पद्धति अपनाई जाती है । कभी मूल्य बढ़ जाते हैं और कभी कम हो जाते हैं । यही बात कर्मचारियों के मन में उत्तेजना पैदा कर रही है । उदाहरण के लिए जनवरी-मार्च से मूल्यों में गिरावट आनी शुरू हुई ।

श्री वसन्त साठे : मैं अन्तर्राष्ट्रीय पद्धति के बारे में बात नही कर रहा, मैं केवल यह कह रहा हूं कि जो पद्धति हमारे देश में सूचकांक तैयार करने के लिए अपनाई जाती है वह दोषपूर्ण है इसलिए सूचकांक में वास्तव में कितनी वृद्धि हुई इसका सही सही पता नहीं चलता । क्या आपको इस बात की जानकारी है ?

श्री बालगोविंद वर्मा : मैं माननीय सदस्य से सहमत नहीं । सामान्यत: हम वस्तुओं के मूल्य ऐसे केन्द्रों से प्राप्त करते हैं जहां कि काफी संख्या में कर्मचारी रहते हैं ।

मूल्य संबंधी आंकड़े इकट्ठे करने के लिए हमने सारे देश में से 50 केन्द्र चुने हैं । प्रत्येक केन्द्र में से हमने दो ऐसी दुकानें चुनी हैं जिनसे श्रमिक आम इस्तेमाल की वस्तुएं खरीदते हैं । वस्तुओं को हमने पांच वर्गों में रखा है । एक है भोजन, दूसरा पान, सुपारी, तम्बाकू और नशीली चीजें, तीसरे इंन्धन और बिजली, चौथा आवास, पांचवा कपड़ा इत्यादि और छठा विविध वस्तुएं । यदि आप अनुमति दें तो म और विस्तार में बताऊं ।

श्रीमती पार्वती कृष्णन् : क्या यह सच नहीं है कि दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और अहमदाबाद श्रम संघों ने इस मामले को उठाया है और इसकी पुष्टि भी की है कि जीवन निर्वाह व्यय सूचकांक तैयार करने में बेइमानी की गई है जिसके परिणामस्वरूप कर्मचारियों को उसके अनुसार महंगाई भत्ता नहीं मिल सका और जीवन निर्वाह व्यय चकांक के पुनरीक्षण के बाद कर्मचारियों को पुराना नुकसान पूरा करने हेतु करोड़ी रुपय दिए गए । मैं सरकार से यह जानना चाहती हूं कि ऐसे धोखे के मामले जो अब तक होते रहे हैं उनकी पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है तथा क्या श्रम मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय से इस बारे में बातचीत की है ताकि कर्मचारियों को जो कुछ देय है वह मिलें और वह मुद्रास्फीति के चक्कर में न फंसे ।

श्री बालगोविंद वर्मा । कुछ श्रम संघों ने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के पुनरीक्षण की मांग की है । विशेषकर मद्रास से श्री उमानाथ ने एक अनुरोध प्रस्तुत किया है । हमने इन सभी मामलों की जांच की है और हमारी उनसे सहमति नहीं हुई ।

श्रीमती पार्वती कृष्णन् : ऐसे धोखों की पुनरावत्ति न हो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ? पश्चिम बंगाल में कुछ दिन पहले और अहमदाबाद में तीन या चार वर्ष पूर्व यही सब कुछ हुआ ।

श्री बालगोविन्द वर्मा : पश्चिम बंगाल सरकार ने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के ब्यौरों की जांच हेतु एक समिति नियुक्त की थी । वह एक समिति की नियुक्ति करना चाहते थे, हम उनसे सहमत नहीं हुए । उन्होंने ज़ोर डाला तो हमने समिति नियुक्त करने की अनुमति दे दी । उसके बाद समिति स्वयं अपनी सिफारिशों के संबंध में निश्चित नहीं थी और उन्होंने कहा कि काफी आंकड़े उन्हें उपलब्ध नहीं हुए । हालांकि उन्होंने कुछ सिफारिशें की लेकिन वह अपनाने योग्य नही थीं । यह पश्चिम बंगाल सरकार का मामला है, हमें इस बारे में कुछ नहीं करना । उन्होंने समिति की नियुक्ति की है और वह जो चाहें वह कर सकते हैं लेकिन हमें उनकी सिफारिशें अपनाने योग्य नहीं लगती ।

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने कहा है कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक निर्धारित करने में वह अंतर्राष्ट्रीय प्रक्रिया को अपना रहे हैं । विकासशील देशों में लोगों के वेतन का केवल 15-20 प्रतिशत ही भोजन पर व्यय होता है जबकि हमारे देश में कर्मचारियों के वेतन का 70–80 प्रतिशत भाग भोजन पर व्यय होता है । क्या अंतर्राष्ट्रीय प्रक्रिया को अपनाकर देश के कर्मचारियों के साथ

घोर अन्याय नही किया जा रहा ? क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के निर्धारण के संबंध में सुधार की आवश्यकता नहीं ? दूसरे,विवरण से हमें ज्ञात होता है कि 1962 से 1971 तक 1968-69 को छोड़कर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृधी हुई । कब उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 171 से 169 तक कमी हुई । हमे अपने अनुभव से ज्ञात होता है कि इन वर्षों में से एक वर्ष भी रुपये के मूल्य में वृद्धि नहीं हुई । मैं यह जानना चाहता हूं कि किन कारणों के आधार पर आप इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि 1968–1969 में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में कमी हुई ।

श्री बालगोविन्द वर्मा : माननीय सदस्य ने कुछ प्रश्न किए हैं । उपभोक्ता मूल्य सूचकांक तैयार करने के संबंध में हम पूरी तरह से अंतर्राष्ट्रीय प्रक्रिया अपना रहे हैं । प्रत्येक देश की परिस्थितियाँ भिन्न भिन्न होती हैं । पश्चिमी देशों में कुछ और हैं तो हमारे देश में कुछ और इस बात से हम भली भांति अवगत हैं कि यहां के लोग अपने वेतन का एक बड़ा भाग खाने पीने की वस्तूओं पर व्यय करते हैं । हमारा श्रम ब्यूरो दर एक चीज की जांच कर रहा है और हम ऐसे निष्कर्षो पर पहुंचने के लिए उपाय कर रह हैं जो लोगों को स्वीकार्य हों । माननीय सदस्य का कहना हैं कि कई बार वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि होने से उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में कमी होने लगती है । कुछ उद्योगों में विशेषकर जूट आदि के उद्योगों में प्रक्रिया यह है कि त्रिमासिक मूल्य सूचकांक के आधार पर महंगाई भत्ता दिया जाता है ।

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी : मेरा प्रश्न यह नही था । विवरण से ज्ञात होता है कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 1962 से 1971 के दौरान वृद्धि हुई केवल 1968–1969 को छोड़कर जबकि सूचकांक में कमी आई और 171 से घटकर 169 हो गया । यह बात हमारे अनुभव के आधार पर सही नहीं है । मैं यह जानना चाहता हूं आप किन कारणों के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचे हों ।

श्री बालगोविन्द वर्मा : हम उपभोक्ता मल्य सूचकांक को सदैव विद्यमान मूल्यों के साथ संबद्ध करने की कोशिश कर रह हैं । यदि माननीय सदस्व संतुष्ट नहीं तो वह मेरे पास आएं, मैं उन्हें समझा दूंगा ।

श्री भागवत झा आजाद : अध्यक्ष महोदय, मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आंकलन संबंधी सिद्धान्तों को स्वीकार करने के समय वह अंतर्राष्ट्रीय धरातल से उतर कर अपने इस घरेलू धरातल पर आएं और बताएं कि क्या मूल्यू-वृद्धि तथा मुद्रा के गिरते हुए मूल्यों को ध्यान में रखते हुए क्या इन विभिन्न मानकों को परिवर्तित करने की आवश्यकता नहीं है। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या उच्चतम न्यायालय ने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक तैयार करने की पद्धति को दोषपूर्ण बताया है, यदि हां, तो सरकार किस प्रकार उच्चतम न्यायालय का निर्णय लागू करेगी तथा विभिन्न वस्तुओं के शीर्षक और चुने गए केन्द्रों को कैसे परिवर्तन किया जाएगा ।

श्री बालगोविन्द वर्मा : जहां तक उच्चतम न्यायालय के निर्णय का संबंध है शिमला में श्रम ब्यूरो इसकी जांच कर रहा है ।

श्री भागवत झा आजाद : क्या हमें शिमला इन्स्टीट्यूट से इसका उत्तर मिलेगा ? हम सरकार से जानना चाहते हैं ।

श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : केन्द्रों के चयन की प्रक्रिया अत्यंत जटिल है तथा विद्यमान प्रक्रिया से अलग होना बड़ा कठिन है ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बाद आपने क्या किया है ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : श्रम ब्यूरो एक तकनीकी निकाय है और वह एक नई प्रक्रिया बनाने का प्रयत्न कर रहै हैं और उसकी जांच भी कर रहे हैं ।

Shri Madhu Limaye : Is the hon. Minister aware that 11 years before there was a strike on account of the concealment of true index figures, for the reason whereof Lakarwala Committee was appointed. That committee had increased the allowance by Rs. 8.50. Does the hon. Minister know that the expert committee that was appointed in West Bengal had recommended increase in the allowance from 50 to 54 rupees? In view of this recommendation will the hon. Minister try to improve the all India price index?

Shri Bal Govind Verma : Mr. Speaker, Sir, as I have already stated that we were not in favour of appointment of that committee but as the State Government was insisting on the appointment of committee we gave our consent. I can quote the findings of that committee. The Committee itself has stated that they are themselves not satisfied with the findings because they did not get the full data and it is only assessment. Therefore, we cannot say anything about it. It is the responsibility of the West Bengal Government. They may do whatever they deem fit.

Shri Madhu Limaye When various Committees and Supreme Court is of the view that there is bungling in the matter, then does the hon. Minister not feel it necessary that All India Price Index should be improved ?

श्री बालगोविन्द वर्मा : मैं कह चुका हूं कि हम पहले ही मामले की जांच कर रहे हैं।

श्री वसन्त साठ : सर्वोच्च न्यायालय ने 1966 में विनिर्णय दिया था और मंत्री महोदय इसकी जांच कर रहे हैं।

Shri Madhu Limaye : If Shri Reddy is not feeling well, he should not have come to the House. But if he comes, he should reply to the questions. My straight question is whether All India Price Index will be improved or not ? Please reply in 'yes' or 'no'. Have they also freezed price index ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : पश्चिम बंगाल सरकार ने विभिन्न मजदूर संघों के अभ्यावेदनों पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के मामले की जांच करने के लिए समिति नियुक्त की। पश्चिम बंगाल सरकार को मामले की जानकारी है। मैं पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा किए जाने वाले या न किए जाने वाले निर्णय के स्वरूप के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता।

Shri Madhu Limaye : I have simply given an example of West Bengal Government. My question is whether All India Price Index will be improved ?

अध्यक्ष महोदय : मैंने दूसरा अवसर दिया था। प्रश्न के लिए मैं बहुत समय दे चुका हूं।

Shri Madhu Limaye : Our hon. Minister has wasted time. My question is straight He is an inefficient Minister and should be removed immediately (*Interruptions*)

श्री एस० एम० बनर्जी : विभाग द्वारा दोषपूर्ण तथा गड़बड़ जीवन निर्वाह लागत सूचकांक बनाकर महंगाई भत्ते में काफी कमी की गई है। यह बात महाराष्ट्र में तथा सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से भी साबित हो चुकी है। क्या उन्हें इस बात का पता है कि सरकारी क्षेत्र, विभागीय उपक्रमों तथा गैर सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों के महंगाई भत्तों में गत दस वर्षों के दौरान 600 से 700 करोड़ रुपये की कमी की गई है ? इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कई राज्य सरकारों और कुछ श्रमिक संघों ने यह मामला उठाया है। क्या सारे मामले की जांच करने के लिए एक समिति स्थापित की जाएगी जो 6 महीनों के अन्दर अपना प्रतिवेदन दे दें ?

श्री बालगोविन्द वर्मा : यह सच है कि मूल्य वृद्धि के कारण वेतनों में कमी आई है। हमें इसका पता है। इसी कारण, जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं, हमने महंगाई भत्ते को जीवन-निर्वाह लागत सूचकांक से जोड़ दिया है। जैसे ही वेतन में कमी होती है, महंगाई भत्ता तत्काल बढ़ जाता है।

Production in Hindustan Zinc Ltd., Udaipur

*553. **Shri Lalji Bhai** : Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state:

(a) whether production in Hindustan Zinc Limited, Udaipur, Rajasthan during the years 1972-73 and 1973-74 was below the estimated target of production ; and

(b) if so, the reasons therefor and the remedial action taken and being taken as also proposed to be taken in this regard ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) तथा (ख) अपेक्षित जानकारी दर्शानेवाला एक विवरण सभापटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) जी, हां।

(ख) उत्पादन तथा लक्ष्यों में कमी के निम्नलिखित कारण थे :—

1972-73 :

खानों के उत्पादन में कमी सर्व प्रथम तो नवम्बर-दिसम्बर, 1972 में पानी के अभाव और बाद में मार्च, 1973 में बिजली सम्बन्धी प्रतिबन्धों के कारण हुई। अयस्क में धातु की मात्रा कम होने से सान्द्र-उत्पादन भी प्रभावित हुआ। बिजली की अत्यधिक कमी का प्रद्रावक के उत्पादन पर प्रभाव पड़ा। फरवरी, 1973 में गलन भट्टी पूरी तरह ठप्प हो गई और इसका जस्ता-उत्पादन पर प्रभाव पड़ा। उन क्षेत्रों में, जहां कि उर्वरक बेचा जा रहा था, सूखा पड़ने के फलस्वरूप सुपर फास्फेट की भाग में काफी कमी हो गई जिससे उसका उत्पादन भी सीमित कर दिया गया।

1973-74 :

मई/अप्रैल, 1973 में बिजली सम्बन्धी प्रतिबन्धों के कारण खानों तथा परिष्करण संयंत्रों के उप्पादन पर भी गम्भीर प्रभाव पड़ा। (6 फरवरी, 1973 से 20% 26, फरवरी से 33% तथा 20 मार्च, 1973 से जून, 1973 तक 50% बिजली कटौती की गई)।

बिजली सम्बन्धी प्रतिबन्धों/बाधाओं के कारण जिंक-प्रद्रावक में लक्ष्य के अनुरूप उत्पादन नहीं किया जा सका। वास्तव में बिजली न होने के कारण अप्रैल से जून, 1973 तक लगभग 3 महीने संयंत्र पूर्णतया बन्द रहा।

सान्द्र की कमी के कारण सीसा प्रद्रावक के उत्पादन में कमी हुई और सान्द्र की कमी रेल परिवहन में रुकावट तथा बिजली सम्बन्धी बाधाओं/प्रतिबन्धों के कारण हुई।

Shri Lalji Bhai : In reply to my question regarding short fall of production in the year 1972-73 and 1973-74, it was stated that due to shortage of water, restrictions on use of power and disruption in railway traffic, raw material could not be made available in sufficient quantity. One phase of Devas Dam has been completed and supply of water can be made in case second phase is completed. I would like to know whether there is any proposal under consideration of the Government to do away the hinderances so that adequate supply of raw material can be made.

Shri Sukhdev Prasad : While replying to the question, I have already stated that there are hinderances in the way of production. In 1972-73 and 1973-74, production in the smelter was affected on account of water shortage, power shortage and disruption in loading operations due to railway strike. These were the reasons which affected the production of smelter. Now position of power supply and water supply has improved and there is no railway strike also and therefore we hope to achieve our target for the year 1974-75.

Shri Lalji Bhai : So far as the question of raw material is concerned, Zinc Unit is being set up at Sawai Madhopur but sufficient raw material is available at Udaipur and transport to Sawai Madhopur will result in expenditure of crores of rupees every year. Will it not be proper to set up unit in Udaipur instead of Sawai Madhopur because there raw material and other facilities are available. May I know whether Government is considering the matter ?

The Minister of Steel and Mines (Shri K. D. Malviya) : There is controversy between Udaipur and Sawai Madhopur and Government is giving serious thought towards the matter. I cannot give offhand opinion. We want dispute to be settled in consultation with the Chief Minister of the State. Since there is difference of opinion between people on the matter, we want to take such step which may help enhance the production. We will have to ensure availability of water, power and other commodities. We have not gone through the propriety of big smelter at Sawai Madhopur.

Shri Krishna Chandra Pandey : The hon. Minister has stated that there was shortfall of production on account of water and power shortage. What steps are being taken to ensure the availability of water and power in future ? Will the Government make arrangement for the supply of water and power ?

Shri K. D. Malviya : Negotiations are taking place with Rajasthan Government. We ourselves want to make arrangements for power supply with the consultation of that Government but arrangements regarding water supply will have to be made by the State Government.

Shri M. C. Daga : There is no scarcity of water nor of power there. The real problem is of mismanagement. I would like to know how many offices have been tightened up and held responsible all these years. In fact, the management is at fault.

Shri Sukhdev Prasad : So far as . . .

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य ने कर्मचारी वर्ग की कार्य-अकुशलता की ओर आपका ध्यान दिलाया है । आप कृपया नोट कर लें ।

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स द्वारा फिलामेन्ट लैम्प का बनाया जाना

+

*554. **श्री डी० बी० चन्नगौडा :**

श्री सी० के० जाफर शरीफ :

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान मशीन टूल्स की फिलामेंट लैम्पों का उत्पादन बड़े पैमाने पर करने की योजना है ; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना और उसके लिए दिये गए अपेक्षित आशय-पत्र की मुख्य बातें क्या हैं ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) तथा (ख) ग्लास-कम्पोनेन्ट, लेड-इन-वायर, कैप्स और टन्गस्टन के तार और लैम्प बनाने की मशीनों के साथ-साथ हैदराबाद स्थित अपने एकक में हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड की जी०एल०एस० लम्पों और फिलामेंटों का उत्पादन करने की योजनाएं हैं। छठ वर्ष तक 32 मिलियन जी०एल०एस० लैम्पों का उत्पादन करने का कार्यक्रम है। कम्पनी को आवश्यक आशयपत्र जारी कर दिया गया है। सरकार द्वारा अभी निवेश संबंधी निर्णय लिया जाना है।

श्री डी० बी० चन्द्रगौडा : ये उत्पादन योजनाएं कब क्रियान्वित की जाऐंगी, दूसरे, क्या देश की मांग को पूरा करने के लिए क्या 3 करोड़ 20 लाख जी०एल०एस० लैम्पों का लक्ष्य पर्याप्त होगा और तीसरे, क्या बंगलौर की तरह अन्य स्थान पर कोई एकक खोलने की मंत्रालय की योजना है ?

भारी उद्योग मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : कारखाने का शिलान्यास इस वर्ष नवम्बर में किया जाएगा और वास्तविक उत्पादन तीन वर्ष की अवधि में शुरू होगा। इस परियोजना में बल्ब बनाने के लिए संयंत्र लगाए जाएंगे। लेकिन साथ ही 3 करोड़ 20 लाख बल्ब भी बनाए जाएंगे ताकि संयंत्र बेचते समय हम क्रेताओं को प्रौद्योगिकी भी उपलब्ध करा सकें। अन्ततः शायद प्रतिवर्ष इन संयंत्रों के माध्यम से 8 श्रृन्खलाएं होंगीं और मैं मानता हूं कि छठी पंचवर्षीय योजना की पूरी पूरी आवश्यकताएं बल्ब बनाने वाले हिन्दुस्तान मशीन टूल्स संयंत्र से पूरी की जाएंगी।

श्री डी० बी० चन्द्रगौडा : बंगलौर के बारे में मंत्री महोदय ने कुछ नहीं बताया है।

श्री टी० ए० पाई : बल्ब सब जगह बेचे जाएंगे। इसमें बंगलौर भी शामिल है।

श्री डी० बी० चन्द्रगौडा : मेरे प्रश्न के अन्तिम भाग का उत्तर नहीं दिया गया। क्या बंगलौर में निर्माण एकक बनाने की कोई योजना है ?

श्री टी० ए० पाई : मशीनरी के उत्पादन के एक अंग के रूप में हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के बल्बों का उत्पादन केवल हैदराबाद में ही होगा। बंगलौर का कोई भी उद्यमी मशीनरी को खरीदकर बंगलौर में अपना अलग कारखाना लगा सकता है।

श्री डी० बी० चन्द्रगौडा : क्या फिलामेण्ट लैम्पों के निर्यात के लिए कोई प्रयत्न किए गए हैं और यदि हां, तो इससे कितनी विदेशी मुद्रा मिलने की आशा है ?

श्री टी० ए० पाई : इस समय देश में 14 करोड़ बल्ब बनते हैं और पूंजीगत वस्तुओं के मिलने के परिणामस्वरूप नए लग रहे कारखानों द्वारा साढ़े सात करोड़ बल्ब और बनाने की आशा है। इस प्रकार पांचवीं पंचवर्षीय योजना शुरू होने के शीघ्र बाद 30 करोड़ बल्ब बनने शुरू हो जाएंगे और मेरे विचार में निर्यात हेतु बल्ब नहीं बचेंगे।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

राज्यों की रोजगार क्षमता में वृद्धि

*552. **श्री रानेन सेन** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुछ राज्यों में अपनी रोज़गार क्षमता को बढ़ाया है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1972, वर्ष 1973 और व 9 74 में पश्चिम बंगाल, बिहार, आसाम, उड़ीसा, पंजाब, मनीपुर, अगरतला, उत्तर प्रदेश, केरल, मैसूर, गोआ, तमिलताडु, मध्य प्रदेश तथा आंध्र प्रदेश राज्यों में रोज़गार की प्रतिशतता में कितनी वृद्धि हुई है; और

(ग) इसी अवधि में उपरोक्त राज्यों में बेरोज़गारी की प्रतिशतता कितनी रही है ?

श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) सरकार रोज़गार अवसरों में वृद्धि करने क लिए सभी सम्भव कार्यवाही करती आ रही है। सामान्य विकास कार्यक्रमों के अतिरिक्त, हाल ही के वर्षों में बहुत सी विशिष्ट रोज़गार वर्धन स्कीमें जैसे (एक) ग्रामीण रोज़गार के लिए त्वरित स्कीम, (दो) शिक्षित बेरोज़गारों के लिए कार्यक्रम; (तीन) विशेष रोज़गार कार्यक्रम और (चार) पांच लाख रोज़गार कार्यक्रम, आरम्भ की हैं।

(ख) संबंधित राज्यों के संगठित क्षेत्र में रोज़गार में प्रतिशत वृद्धि संबंधी सूचना विवरण-एक में दी गई है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 8339/74**] यह रोज़गार कार्यालयों के माध्यम से एकत्र किए हुए आंकड़ों पर आधारित है।

(ग) संबंधित राज्यों में रोज़गार कार्यालयों के चालू रजिस्टर में दर्ज उम्मीदवारों की संख्या संबंधी सूचना विवरण दो में दी गई है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 8339/74**]

बोकारो इस्पात संयंत्र का विस्तार

*555. **श्रीमती पार्वती कृष्णन्** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बोकारो इस्पात संयंत्र का विस्तार करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिये कितनी धनराशि मंजूर की गई है और तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) अन्य किन वर्तमान इस्पात संयंत्रों का विस्तार किया जाएगा और उनके नाम क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) और (ख) बोकारो इस्पात कारखाने के 17 लाख टन पिन्ड के प्रथम चरण के क्रम में इस की क्षमता को 40 लाख टन पिण्ड तक बढ़ाने का फैसला बहुत पहल अर्थात् मार्च, 1974 में लिया गया था। तदनुसार यह काम हाथ में लिया गया और चौथी योजनावधि में इस विस्तार कार्य पर 125 करोड़ रुपये खर्च किये गये हैं। अस्थायी तौर पर अनुमान लगाया गया है कि विस्तार कार्य पर कुल 513 करोड़ रुपये की लागत आयेगी परन्तु हो सकता है कि मेटालार्जीकल एण्ड इंजीनियरिंग कन्सलटेंट (इंडिया) लि० द्वारा विस्तृत प्रायोजना प्रतिवेदन को पूरी तरह अद्यतन करने के पश्चात् इस राशि में कुछ परिवर्तन करना पड़ें।

बोकारों इस्पात कारखाने के 40 लाख टन पिण्ड के विस्तार के लिए समन्वित निर्माण समय-सूची में, जिसे पिछले वर्ष अन्तिम रूप दिया गया था, यह परिकल्पना की गई है कि निर्माण कार्य तथा उपकरण लगाने का काम दिसम्बर, 1976 तक पूरा हो जाएगा और मार्च, 1977 तक उत्पादन होने लगेगा।

इस कारखाने की क्षमता को और बढ़ाकर 47.5 लाख टन पिण्ड करने का फैसला किया गया है। विस्तार की यह दोनों योजनाएं सोवियत रुस के सहयोग तथा सहायता से कार्यान्वित की जा रही है।

(ग) भिलाई इस्पात कारखाने की वार्षिक क्षमता को 25 लाख टन इस्पात पिन्ड से बढ़ाकर 40 लाख टन इस्पात पिण्ड करने का प्रस्ताव है।

खनिज विकास

*556. **श्री राम प्रकाश :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने खनिज विकास के लिये राज्यों को कोई सहायता न देने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कर्नाटक तट पर मिश्र गुटिका (ब्लेंडिड पैल्लेटाइजेशन) संयंत्र

*557. **श्री बी० वी० नायक :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक तट पर, जहां निर्यात के लिए निम्न ग्रेड के समुद्रतटीय अयस्क (कोस्टल ओर) को उच्च ग्रेड के होस्पेट अयस्क में मिश्रित किया जा सकता है, मिश्र गुटिका संयंत्र चालू करन का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) और (ख) पैलेट बनाने के कारखाने की स्थापना के लिए कर्नाटक राज्य के तटवर्ती क्षेत्रों के निम्न ग्रेड के खजिनों का इस्तेमाल करने के अलावा कोई अन्य प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

Requirement of Finished Steel

*558. **Shri M. C. Daga :** Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) India's requirement of finished steel and the quantity being produced indigenously;

(b) the quantum of steel India had to import during 1972-73 and 1973-74 and the names of the countries from which it was imported and the foreign exchange India had to pay for it; and

(c) the time by which the country is expected to achieve self-sufficiency in steel?

The Minister of Steel and Mines (Shri K. D. Malaviya) : (a) to (c) The total demand for finished steel in 1974-75 is expected to be about 7.2 million tonnes and the estimated indigenous availability would be about 6 million tonnes. The shortfall between the

demand and indigenous availability is proposed to be met through imports. The country-wise import of iron and steel during 1972-73 and 1973-74 (April-December) is furnished in the statement below :

Country-wise import of Iron and Steel during 1972-73 *and* 1973-74 (*April-December*)

Country	1972-73	1973-74 April-December
A—Quantity in tonnes		
Belgium	56,492	50,976
Czechoslovakia	16,696	14,682
France	20,669	12,906
Federal Republic of Germany	1,27,393	71,045
German Democratic Republic	10,474	9,351
Japan	3,73,582	3,05,538
Poland	36,275	18,143
U. K.	2,67,061	85,050
U. S. A.	32,162	27,765
U. S. S. R.	40,167	24,360
Others	2,56,112	1,08,879
TOTAL	12,37,083	7,28,695
B—Value (*Rs. in* '000)		
Belgium	8,46,67	10,54,34
Czechoslovakia	3,34,84	3,45,81
France	4,84,71	4,12,76
Federal Republic of Germany	25,99,60	20,86,86
German Democratic Republic	2,01,31	1,58,78
Japan	62,76,93	64,45,63
Poland	4,58,55	3,87,05
U. K.	52,60,30	20,91,42
U. S. A.	7,12,99	5,78,22
U. S. S. R.	8,25,17	6,96,48
Others	40,09,57	22,25,90
TOTAL	220,10,64	164,83,25

The steel development programme in the Fifth Plan has been drawn up in such a manner as to aim at near self-sufficiency with regard to mild steel by the end of the Fifth Plan period. There would, however, be surpluses in certain categories and deficits in certain others, which would mean that imports may still continue.

मेडिकल कालेजों द्वारा छात्रों से प्रति व्यक्ति फीस या दानराशि का लिया जाना

*559. **श्री शंकरराव सावन्त** : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में किन-किन मेडिकल कालेजों द्वारा छात्रों से प्रति व्यक्ति फीस या दान लिया जाता है;

(ख) प्रत्येक कालेज में यह फीस या दान-राशि कितनी ली जाती है; और

(ग) इस अशोभनीय परम्परा को समाप्त करने के लिए क्या प्रयास किये जा रहे हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) प्रति व्यक्ति फीस/दान लेने वाले प्राइवेट मेडिकल कालेजों की दो श्रेणियां हैं। एक वे मेडिकल कालेज जिन की डिग्री को भारतीय चिकित्सा परिषद्, द्वारा मान्यता दी गई है और दूसरे जिन की डिग्री को इस परिषद् द्वारा अभी मान्यता नहीं दी गई है। पहली श्रेणी वाले कालेज इस प्रकार हैं :—

1. ककातिया मेडिकल कालेज, वारंगल
2. रंगाराय मेडिकल कालेज, काकीनादा
3. कस्तूरबा मेडिकल कालेज, मनीपाल
4. मेडिकल कालेज, गुलबर्ग
5. जे० एल० एन० मेडिकल कालेज, बेलगांव
6. जे० जे० एम० मेडिकल कालेज, देवनगिर
7. एम० जी० एम० मेडिकल कालेज, जमशेदपुर।

दूसरी श्रेणी वाले कालेज इस प्रकार हैं :—

1. नालंदा मेडिकल कालेज, पटना
2. पाटलीपुत्र मेडिकल कालेज, पटना
3. श्री कृष्ण मेडिकल कालेज, मुजफ्फरपुर
4. मगध मेडिकल कालेज, गया
5. गुरु गोविन्द सिंह मेडिकल कालेज, फरीदकोट।

(ख) प्रति व्यक्ति फीस अथवा दान की राशि एक कालेज से दूसरे कालेज में काफी भिन्न भिन्न है। जो सूचना हमारे पास उपलब्ध है उसके अनुसार यह 5,000 रुपये और 25,000 रुपये के बीच है। विदेशी छात्रों से अधिक प्रति व्यक्ति फीस वसूल की जाती है।

(ग) प्राइवेट कालेजों के कार्य संचालन के नियमन सम्बन्धी कानून लागू करने के प्रश्न पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।

हिन्द महासागर में चीन की नौसैनिक गतिविधियां

*560. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान अंग्रेजी के एक स्थानीय दैनिक समाचार पत्र में 'चाईनीज नेवल एक्टिविटीज इन इण्डियन ओशन इन्क्रीज' (हिन्द महासागर में चीन की नौसैनिक गतिविधि में वृद्धि) शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या चीन के युद्धपोत और पनडुब्बियां हिन्द महासागर में प्रायः दिखाई देने लगी हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) सरकार को हिन्द महासागर में चीनी नौसैनिक जहाजों के आवागमन में ऐसी किसी वृद्धि की कोई जानकारी नहीं है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

दिल्ली के कनिष्ठ डाक्टर एसोसिएशन महासंघ द्वारा प्रस्तुत मांग पत्र

***561. श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिली के कनिष्ठ डाक्टर एसोसिएशन महासंघ द्वारा हाल ही में प्रस्तुत किये गये मांग पत्र पर सरकार ने विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यावाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) सरकार को दिल्ली के जूनियर डाक्टर एसोसिएशन के फैडरेशन से हाल में कोई मांग पत्र प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

ग्रांड स्मिथी वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड

***562. श्री कार्तिक उरांव : क्या इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रांड स्मिथी वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड, कलकत्ता से नियमित रूप से लोहा और स्क्रैप सामग्री खरीदता रहा है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त कम्पनी द्वारा हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड, कलकत्ता से या किसी अन्य इस्पात संयंत्र से सीधे लोहा और स्क्रेप तथा अन्य वस्तुओं की पहली बार की गई खरीद के बाद उसे की गई बिक्री की मुख्य बातें क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री क० डी० मालवीय) : (क) जी, हां ।

(ख) मार्च-जुलाई, 1973 की अवधि में हिन्दुस्तान स्टील लि० के विक्रय कार्यालय ने कई पार्टियों से कुल मिलाकर 50 हजार टन इनगट मोल्ड स्क्रेप के लिए आर्डर बुक किये थे। इन पार्टियों में ग्रेंड स्मिथी वर्क्स (प्रा०) लि० भी एक पार्टी है । उनके लिए 27,000 टन की मात्रा रखी गई थी परन्तु दिसम्बर, 1973 तक इस आर्डर पर उन्हें केवल 8,200 टन माल सप्लाई किया गया और उसके पश्चात् और कोई प्रेषण नहीं किये गये हैं । पिछले 5 वर्षों में हिन्दुस्तान स्टील लि० के विक्रय कार्यालय द्वारा केवल इसी पार्टी को स्क्रैप बेचा गया है । इस अवधि से पहले की अवधि में विक्रय कार्यालय द्वारा बिक्री के सम्बन्ध में तथा हिन्दुस्तान स्टील लि० के कारखानों से सीधी बिक्री के बारे में जानकारी तत्काल उपलब्ध नहीं है ।

भूभागी सागरों के सम्बन्ध में नौ राष्ट्रों की योजना

*563. **श्री प्रसन्न भाई मेहता :**
श्री वी० मायावन :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका ने भूभागी सागरों के संबंध में नौ राष्ट्रों की योजना को अस्वीकार कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या भारत ने भी इस प्रस्ताव का समर्थन किया था; और

(घ) क्या सागर संबंधी सम्मेलन ने इस बारे में कोई समझौता प्रस्ताव प्रस्तुत किया था ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेंद्र पाल सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) नौ राष्ट्रों के प्रस्तावकों में भारत भी एक था ।

(घ) नौ राष्ट्रों के प्रस्ताव के अन्तर्गत आने वाले विषयों पर अभी तक कोई सहमत प्रस्ताव नहीं रखा गया है हालाँकि कई प्रतिनिधिमंडलों द्वारा इन विषयों पर अलग से प्रस्ताव रखे गये हैं ।

दुर्गापुर मिश्र इस्पात संयंत्रों में स्टेनलैस इस्पात चादरों का उत्पादन

*564. **श्री डी० के० पंडा** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुर्गापुर मिश्र इस्पात संयंत्रों में उत्पादित स्टेनलैस स्टील की कुछ किस्म की चादरों के मूल्य और वितरण सम्बन्धी नीति के बारे में अनिर्णय की स्थिति के परिणामस्वरूप उत्पादन में कमी हुई है और उपभोक्ताओं को गत नौ महीनों से इस माल की उपलब्धता अनिश्चित हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस समस्या के समाधान के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

इस्पात और खान मंत्री में (श्री के० डी० मालवीय) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के श्रमिकों की ओर से सुझाव

*565. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के श्रमिकों के कुछ नेता प्रधान मंत्री से मिले थे और मंत्रालय के लिये चिन्ता का विषय बने हुए उक्त कारखाने के उत्पादन में सुधार करने के बारे में अपने सुझाव दिये थे;

(ख) यदि हां, तो क्या मजदूर नेताओं ने कारखाने के प्रबन्ध में 3 स्तर वाली प्रशासनिक व्यवस्था में परिवर्तन करने की मांग की है; और

(ग) यदि हां, तो मजदूर प्रतिनिधियों द्वारा दिये गये सुझावों की मुख्य बातें क्या हैं जिनसे अन्तर्संघीय और एक ही संघ के अन्दर प्रतिवंद्विता समाप्त की जा सके और कारखाने का उत्पादन बढ़ाया जा सके एवं इन के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) से (ग) इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस के महा-सचिव श्री जी० रामनाथन 5 अगस्त, 1974, को प्रधान मंत्री से मिले थे। बातचीत के दौरान उन्होंने सामान्य रूप से दुर्गापुर इस्पात कारखाने की समस्याओं के बारे में बताया था। उन्होंने लिखित रूप में कोई सुझाव नहीं दिये थे।

Transport Facility to Doctors for attending to emergency cases

***566. Shri Mahadeepak Singh Shakya :** Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether means of transport are not available to doctors in many rural hospitals for attending to emergency cases ;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) whether Government have a concrete scheme for this?

The Minister of Health and Family Planning (Dr. Karan Singh) : (a) to (e) Vehicles have been supplied to most of the Primary Health Centres in the country, either by way of UNICEF assistance or under the Family Planning Programme. As soon as the remaining centres fulfil the criteria laid down by the UNICEF, they will become eligible for supply of vehicles.

इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी में कथित अनियमितताएं और त्रुटियां

567. श्री भगतराम राजाराम मनहर :
श्री यमुना प्रसाद मण्डल :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी में कथित अनियमितताओं और त्रुटियों के बारे में शिकायतों की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) जी, हां।

(ख) इस मामले की जांच की जा रही है।

भारी इंजीनियरिंग निगम, रांची

***568. श्री एन० ई० होरो :** क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है कि रांचि स्थित भारी इंजीनियरिंग निगम चालू वित्तीय वर्ष के दौरान घाटा न होने की स्थिति में आ जाय; और

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक मास का लक्ष्य क्या है ताकि कार्य-निष्पादन का सही मूल्यांकन हो सके ?

भारी उद्योग मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण सभापटल पर रखा जाता है। **[संचालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 8340/74]**

भारत और इण्डोनेशिया के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान के बारे में विचार विमर्श

3880. **श्री मधू लिमये :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और इंडोनेशिया की सरकारों के बीच दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक आदान–प्रदान के बारे में हाल ही में कोई विचार–विमर्श हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1974–75 के लिये इस सम्बन्ध में क्या ठोस कार्यक्रम तैयार किये गये हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख) जी, हां। अगस्त 1974 के शुरू में जो पांचवीं भारत–इण्डोनेशिया वार्षिक दिवपक्षीय वार्ता हुई उसमें सांस्कृतिक आदान–प्रदान को बढ़ावा देने के कई सुझावों पर विचार हुआ। इण्डोनेशिया पक्ष का कथन था कि जहां तक उनका सम्बन्ध है, वे वार्षिक कार्यक्रम के आधार पर नहीं बल्कि ठोस कार्यक्रम के अनुसार कार्य करते हैं।

बिक्री योग्य इस्पात के उत्पादन में कमी

3881. **श्री डी० डी० देसाई :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1973–74 से बिक्री योग्य इस्पात के उत्पादन में कमी हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ग) क्या इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार प्रयास कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सबन्धी रुपरेखा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) जी, हां। वर्ष 1973–74 में पांच मुख्य इस्पात कारखानों का विक्रेय इस्पात का कुल उत्पादन वर्ष 1972–73 के 47.93 लाख टन के मुकाबिले में 43.53 लाख टन था।

(ख) वर्ष 1973–74 में मुख्यत: निम्नलिखित कारणों से उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा–

(1) बिजली में भारी कटौती और बिजली की सप्लाई में रुकावट आने के कारण विशेष रुप से अप्रैल से नवम्बर, 1973 के मध्य की अवधि में इन कारणों से भिलाई को छोड़कर सभी इस्पात कारखानों के उत्पादन पर सीधा प्रभाव पड़ा।

(2) इस अवधि में कोयले की अपर्याप्त उपलब्धि ने, जो बिजली की कटौती और बिजली को सप्लाई में रुकावट आने के कारण ही थी, समस्त झरिया कोयला क्षेत्र पर प्रभाव डाला और इसके कारण कोयला शोधनशालाओं और कोयला खानों के परिचालन में कमी करनी पड़ी जिसका सभी इस्पात कारखानों के उत्पादन पर प्रभाव पड़ा।

(3) अगस्त, 1973 और फिर नवम्बर, 1973 के अन्त में धीमी गति से काम करने और रेलवे में, विशेषरुप से दक्षिण–पूर्वी और पूर्वी रेलवे में श्रमिक अशान्ति के कारण कोयले तथा दूसरे कच्चे माल तथा तैयार इस्पात की ढुलाई पर प्रभाव पड़ा और कच्चे माल की निम्नतम आवक को देखते हुए उत्पादन में भारी कटौती करनी आवश्यक हो गई।

(ग) और (घ) वर्ष 1974–75 के उत्पादन लक्ष्य, वर्ष 1973–74 की तुलना में अधिक हैं, जो बिजली, अन्य आवश्यक आदानों और रेल यातायात की आवश्यकताओं तथा सम्भाव्य आपूर्ति और उपलब्धि का अनुमान लगाकर सभी सम्बन्धित अभिकरणों से परामर्श करके निर्धारित किए गए हैं। इन अभिकरणों के साथ सतत् सम्पर्क बनाए रखा जा रहा है ताकि इनकी आवश्यकताओं की आपूर्ति अथवा उपलब्धि में कमी के कारण उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

कोयला खनन के लिए जापानी फर्म को अनुमति देना

3882. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एक जापानी फर्म की उत्पादन की नई प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हुए उड़ीसा में तल्यर नामक स्थान पर कोयला खनन की अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या इसी तरह की प्रौद्योगिकी अन्य कोयला खानों में भी प्रयुक्त की जायेगी; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार समस्त भारत में प्रयोग करने हेतु इस प्रौद्योगिकी को खरीदने का है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) जी, नहीं ।

(ख) से (घ) : प्रश्न नहीं उठता ।

पाकिस्तान द्वारा हिन्द महासागर में बड़ी शक्तियों की उपस्थिति की मांग

3883. **श्री वनमाली पटनायक** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान इस क्षेत्र में अन्य देशों के खिलाफ शक्ति के संतुलन के रूप में हिन्द महासागर में बड़ी शक्तियों की उपस्थिति की मांग कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) सरकार ने पाकिस्तान के सरकारी प्रवक्ता के इस आशय के वक्तव्य पर प्रेस टिप्पणी देखी है ।

(ख) इस तरह की कार्रवाई संयुक्त राष्ट्र के उस प्रस्ताव के प्रतिकूल होगी जिसमें हिन्द महासागर को शांति का क्षेत्र घोषित किया गया है, जिस पर भारत और अधिकांश तटवर्ती राष्ट्रों ने स्वीकृति दी है ।

रक्षा सेवाओं के लिए इमारतों, सड़कों तथा हवाई अड्डों का निर्माण करने के लिए ठेके

3884. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक :**
श्री वीरेन्द्र सिंह राव :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वे कौन-कौन से ठेकेदार हैं जिन्हें 1971 से 30 जून, 1974 की अवधि में 10 लाख रुपए से अधिक ठेक सरकार द्वारा रक्षा सेवाओं के लिए इमारतों, सड़कों तथा हवाई अड्डों का निर्माण करने के लिए दिय गये हैं;

(ख) प्रत्येक मामले में कितनी धनराशि अन्तर्गस्त है; और

(ग) क्या प्रत्येक मामले में निर्माण कार्य समय पर पुरा हुआ है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

पोलियो वैक्सिन का उत्पादन

3885. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम** : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंदरों का आयात करने के लिये धनराशि की कमी से पोलियो वैक्सीन के उत्पादन में काफी कमी हुई है; और

(ख) यदि हां, तो उत्पादन कितना कम हुआ है और इस समस्या को हल करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कू) : (क) जी नहीं, यह कमी खास कर तकनीकी कठिनाइयों, समय समय पर बिजली चली जाने आदि के कारण है ।

(ख) लगे हुए संयंत्रों के हिसाब से त्रिवैक्सीन की प्रतिवर्ष 12.50 लाख मात्राएं तैयार हो सकती हैं जब कि 1972–73 और 1973–74 में वस्तुतः क्रमशः 1,72,500 और 19,350 मात्राएं तैयार हुई हैं ।

उत्पादन में कमी के कारण जानने और उन्हें दूर करने के लिए अध्ययन किये जा रहे है ।

पांचवीं योजनावधि में इस्पात उत्पादन लक्ष्य

3886. **श्री एस० ए० मूरुगनन्तम** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पांचवी योजनावधि में इस्पात के उत्पादन का कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है और इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : पांचवीं पंचवर्षीय में इस्पात विकास कार्यक्रम इस ढंग से बनाया गया है कि घरेलु मांग को पूरा करने के लिए 1978–79 तक एक करोड़ टन विक्रेय साधारण इस्पात उपलब्ध हो सकेगा । वर्तमान सर्वतोमुखी इस्पात कारखानों की कुल वार्षिक क्षमता 89 लाख टन इस्पात पिण्ड की है जो 65 लाख टन तैयार इस्पात के समतुल्य है । 1978–79 तक बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए भिलाई इस्पात कारखाने की वर्तमान क्षमता को 25 लाख टन पिण्ड से बढ़ाकर लगभग 40 लाख टन पिण्ड करने तथा बोकारो इस्पात कारखाने का विस्तार कार्य जारी रखकर इसकी क्षमता को 47.5 लाख टन पिण्ड करने का प्रस्ताव है । इस प्रकार 62.5 लाख टन पिण्ड की अतिरिक्त क्षमता जो 54 लाख टन इस्पात के बराबर है, उपलब्ध हो जायेगी । विस्तार योजनाओं के अन्तर्गत भिलाई और बोकारो में उत्पादन आरम्भ हो जाने के पश्चात् तथा अन्य सर्वतोमुखी कारखानों में क्षमता के उपयोग की सम्भावनाओं को ध्यान में रखते हुए यह अनुमान लगाया है कि वर्ष 1978–79 तक सर्वतोमुखी इस्पात कारखानों से लगभग 88 लाख टन तैयार इस्पात उपलब्ध होगा । पांचवी योजनावधि के अन्त तक विद्युत चाप भट्टी इकाइयों से कम से कम 10 लाख टन की छड़ों और गोल छड़ों के उत्पादन की सम्भावना है । इस प्रकार वर्ष 1978–79 के अन्त तक साधारण इस्पात की कुल देशीय उपलब्धि लगभग 98 लाख टन हो जायेगी जिससे अनुमानित घरेलू मांग की लगभग पूर्ति हो जायेगी ।

इस्पात संयंत्रों के लिए पुर्जों का आयात

3887. **श्री कृष्ण चन्द्र हालदर** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत इस्पात संयंत्रों के लिये आवश्यक पुर्जों का आयात कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो 1970–71, 1971–72 और 1972–73 के वर्षों में इनकी प्रतिशतता क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) (क) जी, हां ।

(ख) जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ?

ईरान के साथ संबंध सुधारने के लिए अनुवर्ती कार्यवाही

3888. **श्री मधू लिमये** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री तथा विदेश मंत्री द्वारा ईरान की यात्रा करने के बाद उनके साथ संबंध सुधारने की दृष्टि से कोई अनुवर्ती कार्यवाही की गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) विचाराधीन मुख्य प्रस्तावों का संबंध इन विषयों से है: भारत में लोहे की खानों का विकास और विद्युत तथा पत्तन सुविधाओं सहित पेलेटाइजेशन संयंत्र की स्थापना– ईरान को निर्यात के लिए भारत में एलुमिना परियोजना की स्थापना; संयुक्त भारत–ईरान जहाजरानी सेवा की स्थापना और ईरान को निर्यात करने के लिए भारत की औद्योगिक क्षमताओं का विकास । एलुमिना परियोजना के बारे में ईरान के प्राधिकारियों के साथ प्राथमिक बातचीत जुलाई में हुई है और इस परियोजना के बारे में तथा लौह–खनिज परियोजना, औद्योगिक क्षमता में वृद्धि तथा संयुक्त जहाजरानी सेवा के बारे में आगे बातचीत शीघ्र करने का विचार है । ईरानी प्राधिकारियों ने डाक्टरों, पशु चिकित्सकों, दस्तकारी, चाय एवं मत्स्य–पालनविशेषज्ञों की भर्ती के लिए अनुरोध किया है जिस पर कार्यवाही की जा रही है । प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण के लिए यंत्रीकृत दस नावें और चालक–दल ईरान भेजा गया है । एक दीर्घवधि व्यापार समझौते पर बातचीत चल रही है और विभिन्न जिनसों एवं तैयार माल के निर्यात के लिए वाणिज्यिक अनुबंधों पर विचार–विमर्श चल रहा है ।

ट्रैक्टर के मूल्यों में वृद्धि

3889. **श्री मधू लिमये :**

डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय :

क्या भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ट्रैक्टर के विक्रय मूल्य में वृद्धि करने का निर्णय किया है;

(ख) यह वृद्धि कितनी होगी;

(ग) क्या इस संबंध में खाद्य तथा कृषि मंत्रालय से परामर्श किया गया था; और

(घ) उक्त वृद्धि की स्वीकृति देने के क्या कारण है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) दिनांक 10-6-74 से ट्रैक्टर निर्माताओं की ट्रैक्टरों के बिक्री मूल्य में प्रति ट्रैक्टर 1515 रुपये से 8110 रुपये की वृद्धि की अनुमति दे दी गई है ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) इस मूल्य वृद्धि की अनुमति कच्चे माल के मूल्यों पुर्जों और ऊपरी व्यय में हुई वृद्धि के कारण दी गई है ।

अमरीका के विदेश मंत्री द्वारा भारत के दौरे का स्थगित किया जाना

3890. **श्री मधु लिमये :**

श्री डी० पी० जदेजा :

श्री वेकारिया :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका सरकार के कहने पर अमरीका के विदेश मंत्री द्वारा दौरा स्थगित कर दिया गया था;

(ख) क्या इसका राजस्थान में किये गये परमाणु विस्फोट के साथ कोई सम्बन्ध है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) उनका यह दौरा अब कब होगा ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) से (ग) अमरीका के विदेश मंत्री की भारत यात्रा में विलम्ब का भारत के शान्तिमय परमाणु परीक्षण से कोई सम्बन्ध नहीं है। विलम्ब का कारण है उनका पश्चिम एशिया में व्यस्त रहना तथा अमरीका की आन्तरिक घटनाएं।

(घ) यात्रा, निकट भविष्य में होने वाली है उसकी ठीक-ठीक तारीख परस्पर परामर्श के बाद घोषित की जाएगी।

कोयला खान प्राधिकरण के कर्मचारी

3891. **श्री मोहम्मद इस्माइल : क्या इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या कोयला उद्योग में समानता लाने के लिए कोयला खान प्राधिकरण के मजूरी बोर्ड के अन्तर्गत आने पर यहां के कर्मचारियों को वही लाभ प्रदान किये जायेंगे जो राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के कर्मचारियों को दिये जा रहे हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के कोयला खान मजदूरों को, मजदूरी बोर्ड को स्वीकृत अनुशंसाओं के अन्तर्गत प्राप्त लाभों को कोयला खान प्राधिकरण के कामगारों को पहले ही सुलभ करा दिया गया है।

हिन्दुस्तान स्टील कन्स्ट्रक्शन वर्क्स लिमिटेड के श्रमिकों द्वारा हड़ताल

3892. **श्री मोहम्मद इस्माइल : क्या इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान स्टील कन्स्ट्रकशन वर्क्स लि० के लगभग 11,000 श्रमिकों ने 25 अप्रैल, 1974 को हड़ताल की थी;

(ख) इन श्रमिकों की मांगें क्या थी; और

(ग) श्रमिकों की मांगों को पूरा करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) जी, हां। हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लि० के कुल 12,500 विभागीय बिहाड़ी मजदूरों में से लगभग 11,000 मजदूरों ने प्रबन्धकों द्वारा अपनी मांगें मनवाने के लिए 25 अप्रैल, 1974 से हड़ताल की थी। यह हड़ताल 6 मई, 1974 को समाप्त कर दी गई थी।

(ख) मजदूरों की मुख्य मांगे निम्नलिखित थी :—

(1) उन्हें आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम मजदूरी दी जाय। उन्हें मासिक आधार पर वेतन तथा महंगाई भत्ता दिया जाय और निर्वाह निधि, छुट्टी तथा चिकित्सा सुविधाएं आदि दी जाएं।

(2) विभिन्न ग्रडो में पदोन्नति के लिए पर्याप्त अवसर दिए जाए।

(ग) प्रबन्धकों ने फैसला किया है कि उन सभी बिहाड़ी मजदूरों को जिन्होंने 2 साल तक काम किया है मासिक आधार पर वेतन दिया जायेगा। इससे उन्हें ग्रेड के हिसाब से वेतनमान के अनुसार वेतन तथा महंगाई भत्ता, निर्माण-भत्ता, भविष्य निधि का लाभ, छुट्टी और चिकित्सा सुविधाएं मिलेंगी।

आन्ध्र प्रदेश में विस्फोटक संयंत्र

3893. **श्री अरविन्द एम० पटेल :**

श्री डी० पी० जदेजा :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश में सरकारी क्षेत्र में एक स्लरी विस्फोटक संयंत्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस संयंत्र की वार्षिक उत्पादन क्षमता तथा अनुमानित लागत क्या है; और

(ग) यह संयंत्र कब तक स्थापित किया जायेगा ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) जी हां, आंध्र प्रदेश में रामगुंडम नामक स्थान पर एक तरल विस्फोटक कारखाना लगाने का एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

(ख) प्रस्तावित कारखाने की वार्षिक क्षमता 15,000 टन होगी। कारखाने की पूंजीगत लागत लगभग 6 करोड़ रुपए आंकी गई है।

(ग) इस कारखाने के मंजूरी की तारीख से 30 महीने के अन्दर बनकर तैयार हो जाने की आशा है।

राज्यों में नसबन्दी के मामले

3894. **श्री अरविन्द एम० पटेल :**

श्री डी० पी० जदेजा :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान नसबन्दी के कितने मामले हुए है;

(ख) किस राज्य में इसका सबसे अधिक औसत रहा है; और

(ग) क्या इस क्षेत्र में हुई प्रगति संतोषजनक है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री कोंडाजी बासप्पा) : (क)

वर्ष	किए गये मामलों की संख्या
1971-72	2,187,336
1972-73	3,121,426 **
1973-74	915,204 **

(ख) महाराष्ट्र

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान नसबन्दी के लिए निर्धारित किए गये लक्ष्यों के मुकाबले में उपलब्धि का प्रतिशत इस प्रकार है :—

1971-72 . . .	105.2 प्रतिशत
1972-73	54.8 प्रतिशत **
1973-74 .	40.4 प्रतिशत **

अखिल भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा डिग्रियों को मान्यता प्रदान करना

3895. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रसिद्ध लुमुम्बा फ्रेंडशिप यूनिवर्सिटी सहित सोवियत संघ में केन्द्रीय विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदान की गई कुछ मैडिकल डिग्रियों को अखिल भारतीय चिकित्सा परिषद् ने मान्यता प्रदान की है;

(ख) अन्य कौन कौन से देश हैं जिनकी मेडिकल डिग्रियों को भारत द्वारा मान्यता नहीं दी गई है और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) विदेशों की मेडिकल डिग्री को मान्यता प्रदान करने के क्या मानदण्ड हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० किस्कू) : (क) चिकित्सा योग्यताओं को पारस्परिक आधार पर मान्यता देने के बारे में सोवियत संघ और भारत के बीच कोई पारस्परिकता नहीं है। फिर भी, सोवियत संघ निम्नलिखित चिकित्सा योग्यताएं यदि भारतीय छात्रों के पास हों तो उन्हें भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 के अधीन मान्यता दे दी जाती है :—

जनरल फिजीशियन (मास्को मेडिकल इंस्टीटयूट, प्रथम और द्वितीय) जनरल फिजीशियन (पैट्रिक लुमुम्बा फ्रैंडशिप यूनिवर्सिटी, मास्को मेडिकल साइन्स (रूस) के छात्र इंस्टीट्यूट आफ थेरेपी आफ दि अकादमी आफ मेडिकल साइन्स आफ यू० एस० एस० आर० द्वारा प्रदत्त मेडिसिन की डिग्री।

(ख) भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 के उपबन्धों के अधीन भारतीय चिकित्सा परिषद को चिकित्सा अर्हताओं को पारस्परिक आधार पर मान्यता प्रदान करने के बारे में अन्य देशों के साथ पारस्परिकता की किसी योजना के बारे में बातचीत करने का अधिकार प्राप्त है। इस समय केवल ब्रिटेन, माल्टा और विक्टोरिया (आस्ट्रेलिया) के साथ पारस्परिकता के आधार पर मेडिकल डिग्रियों को मान्यता देने की व्यवस्था है।

(ग) भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 के अधीन भारतीय चिकित्सा परिषद से परामर्श करने के बाद चिकित्सा अर्हताओं को चाहे वे भारतीय हों अथवा विदेशी, मान्यता प्रदान की जाती है। अर्हता के स्तर के बारे में उसका समाधान हो जाने के बाद ही यह परिषद सिफारिश करती है।

**आंकडे अनन्तिम हैं।

जयपुर उद्योग लिमिटेड सीमेन्ट फैक्टरी द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि का जमा न करवाया जाना

3896. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या **श्रम** मंत्री 9 मई, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 9733 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आलोक उद्योग समूह के स्वामित्व वाली मैसर्स जयपुर उद्योग लिमिटेड सीमेंट फैक्टरी ने फरवरी और मार्च, 1974 की भविष्य निधि की देय राशि का भुगतान कर दिया है;

(ख) क्या इस कम्पनी ने भविष्य निधि के अंशदानका भुगतान करने में कोई और त्रुटि की है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और उसको वसूल करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : भविष्य निधि प्राधिकारियों ने निम्न-प्रकार सूचित किया है :—

(क) जी नहीं ।

(ख) जी हां ।

(ग) फरवरी और मार्च, 1974 के लिए भविष्य निधि अंशदानों की बाबत नियोजकों का भाग प्राप्त नहीं हुआ है। राजस्व वसूली कार्यवाहियां शुरू की गई हैं।

अप्रैल, 1974 के महीने के लिए भविष्य निधि अंशदान चेक द्वारा अदा किए गये हैं और उसे बैंक में भेज दिया गया है। मई और जून के महीनो के लिए भविष्य निधि अंशदानों का भुगतान नहीं किया गया है। क्षेत्रीय आयुक्त ने 30-7-1974 को वसूली प्रमाणपत्र जारी कर दिया है और जून, 1974 के महीने के लिए 20-8-74 को मूल्यांकन आदेश जारी कर दिया गया है। कर्मचारी भविष्य निधि और परिसर पेंशन निधि अधिनियम की धारा 14क और भारतीय दंड संहिता की धारा 406/409 के अन्तर्गत नोटिस जारी किए गए हैं।

राजधानी के ब्लैड बैंक

3897. **श्री विश्वनाथ झुंझुनवाला :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारका ध्यान दिनांक 27 मई, 1974 के अंग्रेजी दैनिक में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि राजधानी के प्राइवेट ब्लड बैंक अच्छा स्तर का रक्त रख रहे हैं जब कि सरकारी ब्लड बैंकों में नहीं दिया जा रहा है ;

(ख) क्या सरकारी अस्पतालों में रक्त लेने से पूर्व सूक्ष्म परीक्षण नहीं किये जाते है और इसलिये अनेक रक्तदाता अपने रोग को छुपाये रखते हैं और जिसके कारण जीवाणुओं का अन्तरण होता है; और

(ग) यदि हां, तो सरकारी अस्पतालों के ब्लड बैंकों में स्तर को अच्छा बनाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) जी हां । फिर भी, यहां यह बतला दिया जाएगा कि सरकारी रक्त बैंक जिन मानकों का पालन करते हैं वे प्राइवेट रक्त बैंको के मानकों से किसी भी दशा में घटियां नहीं हैं।

(ख) जी नहीं। आस्ट्रेलियन एण्टिजन को छोड़ कर, अधिकतर रक्त जन्य बीमारियो के संचरण को रोकने के मामले में बड़ी सावधानी बरती जाती है।

(ग) आस्ट्रेलियन एण्टिजन के परीक्षण की व्यवस्था शीघ्र ही कर दी जायेगी ।

पांचवीं पंचवर्षीय योजना में होम्योपैथी के कालेज तथा अस्पताल खोलना

3898. **श्री एम० के० कृष्णन** : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पांचवी पंचवर्षीय योजना में सरकार द्वारा होम्योपैथी के कितने कालेज तथा अस्पताल खोले जा रहे हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : भारत सरकार का पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कोई होम्योपैथिक कालेज तथा अस्पताल खोलने का इरादा नहीं है क्योंकि ये राज्य सरकार के विषय हैं।

राष्ट्रीयकरण से पूर्व कोयला खानों के कर्मचारियों की सेवा

3899. **श्री विजय मोदक** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण से पूर्व सेवा में लिये गये सभी कर्मचारियों की कुल विगत सेवा उपदान और पेंशन के भुगतान के समय, जो उनको उनके भूतपूर्व कम्पनियों से मिलना था, जारी समझी जायेगी और उनको इस प्रकार से बनने वाली राशि का भुगतान कोल माइन्स अथारिटी लिमिटेड तथा भारत कोंकिंग कोल लिमिटेड द्वारा किया जायेगा ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

Indian and Foreign Nationals working in Indian Embassy in U.S.A.

3900. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) the present number of Indian and foreign nationals working in Indian Embassy in U.S.A.; and

(b) the expenditure incurred in Indian currency and foreign exchange on their pay and allowances during the financial year 1973-74.

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) :

(a)	(i) Indian Nationals	107
	(ii) Foreigners	11
(b)	Indian currency	Rs. 6,523·55
	Foreign Exchange	US£ 9,38,964·57
	equivalent of	Rs. 68,34,723.10.

Indian and Foreign Nationals working in Indian Embassy in USSR

3901. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) the present number of Indian and foreign nationals working in Indian Embassy in U.S.S.R., and

(b) the expenditure incurred in Indian currency and foreign exchange on their pay and allowances during the financial year 1973-74 ?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) & (b) The information is given in the statement attached.

STATEMENT

The Number of Indian and Foreign Nationals working in Indian Embassy in U.S.S.R. and the Expenditure incurred in Indian Currency and Foreign Exchange on Pay and Allowances during the year 1973-74

Sl. No.	Name of Mission	Number of Indian Nationals	Number of Foreign Nationals	Expenditure during the year 1973-74		
				Indian Currency (Rs.)	Foreign Currency (Rs.)	Total (Rs.)
1	2	3	4	5	6	7
1.	The Embassy of India, Moscow . . .	89	26	7,11,270	33,24,814	40,36,086
2.	The Consulate General, Odessa	3	3	29,550	1,52,255	1,81,805

Indian and Foreign Nationals working in Indian Embassy in France

3902. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) the present number of Indian and Foreign nationals working in Indian Embassy in France; and

(b) the expenditure incurred in Indian currency and foreign exchange on their pay and allowances during the financial year 1973-74?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) & (b) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Indian and Foreign Nationals working in Indian High Commission in U.K.

3903. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) the present number of Indian and foreign nationals working in Indian High Commission in U.K.; and

(b) the expenditure incurred in Indian currency and foreign exchange on their pay and allowances during the financial year 1973-74?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) & (b) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

खेतड़ी के आस-पास के क्षेत्रों में दूषण

3904. **श्री नरेन्द्र कुमार सांधी :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बिड़ला विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा किये गये अध्ययन के इन निष्कर्षों के बारे में जानकारी है कि यदि सल्फ्यूरिक अम्ल संयंत्र के बिना तांबा प्रद्रावक कार्य करता है तो उससे राजस्थान के खेतड़ी के आस-पास के बड़े क्षेत्र में सल्फर अम्ल का दूषण फैल जायेगा;

(ख) क्या खेतड़ी नगरी के लगभग 10,000 व्यक्ति इस विषैली गैस से सीधे प्रभावित होंगे; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने स्थिति का क्या मूल्यांकन किया है तथा दूषण के प्रभावों को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) से (ग) खेतड़ी तांबा प्रद्रावक की डिजाइन में प्रदूषण समस्या के प्रभावी नियंत्रण के लिए अधुनात प्रौद्योगिकी का समावेश किया गया है। सल्फर डाइआक्साइड गैसों के शोधन और मार्जन के लिए संयंत्र में इलैक्वेस्टैटिक प्रैसीपीटेटर, वेस्ट हीट वायलर्स, बैलून चिमनी, गैस एअर हीट एक्सचेंजर, डस्ट कलैक्शन साइक्लोन जैसे अनेक उन्नत यंत्रों की व्यवस्था की गई है। कार्यक्रम के अनुसार यह प्रद्रावक, सल्फ्यूरिक अम्ल संयंत्र के चालू होने के साथ ही चालू हो जायेगा। तथापि, किसी अनहोनी घटना का सामना करने के लिए, हिन्दुस्तान कांपर लि० ने 121 मीटर ऊंची (भारत की सर्वाधिक ऊंची चिमनियों में से एक) चिमनी बनवाई है जिससे सन्निपवर्त्ती क्षेत्र को प्रदूषित किए बिना गैसों को उपरी वायुमंडल में छोड़ा जा सके।

बिड़ला औद्योगिकी और विज्ञान संस्थान द्वारा किए गए अध्ययन में प्रदूषण की रोकथाम के लिए खेतड़ी प्रद्रावक की डिजाइन में अपनायी गई विशेष सावधानी और आंतरिक-नियंत्रण का समावेश नहीं था। जब यह बात हिन्दुस्तान कापर लि० द्वारा बिड़ाल प्रौद्योगिकी और विज्ञान संस्थान के ध्यान में लाई गई तो परिवेश शोध दल के संयोजक ने स्थिति का स्पष्टीकरण करते हुए 2 जुलाई 1974 के हिन्दुस्तान टाइम्स में निम्नलिखित बयान जारी किया था :—

"खेतड़ी का वातावरण"

महोदय,

खेतड़ी ताम्र उद्योग समूह के बारे में बिड़ला प्रौद्योगिकी व विज्ञान संस्थान द्वारा किए जा रहे परिवेश अध्ययन के काम में खेतड़ी ताम्र उद्योग समूह के प्राधिकारियों का पूरा सहयोग प्राप्त है। आपके समाचार का आशय संभवतः यह निकलता है कि हमारा अध्ययन काम पूरा हो चुका है और उद्योग समूह के प्राधिकारी प्रदूषण की रोक थाम के मामले में कुछ नहीं कर रहे हैं: वास्तव में हमारा अध्ययन रोक-थाम के उपायों की वास्तविक शुरुआत की पूर्व-स्थिति में पहुंच गया है ताकि वास्तविक कार्यवाही आरम्भ करने से पूर्व, विद्यमान परिवेशी वातावरण का जायजा लिया जा सके।

सल्फर डाइआक्साइड के संभवित उत्पादन को ध्यान में रखकर उद्योग समूह के प्राधिकारियों ने प्रदूषण को यथासंभव प्रभावी रोकथाम के लिए उपलब्ध अधुनातम प्रौद्योगिकी को अपनाया है। उन्होंने संयंत्र की डिजाइन में सावधानी और नियंत्रण के लिए आवश्यक उपाय किए हैं जिससे समीपी वायुमंडल में नाममात्र का प्रदूषण है। वास्तव में प्रद्रावक की गैसों में सल्फर उपलब्ध कराने के लिए एक सल्फर कारखाना लगाया गया है ताकि गैसें वातावरण में न घुल पाएं। यह आशंका और भावना, कि उसके चालू होने से खेतड़ी ताम्र उद्योग-समूह के आस-पास के इलाके का वायुमंडल दूषित हो जाएगा, एकदम निराधार है।

भवदीय,

के० एस० राव

संयोजक

परिवेशी शोध दल, बिड़ला

प्रौद्योगिकी व विज्ञान संस्थान, पिलानी (राजस्थान)

जून, 19

दिल्ली में बेरोजगारी में वृद्धि

3905. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान दिल्ली में पंजीकृत बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई है;

(ख) स्नातकोत्तर, स्नातक, तथा मैट्रिक पास व्यक्तियों तथा महिलाओं के आंकड़े अलग अलग क्या हैं; और

(ग) क्या इसमें तीव्र वृद्धि का कारण सरकारी कार्यालयों और वाणिज्यिक संस्थानों में भरती का बन्द होना है और यदि हां, तो बेरोजगार व्यक्तियों को रोज़गार देने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) दिल्ली में रोज़गार कार्यालयों के चालू रजिस्टर में दर्ज नौकरी चाहने वालों की संख्या संबंधी जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) "संगठित क्षेत्र" से संबंधित उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार दिल्ली में रोज़गार कार्यालयों में अधिसूचित रिक्तियों की संख्या में वर्ष 1971 से 1973 के दौरान निरन्तर वृद्धि हुई है; अर्थात् यह संख्या 1971 में 43.1 हज़ार थी, जो बढ़कर 1972 में 47.6 हज़ार और 1973 में 48.4 हज़ार हो गई।

सामान्य विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत सृजित रोज़गार अवसरों के अतिरिक्त, रोज़गार प्रदान करने के लिए दो विशेष स्कीमें अर्थात् 'पांच लाख रोज़गार कार्यक्रम' और 'रोजगार वर्धन कार्यक्रम' 1973-74 और 1974-75 में आरम्भ किए गए हैं। दिल्ली में 'पांच लाख रोजगार कार्यक्रम' के अन्तर्गत लगभग 2700 शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार दिलाया गया। इसके अतिरिक्त 862 औद्योगिक शेडों का निर्माण किया जा रहा है, जिनके पूर्ण होने पर 1200 इंजीनियरों सहित लगभग 10,200 व्यक्तियों को रोज़गार मिलने की आशा है। 1974-75 में 'रोजगार वर्धन कार्यक्रम' के अन्तर्गत संघशासित क्षेत्र, दिल्ली के लिए 60 लाख रुपए का आवंटन किया गया है और स्कीमों के ब्यौरों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

विवरण

(हज़ारों में)

शैक्षिक स्तर	वर्ष के अंत में रोज़गार कार्यालयों के चालू रजिस्टर में दर्ज नौकरी चाहने वालों की संख्या					
	1971		1972		1973	
	योग	महिलाएं (मद-2में सम्मिलित)	योग	महिलाएं (मद-4में सम्मिलित)	योग	महिलाएं (मद-6 में सम्मिलित)
1	2	3	4	5	6	7
1. मैट्रिक से कम (अनपढ़ों सहित)	62.6	3.6	67.1	3.9	68.9	5.4
2. मैट्रिक पास (हायर-सेकेंडरी सहित)	50.8	8.7	81.9	14.8	93.0	11.4
3. स्नातक	17.7	4.8	20.7	6.3	22.2	7.2
4. स्नातकोत्तर	8.1	3.1	9.5	4.0	10.9	5.2
योग	139.2	20.2	179.2	29.0	195.0	29.2

नोट—चालू रजिस्टर में दर्ज सभी नौकरी चाहने वाले अनिवार्यत: बेरोजगार नहीं हैं।

कोल माइन्स अथारिटी लिमिटेड में सेवा निवृत्ति आयु

3906. **श्री समर मुखर्जी** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या भारत कोकिंग कोल लिमिटेड में उनके कर्मचारियों के लिये लागू 60 वर्ष की सेवा निवृत्त आयु कोल माइन्स अथारिटी लिमिटेड के कर्मचारियों के लिये अपनायी जायेगी ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : कोयला खान प्राधिकरण के कामगारों के लिए सेवा-निवृत्ति की आयु 58 वर्ष से बढाकर 60 वर्ष कर दी गई है।

बेहतर औद्योगिक सम्बन्धों के लिए कार्मिक संघ

3907. **श्री पो० गंगादेव** : क्या श्रम मंत्री 29 मार्च, 1973 के तारांकित प्रश्न संख्या 521 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने यूगोस्लाविया में प्रबन्धक वर्ग में कर्मचारियों के भाग लेने तथा इसके अन्य पहलुओं का अध्ययन कार्य अब तक पूरी तरह से कर लिया है;

(ख) क्या सरकार का विचार देश में बेहतर औद्योगिक संबंध बनाने के लिए केन्द्र द्वारा मान्यता प्राप्त तीन कार्मिक संघों के स्थान पर केवल एक कार्मिक संघ को मान्यता देने का है; और

(ग) सरकार का भारत में कार्मिक संघों के बीच वैमनस्य को दूर करने हेतु बेहतर श्रमिक कानून बनाने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) यूगोस्लाविया और अन्य देशों में, प्रबन्ध में सहभागी होने के विभिन्न नमूनों का अध्ययन करने के बाद ही औद्योगिक संबंधों के बारे में प्रस्तावित व्यापक विधेयक में शामिल करने के लिये प्रस्ताव तैयार किए गये हैं।

(ख) भारतीय श्रम सम्मेलन और स्थायी श्रम समिति जैसे त्रिपक्षीय निकायों में केन्द्रीय ट्रेड यूनियन संगठनों का प्रतिनिधित्व भारतीय श्रम सम्मेलन के निर्णयों द्वारा निश्चित किया जाता है। उचित और प्रभावी सौदाकारी अभिकर्त्ता के प्रश्न पर, औद्योगिक सम्बन्धों के बारे में प्रस्तावित व्यापक विधेयक के संदर्भ में विचार किया जा रहा है।

(ग) प्रस्तावित व्यापक विधान के अन्तर्गत औद्योगिक सम्बन्धों के विभिन्न पहलुओं से सम्बन्धित मामले आएंगे।

उड़ीसा के खुले बाजारों में नकली ग्लूकोज सेलाइन की जांच

3908. **श्री पो० गंगादेव** : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में ग्लूकोज से हुई मौतों के बाद से उड़ीसा के खुले बाजार में ग्लूकोज सेलाइन के सभी स्टाक की जांच करके उन्हें बेहतर किस्म का घोषित किया गया है;

(ख) क्या सरकार अस्पतालों में सुरक्षा के लिये अपने स्टाक की जांच करने हेतु कार्यवाही की है; और

(ग) खुले बाजार में बिक रही ऐसी नकली औषधियों को रोकने के लिये केन्द्र ने क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) जी नहीं। इस राज्य सरकार के लिए सभी स्टाक की जांच करना सम्भव नहीं था क्योंकि उनके पास ऐसा करने के लिए सुविधाएं नहीं थीं।

(ख) जी, हां।

(ग) (1) सभी राज्य औषधि-नियंत्रण प्राधिकारियों को आवश्यक हिदायतें दी गई हैं जिन में दवाइयां बनाने वाली फर्मों का, जो विशेषकर जीवन रक्षक औषधियां बनाती हैं, निरीक्षण करने की प्रक्रिया को सख्त करने की आवश्यकता पर बल दिया गया है।

(2) इंजेक्शन और विशेष दवाइयों जैसे एण्टीबायटिक्स का निर्माण करने वाली सभी फर्मों का निरीक्षण करने का एक त्वरित कार्यक्रम केन्द्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन द्वारा भी आरम्भ कर दिया गया था।

(3) नकली और घटिया किस्म की दवाइयों के निर्माण और विक्रय को रोकने के लिए केन्द्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन द्वारा उठाए गए कदमों से सम्बन्धित एक नोट संलग्न है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 8341/74]**

ईरान के रक्षा दल की रक्षा मंत्री के साथ बैठक

3909. श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में ईरान का एक रक्षा दल उनसे मिला था; और

(ख) यदि हां, तो किये गये विचार-विमर्श की रुपरेखा क्या है और इसके क्या परिणाम रहे ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) इम्पीरियल ईरानीयन नेशनल डिफैंस कालेज, तेहरान से 24 अफसर प्रशिक्षणार्थियों और इन्स्ट्रक्टरों के एक दल ने 3 जून 1974 को रक्षा मंत्री से भेंट की थी।

(ख) यह एक सद्भावनापूर्ण भेंट थी।

प्रक्षेपणास्त्रों के भण्डारण तैयारी मरम्मत तथा ओवरहाल के लिए तटीय सुविधाएं

3910. श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार नौसेना में आधुनिकतम प्रक्षेपणास्त्रों का प्रयोग करने के परिणामस्वरुप प्रक्षेपणास्त्रों तथा सम्बद्ध उपकरणों के भंडारण, तैयारी मरम्मत तथा ओवरहाल के लिए तटीय सुविधाएं देने के बारे में विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या प्रगति हुई है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) समुद्र तल से वायु प्रक्षेपणास्त्रों के लिए तटीय सुविधाएं पहले ही स्थापित कर दी गई है। भंडार और वायु से वायु में प्रक्षेपणास्त्रों की तैयारी के तटीय सुविधाएं भी स्थापित कर दी गई हैं और गत कुछ वर्ष से कार्य कर रही है।

(ख) वायु से वायु प्रक्षेपणास्त्रों की मरम्मत और ओवरहाल के लिए सुविधाएं स्थापित की जा रही हैं।

रानीगंज मे कृत्रिम तेल संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव

3911. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार रानीगंज में एक कृत्रिम तेल संयंत्र स्थापित करने पर विचार कर रही है जैसा की बहुत समय पहले एक विशेषज्ञ समिति ने सुझाव दिया था; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) और (ख) घोष समिति की रिपोर्ट, जो लगभग 20 वर्ष पूर्व तैयार की गई थी, पुरानी हो चुकी है। सरकार कोयला कार्बनीकरण, केन्द्रीय कोलतार हाइड्रोजनीकरण, गैसीकरण तथा संश्लिष्ट तेल संबंधी एक योजना बनाने और उसका मूल्यांकन करने के लिए एक विशेषज्ञ दल का गठन कर रही है ताकि समुचित जानकारी प्राप्त हो सके और आगामी कार्यवाही के सुझाव प्राप्त हो सकें।

Steel given to Digvijay Industries, Bangrod

3912. **Dr. Laxminarayan Pandeya** : Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) the quantum of steel given so far to Digvijay Industries, Bangrod and the Steel Mill situated at Jaora in Ratlam District since January;

(b) whether the quota of steel received by Digvijay Industries has been sold in black market, complaint in regard to which has also been recieved by the concerned department and similar misuse of the steel is also being made by the factory at Jaora; and

(c) if so, the broad outlines of inquiry made by Government in this regard?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Subodh Hansda) : (a) to (c) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.).

नकली औषधियां

3913. **श्री गजाधर माझी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नकली औषधियों के बड़े पैमाने पर प्रयोग से देश में मृत्यु-दर तेजी से बढ़ी है और स्वास्थ्य मंत्रालय जनहित के लिए इस दिशा में कुछ मार्गदर्शी सिद्धांत बनाकर इस पर नियंत्रण पाने का प्रयास कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इसके लिए जारी किये गये मार्गदर्शी सिद्धांतों का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) और (ख) नकली दवाइयों के विरुद्ध चलाये गये अभियान में जनता किस प्रकार से सहयोग दे सकती है इस बारे में केन्द्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने एक नोट तैयार किया है। किसी उपभोक्ता को अपनी सुरक्षा के लिए तथा औषधि नियंत्रण संगठन को नकली दवाइयों के मामलों की जांच पड़ताल में सहायता करने के लिए क्या कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए इसका उल्लेख इस नोट में कर दिया गया है। इस नोट की एक प्रतिलिपि संलग्न है। **[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 8342/74]** मार्गदर्शक बातों का एक नोट केन्द्रीय नागरिक परिषद तथा राज्य सरकारों को भेज दिया गया है।

मेसर्स बाबुल बेकरी फोरबस गंज जिला पूर्णिया के विरुद्ध कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के अन्तर्गत मामलों में अपील दायर की जाना

3914. श्री रामावतार शास्त्री : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स बाबुल बेकरी फोरबसगंज, जिला पूर्णिया के विरुद्ध कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 की धारा 14 के अन्तर्गत 33 अपराधिक मामलों में से 20 मुकदमे क्षेत्राधिकार के आधार पर खारिज कर दिये गये हैं और 13 मुकदमे अरारिया न्यायालय, पूर्णिया को स्थानान्तरित कर दिए गए हैं, जैसा कि संचालक अधिकारी ने बताया है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार से खारिज हुए मामलों में अपील करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है और शेष 13 मामले इस समय किस स्थिति में हैं ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : भविष्य निधि प्राधिकारियों ने निम्न प्रकार सूचित किया है :—

(क) जी हां ।

(ख) चूंकि क्षेत्राधिकार के आधार पर मामले खारिज किए गए थे, इसलिए कोई अपील दायर नहीं की गई थी। क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त शेष 13 मामलों के संबंध में स्थिति का पता चला रहे हैं ।

कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के अन्तर्गत मैसर्स ज्ञानोदय प्रेस आफ पटना के विरुद्ध अपराधिक मामले

3915. श्री रामावतार शास्त्री : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 की धारा 14 के अन्तर्गत मैसर्स ज्ञानोदय प्रेस ऑफ पाटना के विरुद्ध आपराधिक मामलों में से अधिकांश में उक्त फर्म सम्बन्ध निरीक्षक की गलतियों के कारण बरी हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उस निरीक्षक के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) भविष्य निधि प्राधिकारियों ने सूचित किया है कि सूचना एकत्र की जा रही है। यह यथा-समय सभा की मेज पर रख दी जायेगी ।

मेसर्स एसियाटिक ट्रेडिंग कम्पनी, गया के विरुद्ध कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के अन्तर्गत मामले

3916. श्री रामावतार शास्त्री : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स एसियाटिक ट्रेडिंग कम्पनी, गया के विरुद्ध कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 की धारा 14 के अन्तर्गत दर्ज 66 आपराधिक मामले खारिज हो गये हैं क्योंकि मुकदमा दायर करने वाला पक्ष कर्मचारियों की अपेक्षित संख्या सिद्ध करने में विफल रहा;

(ख) यदि हां, तो विफलता के क्या कारण हैं, और इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) क्या केन्द्रीय कर्मचारी भविष्य निधि आयोग का विचार वास्तविक स्थिति का पता लगाने के लिए जांच कराने का है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) से (ङ) भविष्य निधि प्राधिकारियों ने सूचित किया है कि सूचना एकत्र की जा रही है। यह यथा-समय सभा की मेज पर रख दी जायेगी।

कारों और स्कूटरों के बिना पारी के आबन्टन के लिए पात्रता

3917. श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी कोटे से कारों और स्कूटरों के बिना पारी के आबंटन के लिए केन्द्रीय सरकार के किन श्रेणियों के कर्मचारी पात्र माने जाते है ;

(ख) क्या सरकार का विचार कुछ और श्रेणियों को चालू वर्ष से इस सूची में सम्मिलित करने का है, और

(ग) यदि हां, तो श्रेणियों कौन सी है और इसके क्या कारण हैं?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) मंत्रियों, उप-मंत्रियों और इसी स्तर के वैयक्तिक स्टाफ के अधिकारियों और अपर सचिव और इसमें बडे स्तर के वैयक्तिक स्टाफ के अधिकारियों को केन्द्रीय सरकार के कोटे से, यदि वे अन्यथा पात्र हों कारों और स्कूटरों का बिना पारी आबंटन किया जाता है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

ग्रामीण जन संख्या के दुर्बल वर्गों के लिए बहु उद्देश्यी स्वास्थ्य योजनाओं का कार्यान्वयन

3918. श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों से अनुरोध किया है कि वे ग्रामीण जन संख्या के दुर्बल वर्गों के लिए बहुत उद्देश्यीय स्वास्थ्य योजनाओं को तत्काल लागू करने के लिए कार्यवाही करें;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है और इस पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस योजना से ग्रामीण जनसंख्या किस हद तक लाभान्वित होगी?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री कोण्डाजी बासप्पा) : (क) से (ग) बहु उद्देश्यीय कार्यकर्ता योजना का उद्देश्य स्वास्थ्य परिवार नियोजन और पोष्ण सेवाओं को एक साथ उपलब्ध कराना है और आशा की जाती है कि देश के सम्पूर्ण ग्रामीण क्षेत्र इससे लाभान्वित होंगे। सभी राज्य सरकारों ने इस योजना को मान लिया है । इसकी क्रियान्विति विभिन्न चरणों में होगी और पहले चरण में वे जिले आएंगे जो मलेरिया के आक्रमण चरण (अटेक फैज) में नहीं है और जहां चेचक पर काबू पा लिया गया है ।

केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा औषधालयों में विशेषज्ञों की सुविधा

3919. श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली में कितनी और किस किस केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा औषधालयों में इस समय विशेषज्ञों की सुविधा उपलब्ध नहीं है और इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत सभी लाभार्थियों को विलिंग्डन और सफदरजंग अस्पतालों में विशेषज्ञों से परामर्श करने की सुविधायें उपलब्ध है । विशेषज्ञ परामर्श सुविधा कुछ केन्द्रीय, स्थित औषधालयों में, जिनको इस प्रयोजन के लिये उचित ग्रुपो में बांट दिया गया हैं विशेषज्ञ के दौरों के माध्यम से भी उपलब्ध कराई जाती है ।

उड़ीसा एस० सी० बी० मेडिकल कालेज, कटक में कैन्सर इन्स्टीट्यूट का खोला जाना

3920. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उडीसा एस० सी० बी० मेडिकल कालेज, कटक (उड़ीसा) में एक कैंसर इंस्टीटचूट खोलने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) जी, नहीं ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

लीडर इंजीनियरिंग वर्क्स, जालन्धर के श्रमिकों द्वारा हड़ताल

3921. **श्री झारखण्डे राय** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लीडर इंजीनियरिंग वर्क्स, जालंधर के लगभग 900 श्रमिक मई, 1974 से हड़ताल पर है;

(ख) क्या श्रम मंत्रालय से इस हड़ताल के मामले में हस्तक्षेप करने और विवाद सुलझाने के लिए अनुरोध किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और परिणाम क्या है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) यह मामला आवश्यक रूप से राज्य के कार्यक्षेत्र में आता है । उपलब्ध सूचना के अनुसार मैसर्स लीडर इंजीनियरिंग वर्क्स, जालंधर के श्रमिकों ने दय मज़दूरियों के भुगतान और कुछ श्रमिकों को छंटनी से संबंधित अपनी मुख्य मांगों के समर्थन में अप्रैल, 1974 के दौरान आंशिक हड़ताल की थी। सूचना मिली है कि यह हड़ताल 15 जून, 1974 को समाप्त होने वाले अर्धमास के दौरान समाप्त हो गई है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

ऐल्यूमिनियम के मूल्यों में कमी

3922. **श्री एम० एस० पुरती** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐल्यूमिनियम का मूल्य 17,000 रुपये से अधिक प्रति टन से गिर कर 12,000 रुपय प्रति टन हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो मूल्यों में इस गिरावट के क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सखदेव प्रसाद) : (क) और (ख) एल्यूमिनियम तथा एल्यूमिनियम उत्पादों (पत्रियों और कतरनों को छोड़कर) के मूल्य एल्यूमिनियम नियंत्रण आदेश, 1970 के अधीन नियंत्रित होते है । इस समय ई० सी० ग्रेड और वाणिज्यिक ग्रेड एल्यूमिनियम पिंडो के नियंत्रित मूल्य क्रमश: 7,112 रुपय और 7,084 रुपये प्रति मी० टन है इनमें उत्पादन शुल्क शामिल है ।

जबलपुर कारखाने के लिए देश में उपकरणों का निर्माण करने के लिए तकनीकी समिति

3923. **श्री गजाधर माझी** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जबलपुर स्थित वैहिकल फैक्टरी में बनाई जाने वाली सैनिक गाड़ियों के लिए अपेक्षित उपकरणों और सामान का देश के अन्दर ही निर्माण करने के लिए रक्षा मंत्रालय ने एक पथक तकनीकी समिति का गठन किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातों का ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में (रक्षा उत्पादन) राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी, हां श्रीमन, अगस्त 1973 में एक समिति गठित की गई थी।

(ख) समिति का गठन इस प्रकार है :—

(1) महा प्रबंधक, व्हीकल फैक्टरी, जबलपुर	अध्यक्ष
(2) इलैक्ट्रीकल और मेकनिकल इंजीनियरी के निदेशक का स्थानीय प्रतिनिधि	सदस्य
(3) अनुसंधान एवं विकास के महानियंत्रक के स्थानीय प्रतिनिधि	सदस्य
(4) आर्डनेंस सेवाओं के निदेशक के स्थानीय प्रतिनिधि	सदस्य
(5) व्हीकल के निरीक्षक (केन्द्रीय क्षेत्र) जबलपुर (महानिदेशक निरीक्षक के प्रतिनिधि)	सदस्य
(6) मूर्ति एवं निपटान महानिदेशक के प्रतिनिधि (बैठकों में जब उनकी उपस्थिति विशेष रूप से आवश्यक होगी, तो वह बैठक में उपस्थित होगा)	सदस्य
(7) तकनीकी विकास के महानिदेशक के प्रतिनिधि (जब कभी उसकी उपस्थिति विशेष रूप से आवश्यक होगी वह बैठक में उपस्थित होगा)	सदस्य

व्हीकल फैक्टरी, जबलपुर के महाप्रबंधक सचिवालय की व्यवस्था करते हैं।

2. समिति को प्रत्याशित पूर्तिकर्ताओं/निर्माताओं को जारी करने वाले टैंडरों अथवा जांच के फार्म निर्धारित करने का विवेकाधिकार है। इसमें वे विशेष शर्तें भी सम्मिलित है जिनकी व्यवहार्यता, विकास अथवा स्वदेशी उत्पादन के स्थायीकरण के लिए हरेक मामले में आवश्यकता हो सकती है ।

3. समिति की सिफारिशों के आधार पर व्हीकल फैक्टरी जबलपुर के महाप्रबंधक द्वारा 5 लाख रुपए से कम मूल्य तक के स्तोरो की प्राप्ति क लिए संविदाओं पर निर्णय किया जा सकता है।

4. उपर्युक्त पैरा में जो पूर्तियां नहीं आती हैं उनके सभी प्रस्तावों और नीति के मामलों को आर्डर स्थापन के लिए रक्षा पूर्ति विभाग के पास भेजना होता है।

वर्ष 1973-74 के दौरान फिर से चालू की गई कोयला खानें

3924. **श्री मार्तण्ड सिंह** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1973 में और वर्ष 1974 में अब तक फिर से चालू की गई कोयला खानों और उनके कोयला भण्डार का राज्यवार ब्यौरा क्या है,

(ख) क्या खानों में पहले काम बन्द किये जान अथवा वहां पहले तालाबन्दी करने के परिणाम स्वरूप इन खानों के जिन कर्मचारियो की छंटनी की गई थी, उन्हें फिर से नौकरी पर लगा दिया गया है और यदि हां, तो उनकी राज्यवार संख्या क्या है, और

(ग) इनमें से प्रत्येक खान में कर्मचारियों की वर्तमान संख्या कितनी है?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) से (ग) जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

कोयला और इस्पात की तीव्र गति से ढुलाई

3925. **श्री मार्तण्ड सिंह** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयले और इस्पात की तीव्र गति से ढुलाई सुनिश्चित करने के लिये सरकार ने एक आपात कार्यक्रम तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इस योजना का क्रियान्वयन करने के लिये कोई अलग प्राधिकरण बनाया जा रहा है?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) से (ग) माननीय सदस्य का ध्यान इसी विषय पर इस्पात और खान उप मंत्री द्वारा लोक सभा में 18-4-74 को दिए गए अतारांकित प्रश्न संख्या 7165 के उत्तर (प्रति संलग्न) तथा रेल मंत्री द्वारा लोक सभा में 23-4-74 को दिए गए अतारांकित प्रश्न संख्या 7765 के उत्तर की ओर आकर्षित किया जाता है। इस कार्य के लिए कोई अलग प्राधिकरण नही बनाया जा रहा है।

दुर्गापुर स्थित मिश्र इस्पात संयंत्र को घाटा

3926. **श्री गजाधर माझी** :

श्री एन० ई० होरो :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुर्गापूर स्थित मिश्र इस्पात संयंत्र को विद्युत के अभाव के कारण इस्पात पिंड की दृष्टि से घाटा हुआ है,

(ख) क्या गैस की कमी से उक्त संयंत्र में इस्पात के 'हाई वेल्यूड क्रिटिकल ग्रैडस' के उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, जिसकी वित्तीय स्थिति सुधारने के लिये अत्यधिक आवश्यकता है; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) अप्रैल–जुलाई 1974 की अवधि के दौरान दुर्गापुर के मिश्रित इस्पात कारखाने में बिजली की कमी के कारण, इस्पात पिण्ड के उत्पादन में हुई अनुमानित हानि नीचे दी गई है :–

	इस्पात पिण्ड के उत्पादन में हुई हानि
	टन
अप्रैल, 1974	1018
मई, 1974	230
जून, 1974	620
जुलाई, 1974	1000

दुर्गापूर इस्पात कारखानों को, अप्रैल, 1974 में, रेलवे में हड़ताल होने की आशंका और मई, 1974 में रेलवें में हड़ताल हो जाने के कारण, परिचालन पर प्रतिबन्ध लगाने पड़े। परिणाम स्वरूप दुर्गापूर इस्पात कारखाने से मिश्रित इस्पात कारखाने को कोक ओवन गैस की सप्लाई कम हुई इसके परिणामस्वरूप कुछ हद तक अधिक मूल्य वाली श्रेणियों के इस्पात के उत्पादन पर प्रभाव पड़ा।

पश्चिम पाकिस्तान में छोड़ी गई निष्क्रान्त सम्पत्ति के दावेदारों को अनुग्रहपूर्वक मुआवजा

3927. श्री समर गुह : क्या **पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पश्चिम पाकिस्तान और पश्चिमी भारत में, 1965 के भारत पाक युद्ध के पूर्व, छोड़ी गई निष्क्रान्त सम्पत्तियों की कोई सूची तैयार की थी; और

(ख) क्या पश्चिम पाकिस्तान में निष्क्रान्त सम्पत्ति रखनेवाले दावेदारों को अनुग्रहपूर्वक मुआवजा देते समय उनकी सम्पत्तियों की सूचियों का सत्यापन पश्चिम पाकिस्तान सरकार से वर्ष 1971 में राजनयिक सम्बन्ध विच्छेद, से पूर्व, कराया था ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) विभाजन के पश्चात भूतपूर्व पश्चिमी पाकिस्तान में विस्थापित व्यक्तियों द्वारा छोड़ी गई कृषि भूमियों के बारे में सरकार पारस्परिक आधार पर राजस्व रिकार्ड प्राप्त करती रही थी।

निष्क्रान्त सम्पत्ति कानून के अधीन निष्क्रान्त सम्पत्ति के रूप में अधिकार में ली गई सम्पत्ति के रिकार्ड अभिरक्षक संगठन द्वारा रखे गए थे।

(ख) पश्चिमी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों के लिए मुआवजा अनुग्रहपूर्वक नहीं दिया गया था बल्कि विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) अधिनियम 1954 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अधीन की गई व्यवस्था के अनुसार नियमित किया गया था।

ग्रामीण कृषि भूमि के दावों के मामले में सत्यापन प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित राजस्व रिकार्ड के अनुसार किया गया था। अन्य अचल सम्पत्ति के दावों के बारें में मौखिक और/या दस्तावेजी प्रमाण लिया गया था।

वाणिज्यिक गाड़ियों के चेसिसों बनाना

3928. श्री एम० एस० पुरती : क्या भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में दिसम्बर, 1973 तक वाणिज्यिक गाड़ियों के चेसिसों का, एककवार कितना कितना उत्पादन हुआ; और

(ख) उपरोक्त अवधि में निर्माताओं ने विभिन्न राज्यों को ऐसे कितने कितने चेसिस सप्लाई किये ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) दिसम्बर, 1973 तक गत तीन वर्षों में वाणिज्यिक गाड़ियों के चेसिसों का एककवार उत्पादन निम्न प्रकार है :–

फर्म का नाम	उत्पादन		
	1971	1972	1973
1. मे० टाटा इंजिनियरिंग एण्ड लोकोमोटिव कम्पनी लिमिटेड, बम्बई ।	24,654	22,441	23,107
2. मे० हिन्दुस्तान मोटर्स, प० बंगाल	1,609	1,547	2,324
3. मे० प्रिमियर आटोमोबाइल्स, बम्बई ।	4,572	3,489	4,041
4. मे० स्टैंडर्ड मोटर्स, मद्रास	330	1,418	965
5. मे० अशोक लोलेंड, मद्रास	5,456	4,244	5,659
6. मे० बजाज टेम्पो लिमिटेड, पूना	3,322	3,416	5,005
7. मे० महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा लि० बम्बई	922	911	1,299
योग	40,865	37,466	42,400

(ख) वितरण पर कोई नियंत्रण नहीं है । निर्माताओं द्वारा पंजीकरण के आधार पर अपने अधिकृत विक्रेताओं के माध्यम से विभिन्न मेकों और माडलों की गाड़ियों का वितरण किया जाता है । सरकार को विभिन्न राज्यों की गाड़ियों के सभी मेकों के किये गये आवंटन के बारे में जानकारी नहीं है ।

उपकरणों के उत्पादन और रक्षा अनुसंदान के लिए भारत और कनाडा के बीच सहयोग

3929. श्री डी० बी० चन्द्रगौडा : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा अनुसंधान और उपकरणों के उत्पादन के क्षेत्र में सहयोग करने के लिए भारत और कनाडा सहमत हो गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो करार का सारांश क्या है ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) रक्षा अनुसंधान और उपस्करों के उत्पादन के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और कनाडा के बीच बात-चीत हुई है । तथापि यह बात-चीत केवल अन्वेषणात्मक ही थी ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Derequisitioning the Land of Nangalraya

3930. Shri Sudhakar Pandey: Will the Minister of **Defence** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 4105 on the 23rd August, 1973 regarding 9·83 acres of land requisitioned by Government in a village Nangalraya in New Delhi and state:

(a) whether Government had duly accorded their approval in January, 1974 to de-requisition this land;

(b) whether the competent Authority has not taken necessary action to dere-quisition this land;

(c) if so, the reasons for the delay; and

(d) the time by which Government will give legal possession of this land to the land owners?

The Deputy Minister in the Ministry of Defence (Shri J. B. Patnaik) :(a) to (d) Decision to derequisition was taken in January 1974 but before derequisitioning the land is required to be restored, as far as possible, to its original condition. This involved removal of certain assets in the form of structures on the land. Some assets have been removed and the rest sold to the owners. In June 1974 the Collector, the competent authority, was formally requested to derequisition the land under the provisions of the Requisitioining and Acquisition of Immovable Property Act, 1952. Possession of the land will be handed over to the owners as soon as the derequisitioning orders are issued by the competent authority.

Unauthorised occupation of land meant for Bhilai Steel Plant

3931. Shri Chandulal Chandrakar ; Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) the number of persons who have settled unauthorisedly during 1971-72, 1972-73 and 1973-74 and to-date on the land acquired by Government for Bhilai, indicating the area thus occupied;

(b) the number of families as settled as also the area of land in acreage occupied by them;

(c) whether Government revenue will not increase considerably, if these settlements are regularised them; and

(d) whether the residents of these colonies have difficulties of drinking water; and if so, the steps taken in this direction?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Subodh Hansda) : (a) The total number of unauthorised occupants on Bhilai Steel Plant land is over 3,000 spread over an area of approximately 450 acres. The unauthorised occupations are in the shape of temporary huts and shops at different sites and pockets mostly in the labour camp areas located North of National Highway No. 6 and South of Uttai Road. Yearwise break up of encroachments unauthorised construction of structures during the years 1971 to 1974 is not available.

(b) During 1971-72 to 1973-74, 1158 shops and establishments and families have been rehabilitated or regularised or settled. The area of land occupied by them is about 200 acres.

(c) Since the land belongs to Hindustan Steel Limited, the question of increase in Government revenue does not arise.

(d) No, Sir. The minimum requirement of drinking water is available in these colonies With the formation of Bhilai-Durg Special Area Development Authority, the question o augmenting services including drinking water will be considered by them.

देश में मलेरिया, चेचक और पोलियों रोगों में वृद्धि

3932. **श्री मार्तण्ड सिंह :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में मलेरिया, चेचक और पोलियो जैसे, रोग, जिन्हें पूर्णरूपेण नियंत्रण में समझा जाता था, पुन: तेजी से बढ़ते जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार इन रोगों से ग्रस्त रोगियों की संख्या क्या है; और

(ग) इन रोगों से लोगों को बचाने के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (प्रो० अभिय कुमार किस्कु) : (क) मलेरिया और चेचक की घटनाओं में वृद्धि हुई है । ऐसा कोई प्रमाण नहीं जिससे पोलियो के रोगियों में वृद्धि हुई दिखाई जा सके ।

(ख) एक विवरण संलग्न है **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 8343/74]**

(ग) मलेरिया उन्मूलन के राष्ट्रीय कार्यक्रम और चेचक उन्मूलन के राष्ट्रीय कार्यक्रमों को पांचवी योजना में केंद्रीय पोषित योजनाओं के रूप में जारी रखा जा रहा है । इन कार्यक्रमों का समय समय पर पुनरीक्षण किया जाता है और इनकी बेहतर क्रियान्विति के लिए आवश्यक कार्यवाही की जाती है । पोलियो से बचाव करने संबंधी सुविधाओं में सुधार किया जा रहा है ।

"कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएन्टेड" इस्पात की मांग

3933. **श्री सी० के० जाफर शरीफ :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में 'कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएन्टेड' इस्पात की वर्तमान मांग कितनी है; और

(ख) पैक इस्पात कितनी मात्रा में और किन देशों से आयात किया जाता है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) अनुमान है कि कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरियेन्टेड सिलीकन इस्पात की चादरों की वर्तमान वार्षिक मांग लगभग 5,000 टन है ।

(ख) सम्भवत: अभिप्राय कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरियेन्टेड चादरों के आयात के आंकडों से है । यदि ऐसा है तो आयात के आकड़ों में ग्रेन ओरियन्टेड चादरों तथा नान ओरियेन्टेड चादरों के आंकड़े अलग अलग नहीं होते हैं । वर्ष 1971–72 में कुल 23,735 टन विद्युत इस्पात की चादरें आयात की गई थीं, जिसमें सबसे अधिक मात्रा यू० के० से आयात की गई थी ।

उसके पश्चात अमेरीका और उसके पश्चात जापान से इनका आयात किया गया था । थोड़ी मात्रा में इनका आयात आस्ट्रेलिया, बेल्जियम, बलगारिया, चकोस्लोवाकिया, डेन्मार्क, फ्रांस, जर्मन जनवादी गणराज्य, जर्मन संघीय गणराज्य, पोलेण्ड तथा स्वीडन से भी किया गया था ।

50 करोड़ रुपये के इस्पात का निर्यात

3934. **श्री राजदेव सिंह :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या सरकार का विचार चालू वर्ष में 50 करोड़ रुपये मूल्य के इस्पात का निर्यात करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह निर्यात विकसित देशों को किया जायेगा अथवा विकासशील देशों को;

(ग) क्या हमारे इस्पात का मूल्य विश्व मंडी में प्रचलित मूल्य से 40 प्रतिशत कम होगा; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रतिकूल मूल्य निर्धारण के कारण क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) वर्ष 1974–75 के दौरान निर्यात के लिये 50 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के आर्डर प्राप्त होने की सम्भावना है ।

(ख) ऐसी सम्भावना है कि निर्यात विकसित तथा विकासशील दोनों प्रकार के देशों को किया जायेगा ।

(ग) और (घ) इस्पात के निर्यात की अनुमति विश्व बाजारों में सबसे अधिक मूल्य मिलने के आधार पर दी जाती है ।

भारतीय नाविकों के पंजीकृत श्रमिकसंघों के विवाद

3935. **श्री कृष्ण चन्द्र हालदर :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय नाविकों के पंजीकृत श्रमिक संघ औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अन्तर्गत कोई भी विवाद उठा सकते है; और

(ख) यदि नहीं, तो ऐसा तंत्र कोनसा है जिनके माध्यम से ऐसे विवाद हल किए जा सकते हैं ।

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क)जी नहीं ।

(ख) व्यापारी ज़हाज़रानी अधिनियम, 1948 की धारा 150 के उपबन्धों के अनुसार नाविकों और नियोजकों के बीच विवादों का निपटारा किया जाना है । सामान्यत: इन विवादों का निबटारा, या तो राष्ट्रीय सामुद्रिक बोर्ड द्वारा, जो नाविकों की मजदूरी और सेवा की अन्य शर्तों पर विचार और निर्णय करने हेतु जहाज मालिकों और नाविकों का एक द्विपक्षीय निकाय है, या सरकार, जहाज मालिकों और नाविकों की यूनियनों के बीच त्रिपक्षीय बातचीत द्वारा किया जाता है । विवादों को न्यायनिर्णय हेतु अधिकारणों को भी निर्दिष्ट किया जा सकता है ।

राजस्थान की आकावली परियोजना से तांबे के कच्चे माल का इकठ्ठा किया जाना

3936. **श्री शिवनाथ सिंह :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान की आकावली परियोजना से तांबे के कच्चे माल के इकट्ठा करने और अन्य कार्य के लिए किसी प्राइवेट पार्टी को पट्टा दिया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो किसे और किन शर्तों पर; और

(ग) इस काम को हिन्दुस्तान कापर लि० जैसे किसी सरकारी उपक्रम द्वारा अपने हाथ में न लेने के क्या कारण है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) एक प्राइवेट पार्टी से आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है, परंतु अभी तक अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) हिन्दुस्तान कापर लि० द्वारा इस निक्षेप को अपने हाथ में लेने या न लेने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ।

सिक्कम में भूमि सुधारों के लिए सहायता के लिए अनुरोध

3937. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिक्किम सरकार ने सरकार से भूमि सुधारों के संबंध में सहायता का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकार से उक्त अनुरोध कब प्राप्त हुए थे; और

(ग) सरकार का कितनी सहायता देने का प्रस्ताव है और किन शर्तों पर ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

कोयला खानों से विद्युत प्रजनन के लिए कोयले का भेजा जाना

3938. **श्री चन्दूलाल चन्द्राकार** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में उन कोयला खानों के नाम क्या है जहां से विद्युत प्रजनन के लिए अन्य राज्यों को कोयला भेजा जाता है;

(ख) क्या उन राज्यों की सरकारों ने इस पर आपत्ति की है जिनकी खानों से अन्य राज्यों को कोयला भेजा जा रहा है और सरकार द्वारा बिजली पैदा की जा रही है; और

(ग) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा आंध्र प्रदेश राज्यों में स्थित अनेक कोयला खानों से अन्य राज्यों को बिजली उत्पादन के लिए कोयला भेजा जा रहा है ।

(ख) ऐसी कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड की बिक्री में वृद्धि

3939. श्री राजदेव सिंह : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड की बिक्री में पूर्व वर्षों की तुलना में 22 प्रतिशत की वृद्धि हुई है;

(ख) क्या विक्री के साथ साथ वस्तुओं के उत्पादन में भी 11.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है; और

(ग) यदि हां, तो क्या निर्यात और उत्पादन की इस गति को यदि बढाया नहीं जा सकेगा तो कम से कम बनाये रखा जा सकेगा ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड की विक्री 1972–73 के दौरान 39.73 करोड़ रुपये से 1973–74 में 48.61 करोड़ रुपये बढ़ गई, इस प्रकार से लगभग 22 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

(ख) भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड का उत्पादन 1972–73 के दौरान 39.11 करोड़ रुपए से 1973–74 में 45.10 करोड़ रुपये बढ़ गया, इस तरह से लगभग 25 प्रतिशत की वृद्धि हुई ।

(ग) हाल में बिजली की कटौती का भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटड के उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है परन्तु निर्यात और उत्पादन की गति को कायम रखने के लिये हर प्रयत्न किया जा रहा है ।

ट्रान्सफरों के निर्माण के लिए मध्यप्रदेश और कर्नाटक द्वारा कारखाने की स्थापना

3940. श्री राजदेव सिंह : क्या भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जबलपुर के निकट गोसालपुर ग्राम में ट्रांसफार्मरों के निर्माण के लिए मध्य प्रदेश और कर्नाटक की राज्य सरकारों ने संयुक्त रुप से 50 लाख रुपये की लागत से एक कारखाने की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो इस संयुक्त उद्यम के लिए गोसालपुर ग्राम का चुनाव करने के क्या कारण है; और

(ग) क्या लघु उद्योग क्षेत्र में ट्रांसफार्मरों का निर्माण किया जा सकता है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) एन० जी० ई० एफ० लिमिटेड, बंगलोर जो कर्नाटक राज्य का एक उपक्रम है मध्य प्रदेश राज्य उद्योग निगम के साथ संयुक्त उद्यम के रुप में जबलपुर के निकट गोसालपुर गांव में ट्रासफार्मरों का निर्माण करने के लिए एक कारखाना स्थापित कर रहा है ।

(ख) इस बात का निर्णय संबंधित राज्य उद्यम ही करेंगे कि जिस परियोजना को वे स्थापित करना चाहते है उसके लिए अधिक उपयुक्त स्थान कौन सा है ।

(ग) लघु क्षेत्र में छोटे वितरण ट्रांसफार्मरों बनाये जा सकते है ।

अफगानिस्तान के एक प्रतिनिधि मण्डल द्वारा भारत की यात्रा

3941. श्री जगन्नाथ मिश्र : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आपसी हितों के मामलों पर चर्चा करने में अफगानिस्तान के एक प्रतिनिधि मंडल ने जून में भारत की यात्रा की थी;

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार की बातचीत की गई; और

(ग) इसका क्या परिणाम निकला ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) से (ग) जी हां। यह शिष्ट मंडल भारत अफगान संयुक्त आयोग की तीसरी बैठक के बारे में भारत आया और बात चीत के बाद जो प्रैस विज्ञप्ति जारी की गई थी, वह साथ लगी है। **[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 8344/74।]**

देश में मलेरिया का फैलना

3942. श्री बनमाली पटनायक : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में पिछले वर्ष पन्द्रह लाख से अधिक व्यक्तियों के मलेरिया से प्रभावित हान का पता लगा;

(ख) क्या राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम का पुनर्विलोकन करने से इस बात का पता चला है कि वर्षे तक विभिन्न प्रकार से रसायनों और कीटनाशक औषधियों का छिड-काल करने के बावजूद मलेरिया का उन्मूलन नहीं हुआ है;

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस महत्वाकांक्षी कार्यक्रम की विफलता के क्या कारण है;

(घ) युद्ध स्तर पर देश में मलेरिया का उन्मूलन करने के लिए क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) 1973 में मलेरिया से लगभग 15 लाख व्यक्ति पीडित हुए बताए गए थे ।

(ख) से (घ) मलरिया की घटनाओं में वृद्धि के लिए जो बातें जिम्मेदार है, वे इस प्रकार हैं :—

(1) कीटनाशकों का समय पर न मिलना और काफी मात्रा में उनका वितरण न कर पाना ।

(2) कुछ क्षेत्रों में कतिपय किस्म के मछरों द्वारा प्रचलित कीटनाशकों को हजम कर लेना ।

(3) तेजी से नगरों का बसना और उनका औद्योगिकीकरण जिसके परिणाम स्वरूप मच्छर पैदा होने के हालात में वृद्धि होना ।

मलेरिया उन्मूलन के राष्ट्रीय कार्यक्रम की समय समय पर समीक्षा की जा रही है और आवश्यकतानुसार उपचारी उपाय भी बरते जा रहे है । मलेरिया उन्मूलन के राष्ट्रीय कार्यक्रम की अनुसन्धान सम्बन्धी आवश्यकताओं और सरकार को एक वैकल्पिक नीति के बारे में सलाह दने के लिए कार्यकारी दलों का गठन कर दिया गया है जिसमें मलेरिया समस्या से सम्बन्धित प्रख्यात प्रशासक और वैज्ञानिक सम्मिलित हैं ।

कोयला खान कर्मचारियों में खाद्यान्न का वितरण

3943. **श्री विश्वनाथ झुंझुनवाला** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला खान कर्मचारियों में खाद्यान्न वितरण संबंधी एक योजना सरकार ने बनाई है;

(ख) यदि हां, तो बनाई गई योजना की मुख्य बातें क्या है; और

(ग) सरकार का अगर कोई राजसहायता देने का विचार है, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) तथा (ख) कोयला खानों के कामगारों के बीच खाद्यान्न वितरण का दायित्व राज्य सरकारों का है। केन्द्रीय सरकार द्वारा खाद्यान्न तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं की प्राप्ति और वितरण के लिए एक योजना भी तैयार की जा रही है ताकि राज्य सरकारों द्वारा वितरण व्यवस्था के लिए किए जा रहे प्रयासों में सहायता दी जा सके।

(ग) जी नहीं।

फिक्सड विंग्स वाले कृषि विमानों का निर्माण

3944. **श्री राजदेव सिंह** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या हिन्दुस्थान एयरोनाटिक्स लिमिटड, बंगलोर ने केन्द्रीय कृषि मंत्रालय की वित्तीय सहायता से फिक्सड विंग्स वाले कृषि विमानों का निर्माण करना आरम्भ कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त विमानों का निर्माण करने की क्षमता हाल ही में पैदा की गई है अथवा अन्य डिजाईन निर्माण को हानि पहुंचा कर इन का निर्माण किया गया ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल): (क) जी, हां श्रीमान।

(ख) कृषि विमान 'वसन्त' का हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड में उपलब्ध संसाधनों और उप संविदा के माध्यम से निर्माण किया जा रहा है। इसके लिए अलग से कोई निर्माण सुविधा नहीं बनाई गई है। इस परियोजना का किसी अन्य विमान के डिजाइन/निर्माण पर प्रभाव नहीं पड़ा है।

पश्चिम बंगाल में कारखाने के बन्द होने और परिसमापन की स्थिति के दौरान कर्मचारियों को उपदान न दिया जाना

3945. **श्री ए० के० एम० इसहाक** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान पश्चिम बंगाल में कारखानों के बन्द होने और परिसमापन की स्थिति के दौरान जिन औद्योगिक कारखानों के कर्मचारियों को उपदान नहीं दिया गया, उनक जो मामले सरकार के ध्यान में लाये गये, उनकी संख्या और मुख्य बातों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या किसी मामले के बारे में कोई कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि हां, तो की गई कार्यवाही की मुख्य बातों का ब्यौरा क्या है और इस बार में क्या परिणाम प्राप्त हुए ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है । यथा समय सभा की मेज पर रख दी जायगी ।

उपदान निधि

3946. श्री ए० के० एम० इसहाक : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारियों के उपदान अधिकारों की सुरक्षा करने के लिए विशेष रूप से औद्योगिक कारखानों के बन्द होने अथवा परिसमापन के दौरान सरकार उपदान निधि बनायेगी;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में की गई कार्य वाही की मुख्य बातें क्या है और इस बारे में कर्मचारियों ने किस प्रकार की शिकायत की है; और

(ग) उस समिति के सदस्यों का ब्यौरा क्या है, जो इस प्रश्न का अध्ययन कर रही है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) इस प्रयोजन के लिये सरकार द्वारा स्थापित की गई एक समिति ने हाल ही में इस मामल की जांच की है । ऐसी किन्ही शिकायतों के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है, जो ऐसे प्रतिष्ठानों के श्रमिकों द्वारा की गई हों, जिनकें संबंध में राज्य सरकारें समुचित सरकारें है । केन्द्रीय कार्य क्षेत्र में, बन्दी और परिसमापन के मामलों में उपदान का भुगतान न किये जाने के बारे में दो शिकायतें केन्द्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र को प्राप्त हुई है, जो मामले की जांच कर रहा है ।

(ग) जिस समिति ने उपदान अधिकारों के रक्षण तथा अन्य सम्बन्ध मामलों के प्रश्न की जांच की, उसमें निम्नलिखित शामिल थे :—

1. श्री एन पी० दुबे, अध्यक्ष
   अपर सचिव, श्रम मंत्रालय,
   नई दिल्ली ।

2. श्री सी० बी० मोरे, सदस्य
   सहायक बीमा नियंत्रक,
   शिमला ।

3. श्री वी० बालासुब्रामानियम, सदस्य
   उप निदेशक, आर्थिक कार्य विभाग,
   नई दिल्ली ।

4. श्री बी० बी० लौड, सदस्य
   श्रमायुक्त, महाराष्ट्र सरकार,
   बम्बई ।

5. श्री एम० सी० कुन्दु, सदस्य
अपर श्रमायुक्त,
पश्चिम बंगाल, कलकत्ता ।

6. श्री ए० एस० उन्नी, सदस्य
सचिव, केरल राज्य औद्योगिक विकास निगम,
त्रिवेन्द्रम ।

7. श्री आर० एम० मेहता, सदस्य
प्रबंधक निदेशक,
भारतीय जीवन बीमा निगम,
बम्बई ।

8. श्री दलजीत सिंह, सचिव
उप सचिव,
श्रम मंत्रालय,
नई दिल्ली ।

कारों के आबन्टन में डाक्टरों को प्राथमिकता

3947. श्री श्यामसुन्दर महामात्र : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या डाक्टरों को अपनी प्रैक्टिस चलाने के लिए कारों की खरीद हेतु परमिट प्राप्त करने में अन्य लोगों की अपेक्षा प्राथमिकता दी जाती है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : जी, हां ।

चीन और नेपाल के बीच नया व्यापार और भुगतान समझौता

3948. श्री स्वर्ण सिंह सोखी : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को चीन और नेपाल के बीच किये गये किसी नये व्यापार भुगतान करार की जानकारी है; और

(ख) क्या उक्त करार से भारत के साथ नेपाल के पारस्परिक आर्थिक संबंधों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) जी, नहीं । भारत नेपाल के परम्परागत आर्थिक संबंधों पर ऐसी किसी प्रभाव की हमें आशंका नहीं है ।

यूनाइटेड मिनरल वर्क्स यूनियन, गुआ, सिंहभूम, बिहार से प्राप्त ज्ञापन

3949. श्री भोगेन्द्र झा : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या युनाइटेड मिनरल वर्कर्स यूनियन, गुआ, सिंहभूम, बिहार के महासचिव ने इस्पात और खान मंत्री को भेजे गए दिनांक 24 जुलाई, 1974 के एक ज्ञापन में यह मांग की है कि मैसर्स उडीसा सीमेंट लि० लोटपहाड, सिंहभूम को चिरिबुरू क्वार्टजाइड खनिज खानों का प्रबन्ध सरकार अपने हाथ में ले; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इसके क्या कारण है ?

इस्पात और खान मंत्रालय म उप मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) जी, हां ।

(ख) श्रम मंत्रालय खानों पर इन श्रमिक समस्याओं तथा शिकायतों की पहले से ह जांच कर रहा है, जिसके कारण अधिग्रहण की मांग की गई है ।

गैस द्वारा पकाये जाने वाले फलों का बुरा प्रभाव

3950. श्री बक्शी नायक : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय उपभोक्ता परिषद ने सरकार का ध्यान गैस द्वारा पकाये जाने वाले फलों के बुरे प्रभावों की ओर दिलाया है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) जी, हां ।

(ख) गैस से पकाए फलों को खाने से मनुष्यों पर क्या प्रभाव पड़ते हैं, उनकी जांचा पडताल की जा रही है ।

खाद्यान्न और इन्धन के बढ़ते मूल्यों से अत्यधिक प्रभावित देशों की संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा बनाई गई सूची

3951. श्री वरके जार्ज : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव ने भारत, पाकिस्तान और बंगला देश को उन 28 देशों की सूची में रखा है जो खाद्यान्न तथा ईंधन के बढ़ते मूल्यों से अत्यधिक प्रभावित हुये हैं ;

(ख) क्या उन्होंने वह सूचो संयुक्त राष्ट्र संघ के सभो सदस्यों को भेजी है; और

(ग) स्थिति में सुधार करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी, हां। यह सूची उस कसौटी को आधार मानकर बनाई गई है जो संयुक्त राष्ट्र महासभा के छटे विशेष अधिवेशन में स्वीकृत कार्रवाई कार्यक्रम में निर्धारित की गई थी जिसमें दूसरी बातों के साथ निर्यात अर्जन के लिए संबंधित आवश्यक वस्तुओं के आयात की लागत में वृद्धि भी शामिल है।

(ख) जी, हां ।

(ग) अत्यधिक गंभीर रूप से प्रभावित विकासशील देशों के भुगतान शेष की समस्याओं को हलका करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किए जाने वाले प्रयासों में सरकार सक्रिय रूप से भाग लेती रही है । हाल में, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव द्वारा जो कदम उठाये जा रहे है वे महासभा के छटे अधिवेशन के उन निर्णयों के अनुपालन में है जो इस उद्देश्य के लिए एवं विशेष कार्यक्रम शुरू करने क वास्ते लिए गए थे ।

महाराष्ट्र के लघु उद्योग कारखानों के लिए लोहे और इस्पात की कमी

3952. श्री धामनकर :

श्री वसन्त साठे :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोहे और इस्पात की कमी का महाराष्ट्र और अन्य राज्यों के लघु उद्योगों कारखानों पर बुरा प्रभाव पड़ा है; और

(ख) यदि हां, तो लघु उद्योग कारखानों द्वारा सामान्य उत्पादन फिर से शुरू किये जाने को सुनिश्चित करने के लिए इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का प्रस्ताव है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) कई श्रेणियों के लोहे और इस्पात की मांग उपलब्धि से अधिक है और हो सकता है इससे देश के अन्य भागों की तरह महाराष्ट्र की लघु उद्योग इकाइयों को भी अपर्याप्त सप्लाई की समस्या का सामना करना पड़े रहा हो। वर्तमान वितरण प्रणाली के अधीन राज्यवार आबंटन नहीं किये जाते हैं। मुख्य इस्पात कारखानों से इस्पात के प्रेषणों का विनियमन इस्पात प्राथमिकता समिति करती है जो अवधि विशेष में इस्पात के अन्ततः उपयोग, जिसके लिए इस्पात की मांग की गई हों, इस्पात की उपलब्धि तथा स्पर्धी मांगों को ध्यान में रखती है।

(ख) इस्पात की उपलब्धि में वृद्धि के लिए किए गए उपायों में, प्रौद्योगिक सुधारों द्वारा उत्पादन में वृद्धि करना, मालिक मजदूर संबंधों को बेहतर बनाना, संयंत्र और मशीनरी के रख-रखाव में सुधार करना, इस्पात कारखानों में अनुपूरक सुविधाओं की व्यवस्था करना, उपस्करों की बेहतर उपलब्धि सुनिश्चित करने के लिए नवीकरण तथा पूंजीगत मरम्मतों का कार्यक्रम बनाना, जिन श्रेणियों की आपूर्ति कम है उनके लिए विशेष रुप से उदार आयात नीति बनाना, निर्यात का विनियमन करना तथा वितरण प्रणाली को सुप्रवाही बनाना, सम्मिलित है।

कोठागुडियम कोयला खानों की विस्तार सम्बन्धी समस्याएं

3953. श्री वाई० ईश्वर रेड्डी : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोठागडियम में कोयला खानों के विस्तार की समस्या का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने क्या निर्णय किया है; और

(ग) क्या इन कोयला खानों में लाभ हो रहा है; और

(घ) वर्ष 1972–73 और 1973–74 में इसके उत्पादन और लाभ संबंधी आंकड़े क्या ह ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) से (घ) जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

हिन्दुस्तान लेटेक्स लि०, त्रिवेन्द्रम का विस्तार

3954. **श्री वयालार रवि** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिवेंद्रम स्थित हिन्दुस्तान लेटेक्स लि० का विस्तार किये जाने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की रूपरेखा क्या है तथा इस दिशा में क्या कार्यवाही की जा चुकी है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री कोण्डाजी बासप्पा) : (क) और (ख) जी हां, त्रिवेंद्रम स्थित निरोध फैक्टरी की वर्तमान उत्पादन क्षमता 1440 लाख निरोध प्रति वर्ष से बढ़ा कर 2880 लाख निरोध प्रति वर्ष तक करने के प्रस्ताव का भारत सरकार ने अनुमोदन कर दिया है । नये संयंत्र का निर्माण और उसकी स्थापना इंजीनियरिंग प्रोजेक्टस (इंडिया) लिमिटेड द्वारा की जायगी। इस प्रोजेक्ट के लिए एक बायलर तथा कुछ अन्य सामान्न के लिए उन्होंने पहले ही आर्डर दे दिए हैं ।

भूमिगत परमाणु विस्फोट के बारे में निक्सन और ब्रेजनेव के बीच करार

3955. **श्री राम सहाय पाण्डे** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान भूमिगत परमाणु विस्फोट के बारे में भूतपूर्व राष्ट्रपति निक्सन और सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी चीफ ब्रेजनेव के बीच हाल में हुये करार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) यह संतोष का विषय है कि दो महान शक्तियों में हथियारों की होड़ को और सीमित करने के बारे में समझौता हो गया है । समझौते में शांतिपूर्ण कार्यों के लिए भूमिगत अणु परीक्षण को विशेषरूप से शामिल न किया जाना स्वागत के योग्य है क्यों कि यह भारत की नीति के अनुरूप है और जो यह है कि सभी देश अणु शक्ति का सभी शांतिपूर्ण कार्यों के लिए बिना भेद भाव के विकास करें ।

"बिहाइण्ड भुट्टोज ओलिव ब्रांच" शीर्षक के बारे में समाचार

3956. **श्री वसन्त साठे** :

श्री घामनकर :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 7 अगस्त, 1974 के अंग्रेजी के एक दैनिक समाचार पत्र में "बिहाइंड भुट्टोज ओलिव ब्रांच" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सबन्धी तथ्य क्या हैं और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां, श्रीमन् ।

(ख) सरकार ने समाचार में दी गई सूचना की जांच की है । इस संबंध में आगे और ब्योरे प्रकट करना लोकहित में नहीं होगा । हमारी सुरक्षा पर प्रभाव डालने वाली सभी संबंधित गतिविधियों की लगातार समीक्षा की जाती है । हमारी सुरक्षा सेनाएं सीमा पर लगातार निगरानी रख रही है और जहां आवश्यक हो उन्हें सख्त कार्रवाई करने के आदेश हैं ।

श्रमिक असन्तोष में वृद्धि

3957. श्री वसन्त साठे : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों से श्रमिकों के असन्तोष में वृद्धि होती जा रही है और अब उसने चिन्ताजनक रूप धारण कर लिया है,

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के उद्योग और राज्यवार तथ्य क्या है;

(ग) क्या सरकार ने औद्योगिक श्रमिकों विशेषकर महत्वपूर्ण उद्योगों के श्रमिकों में बढ़ते हुए असन्तोष को रोकने के लिए कोई समेकित कार्यक्रम बनाया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी रूपरेखा क्या है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) (क) और (ख) : संलग्न विवरण I और II, 1971, 1972 और 1973 (अनन्तिम) के दौरान हानि हुए श्रम दिनों की संख्या के बारे में उपलब्ध सूचना का उद्योग वार (मुख्य उद्योग) और राज्यवार खुलासा करते है । **[ग्रंथालय में रखे गये देखिये संख्या एल० टी० 8345/74]**

(ग) और (घ) केन्द्र तथा राज्यों में, दोनों, औद्योगिक संबंध तंत्र वर्तमान कानूनी उपबन्धों और स्वैच्छिक व्यवस्थाओं के अन्तर्गत, आवश्यकतानुसार अनौपचारिक विचार विमर्शों, संराधन, न्यायनिर्णय या विवेचन के द्वारा श्रमिक अशान्ति से पैदा होने वाले कामरोधों को कम करने के प्रयास करता रहता है । विवादों/श्रमिकों की शिकायतों का शीघ्र निपटारा सुरक्षित करने के लिए औद्योगिक विवादों संबंधी व्यापक कानून में जिसके बारे में ब्यौरे तैयार किए जा रहे हैं, नियम संबंधी व्यवस्थाएं करने की चेष्टा की गई है ।

महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र के कालेजों में एन० सी० सी० की तकनीकी यूनिटों का बन्द होना

3958. श्री वसन्त साठे :

श्री धामनकर :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र के कालेजों में एन सी सी की तकनीकी यूनिटों को बन्द करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या ऐसा प्रस्ताव अनुचित है क्यों कि इससे कालेज छात्र तकनीकी प्रशिक्षण के अवसर से वंचित हो जायेंगे जिससे उनके सैनिक कमीशन में चुनाव होने में सहायता मिलती और इसके अलावा 150 से अधिक कर्मचारी भी बेरोजगार हो जायेंगे; और

(घ) यदि हां, तो क्या उक्त क्षेत्र में एन सी सी की तकनीकी यूनिटों को जारी रखने के प्रस्ताव पर सरकार पुनर्विचार करेगी और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : (क) जी नहीं, श्रीमन् ।

(ख) से (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

दुर्गापुर इस्पात संयंत्र का उत्पादन

3959. श्री समर गुह : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाप्रबन्धक की घोषणा के अनुसार दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में इतना अधिक उत्पादन हुआ है जितना पहले कभी नहीं हुआ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) उत्पादन में इतनी अधिक वृद्धि किन कारणों से हुई; और

(घ) उत्पादन लक्ष्य की प्राप्ति में श्रमिकों, तथा अन्य तकनीकी कर्मचारियों और अधिकारियों के योगदान की सराहना के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख) दुर्गापुर इस्पात कारखाने के महा प्रबन्धक ने ऐसी कोई घोषणा नहीं की है। जून, 1974 में दुर्गापूर इस्पात कारखाने में विक्रेय इस्पात का उत्पादन 64,654 टन हुआ जो मार्च, 1966 से ले कर सबसे अधिक है परन्तु यह अब तक हुए उत्पादन में सबसे अधिक नहीं है ।

(ग) रेलवे हड़ताल की अवधि में कम खपत होने के कारण कारखाने में कच्चे माल का पर्याप्त स्टाक हो गया था। हड़ताल समाप्त होते ही उत्पादन में क्रमिक वृद्धि होने लगी। जून में बिजली की सप्लाई की स्थिति असंतोषजनक नहीं थी और मालिक मजदूर सम्बन्ध अपेक्षाकृत अच्छे रहे। फिनिशिंग मिलों का कार्यकरण भी अच्छा रहा । इन सभी बातों के फलस्वरूप जून में विक्रेय इस्पात के उत्पादन में काफी वृद्धि हुई।

(घ) सरकार को इस बात से प्रसन्नता हुई है कि कामगारों और अन्य तकनीशनों तथा अधिकारियों के अच्छे कार्य के फलस्वरूप जून में उत्पादन संतोषजनक हुआ है। सरकार को आशा है कि यह स्थिति बनी रहेगी और इस वर्ष के लिए निश्चित किया गया लक्ष्य प्राप्त हो जायेगा ।

सेना द्वारा पंजाब के गुरदासपुर जिले में भूमि का अधिग्रहण

3960. श्री नारायण चन्द पराशर : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब के गुरदासपुर जिले की पठानकोट तहसील में सैनिक प्रशासन ने जनता से कुछ भूमि अधिग्रहीत की है,

(ख) यदि हां, तो सरकार ने गत तीन वर्षों में कुल कितनी भूमि अधिग्रहीत की है;

(ग) सरकार ने भूमि के मालिकों तथा काश्तकारों दोनों प्रकार के कितने कितने व्यक्तियों को मुआवजा दिया है; और

(घ) इस अवधि में दोनों श्रेणियों के प्रत्येक व्यक्ति को कितना कितना मुआवजा दिया गया है ?

रक्षा मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) 370.45 एकड़ ।

(ग) और (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

गुरदासपुर जिले के भूमि मालिकों तथा काश्तकारों को मुआवजे का भुगतान

3961. श्री नारायण चन्द पराशर : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब के गुरुदासपुर जिल की पठानकोट तहसील के व्यक्तियों की ओर से भूमि के मालिकों तथा काश्तकारों को, जितनी भूमि गत तीन वर्षों में सैनिक प्रशासन द्वारा अधिगृहीत की गई है, अपर्याप्त मुआवजे के भुगतान के बारे में कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उन अभ्यावेदनों पर क्या कार्यवाही की है ?

रक्षा मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : (क) और (ख) इस संबंध में प्राप्त विभिन्न अभ्यावेदनों के बारे में सूचना निम्नांकित है :—

क्र० सं०	अभ्यावेदन का सारांश	की गई कार्रवाई
1.	हरिजन आवेदकों के मकानों/भूमि स्थलों का अबादी क्षेत्र में सेना द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया है और उन्हें कोई मुआवजा नहीं दिया गया है ।	जांच पड़ताल से पता चला है कि हरिजनों के अबादी क्षेत्र को अधिग्रहण कार्रवाई में सम्मिलित नहीं किया गया था । आवेदकों को तदनुसार सूचित कर दिया गया है ।
2.	आवेदक को अधिग्रहण की लागत नहीं दी गई है ।	जांच पड़ताल से पता चला है कि भूमि के अधिग्रहण की कार्रवाई की जा रही है और भूमि का मूल्य कलक्टर के निर्णय की घोषणा के पश्चात ही दिया जाएगा । आवेदक को तदनुसार सूचित कर दिया गया है ।
3.	आवेदकों की भूमि का सेना प्राधिकारियों द्वारा अधिग्रहण किया जा रहा है ।	जांच पड़ताल से पता चला है कि आवेदक की भूमियों के अधिग्रहण/अधियाचन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है । आवेदकों को सूचित कर दिया गया है ।
4.	आवदक को मुआवजा नहीं दिया गया है ।	22-8-73 को वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी गई थी । स्थानीय एम एल एण्ड सी प्राधिकारियों से कहा गया है कि वे इस की जांच करें कि क्या आवेदक को मुआवजा दे दिया गया है । मुआवजे की अदायगी करना कलक्टर की जिम्मेदारी है ।

क्र० सं०	अभ्यावेदन का सारांश	की गई कार्रवाई
5.	समीप की भूमि की तुलना में मुआवजा कम दर पर दिया जा रहा है।	एस एल ए सी द्वारा प्रस्तावित दरों के आधार पर 22-8-73 को वित्तीय मंजूरी जारी की गई थी। उसने भूमि की स्थिति/शक्ति पर विचार करते हुए इस तीन खण्डों में बांटा है। भूमि का स्वामी मध्यस्थता करा सकता है। आवेदकों को तदनुसर सूचित किया जा रहा है।
6.	आवेदकों को दिया गया मुआवजा ठीक नहीं है। उसने आर ए आई पी अधिनियम 1952 की धारा 8 (ख) के अधीन मध्यस्थ नियुक्त करन के लिए कहा है।	राज्य सरकार द्वारा मध्यस्थ नियुक्त कर दिया गया है।
7.	आवेदकों की भूमि के अर्जन के बारे में रक्षा विभाग द्वारा सक्रिया से विचार किया जा रहा है और मुआवजे की दर 10,000 रुपए प्रति एकड़ होनी चाहिए।	भूमि अर्जन के लिए सरकारी स्वीकृति जारी कर दी गई है और भूमि के अर्जन के लिए कार्रवाई की जा रही है। कलक्टर द्वारा निर्णय की अभी घोषणा की जानी है।
8.	18 वृक्षों का अधिग्रहण किया गया था परन्तु कोई मुआवजा नहीं दिया गया है।	जांच पड़ताल से पता चला है कि जिस भूमि का रक्षा विभाग द्वारा अधिग्रहण किया गया है उस भूमि में वृक्ष नहीं थे। आवेदक को स्थिति के बारे में सूचित कर दिया गया था।
9.	भूमि के अधिग्रहण से पहले आवेदक का जो मकान बनाया गया था उसका सेना द्वारा अर्जन नहीं किया गया है और कोई मुआवजा नहीं दिया गया है।	जांच पडताल से पता चला है कि मकान भूमि अधिग्रहण के पश्चात बनाया गया था। यह एक अवैध कब्जे का मामले है। आवदक को तदनुसार सूचित करा दिया गया था।

मध्य प्रदेश के सिधी जिले में तांबे और चांदी के निक्षेप

3962. श्री रण बहादुर सिंह : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के सिधी जिले में तांबे और चांदी के भारी निक्षेपों का पता लगा है;

(ख) यदि हां, तो इन क्षेत्रों को निकालने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(ग) यह कार्य कब आरम्भ किया जाएगा तथा इस से कितने व्यक्तियों को रोजगार मिलने का अनुमान है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) मध्य प्रदेश के सिधी जिले में की गई भूवैज्ञानिक खोजों से बैरिया, बहेडाटोला, गुरियारा और सतनाराह के निकट स्फटिकमय व रवेदार चूना पत्थर से युक्त कार्बनमय फिलाइट में छोटे दानों क रूप में भरपर मात्रा में तांबा होने का पता चला है। सिधी शहर से लगभग 24 कि० मी० पश्चिम की ओर स्थित मोटगमा गांव के आस पास करीब 18 हेक्टेयर्स क्षेत्र में, सिलिमेनाइट के साथ साथ बहुत थोड़ी मात्रा में चांदी होने की सूचना मिली है।

(ख) और (ग) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की ड्रिल यूनिट द्वारा गुरियारा क्षेत्रमें तांबे के लिए समन्वेषण कार्य किया जा रहा है। चूंकि उपर्युक्त निक्षेपों के बारे में खोज कार्य अभी जारी है, अतः इस समय उनक समुपयोजन का प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय उपदान निधि समिति

3963. श्री ए० के० एम० इसहाक : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय उपदान निधि समिति, जो श्रमिकों के विशेषक औद्योगिक कारखानों के बन्द होने अथवा उनको दीवालिया होने की अवधि में उपदान अधिकारों के संरक्षण की जांच कर रही है, के सदस्यों का ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : समिति ने अपनी रिपोर्ट पहले ही प्रस्तुत कर दी है। इसमें निम्नलिखित सम्मिलित हुए :—

1. श्री नि० प्र० दुब, अध्यक्ष
   अपर सचिव,
   श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली।

2. श्री सी० बी० मोरे, सदस्य
   बीमे के सहायक नियंत्रक,
   शिमला।

3. श्री वी० बाला सुब्रामनियम, सदस्य
   आर्थिक कार्य विभाग,
   नई दिल्ली।

4. श्री बी० वी० लौड, सदस्य
   श्रमायुक्त, महाराष्ट्र सरकार,
   बम्बई।

5. श्री एन० सी० कुन्दु, सदस्य
   अपर श्रमायुक्त,
   पश्चिम बंगाल, कलकत्ता।

6. श्री ए० एस० उन्नी, सदस्य
   सचिव, केरल राज्य औद्योगिक विकास निगम,
   त्रिवेन्द्रम।

7. श्री आर० एम० मेहता, सदस्य
प्रबन्ध निदेशक,
भारत जीवन बीमा निगम,
बम्बई ।

8. श्री दलजीत सिंह, सचिव
उप सचिव,
श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली ।

Low Wages to Workers in China Clay Mines in Rajmahal, Bihar

3964. Shri Jagdish Narayan Mandal : Will the Minister of **Labour** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that about more than 10 thousand labourers work in the China Clay Mines in Rajmahal, Bihar who are paid wages at the rate of Rs. 1.60 to Rs. 1.80 per day;

(b) if so the reasons therefor;

(c) whether Government propose to extend the provisions of Minimum Wages Act to the China Clay Mines; and

(d) if so, by what time ?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour (Shri Balgovind Verma) : (a) to (d) Wages in China Clay Mines are reported to be low. In view of this,, Government have added the employment in China Clay Mines to the Schedule to the Minimum Wages Act, 1948 and action is being taken to fix minimum wages for workers in these mines.

स्नातकों में बेकारी

3965. श्री प्रसन्न भाई मेहता : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बेरोजगारी की समस्या पुनः देश को क्षति पहुंचा रही है ;

(ख) क्या ऐसे स्नातक भी हैं जिन्होंने रोजगार कार्यालयों में 1972 में अपने नाम दर्ज कराये थे किन्तु उन्हें अब तक कोई रोजगार नहीं मिला;

(ग) यदि हां, तो देश में ऐसे कितने स्नातक हैं; और

(घ) क्या इन स्नातकों को रोजगार दिलाने के लिए उनके मंत्रालय न कोई विकल्प सुझाया है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बालगोविंद वर्मा) : (क) बेरोजगारी के यथार्थ आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं । तथापि सरकार देश में बेरोजगारी की समस्या की गम्भीरता के प्रति, जो कि रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर में दर्ज नौकरी चाहने वालों की बढ़ती हुई संख्या से प्रतिबिंबित होती है, पूर्ण रूप से जागरूक है । सामान्य विकास कार्यक्रमों के अतिरिक्त, सरकार ने हाल ही में बहुत से विशिष्ट रोजगार सृजन कार्यक्रम आरम्भ किए हैं । सरकार द्वारा हाल ही में स्थापित की गई बेरोजगार समिति (भगवती समिति) की भी सिफारिशें व्यापक थीं, जिन का अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार वर्धन पर प्रभाव पड़ा ।

(ख) और (ग) ऐसे स्नातकों की संख्या के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है जिन्होंने 1972 से रोजगार कार्यालयों में पंजीकरण करवाया है किन्तु जिन्हें अभी तक कोई पद आफर नहीं किया गया है । तथापि, वर्ष 1972 और 1973 के दौरान रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत और रोजगार में लगवाए गए स्नातकों (स्नातकोत्तर सहित) की संख्या क्रमश: 10.92 लाख और 1.01 लाख थी।

(घ) इंजीनियरी में डिग्री और डिप्लोमाधारियों की नियोज्यता में सुधार लाने की दृष्टि से उन्हें शिक्षु अधिनियम, 1961 की परिधि में लाने के लिए उक्त अधिनियम में हाल ही में किए गए संशोधन के अतिरिक्त सरकार ने स्नातकों/स्नातकोत्तरों आदि सहित शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों के लाभ के लिए कुछ रोजगारोन्मुख स्कीमें जैसे शिक्षित बेरोजगारों के लाभ के लिए स्कीम, पांच लाख रोजगार कार्यक्रम और रोजगार वर्धन कार्यक्रम भी कार्यान्वित की है ।

आसाम शुगर मिल्स लिमिटेड

3966. **श्री अनादि चरण दास :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम शुगर मिल्स लिमिटेड, कछार, आसाम ने इस्पात की भारी कोटा दिये जाने के बावजूद अब तक कोई कारखाना स्थापित नहीं किया है;

(ख) क्या इस कम्पनी ने अपने संस्थापक के माध्यम से सारा इस्पात चोरबाजार में बेच दिया है ; और

(ग) कम्पनी तथा उसके संस्थापक के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है और कम्पनी के निदेशकों तथा संस्थापकों के नाम क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) से (ग) जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

भारत से सम्बन्ध विच्छेद करने की सैगोन की धमकी

3967. **श्री नवल किशोर शर्मा :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 4 अगस्त, 1974 के एक स्थानीय अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि सैगोन भारत से संबंध विच्छेद कर सकता है; और

(ख) यदि हां, तो सैगोन की इस धमकी पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) सरकार ने यह खबर देखी है । लेकिन, दिल्ली और सैगोन की बातचीत में दक्षिण वियतनाम (सैगोन) गणराज्य की सरकार के प्रतिनिधियों ने यह नहीं कहा था कि वे भारत के साथ संबंध खत्म कर देंगे ।

(ख) भारत सरकार की स्थिति यह है कि अगर हम दक्षिण वियतनाम की अस्थायी क्रांतिकारी सरकार के साथ अधिक सीधे और औपचारिक संबंध विकसित करने के लिए कोई कार्रवाई करते है तो इस इरादे से नहीं कि भारत सरकार और वियतनाम गणराज्य सरकार के बीच विद्यमान संबंधों पर उनका बुरा असर पड़े । हम नई दिल्ली में और सैगोन में भी वियतनाम गणराज्य सरकार के प्रतिनिधियों के साथ संपर्क बनाये हुए हैं और हमारी स्थिति उन्हें स्पष्ट कर दी गई है ।

दुबई में इस्पात संयंत्र

3968. **श्री नवल किशोर शर्मा :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुबई में इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिय 'मेटलर्जीकल एण्ड इंजीनियरिंग कन्सलटेंटस आफ इंडिया' और संयुक्त अरब 'एमीरेटस' सरकार के बीच समझौता हुआ है;

(ख) यदि हां, तो समझौते की मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) उक्त संयंत्र के कब तक पुरा होने और उत्पादन आरम्भ होने की आशा है तथा उसका वार्षिक उत्पादन कितना होगा; और

(घ) ऐसे सौदे में अनुमानत: कितनी विदेशी मुद्रा लगेगी ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) संयुक्त अरब राज्यों (यूनाइटेड अरब ऐमीरेटस) की सरकार ने दुबई में एक स्पंज आयरन स्टील प्लांट कम्पलेक्स की स्थापना के लिए मेटालर्जीकल एण्ड इंजीनियरिंग कंसलटेंट्स (इँडिया) लि० से शक्यता प्रतिवेदन तैयार करने के लिए कहा है ।

(ख) यह शक्यता प्रतिवेदन जनवरी, 1975 में प्रस्तुत किया जाना है । इस कारखाने की वार्षिक क्षमता लगभग 400,000 टन स्पंज आयरन और 300,000 टन बिलेट तैयार करने की होगी । यह कारखाना भारतीय लोह खनिज तथा स्थानीय प्राकृतिक गैस पर आधारित होगा ।

(ग) इस शक्यता प्रतिवेदन से इस बात का पता चलेगा कि यह कारखाना कब तक तैयार हो जाएगा और उत्पादन करना आरम्भ कर देगा ।

(घ) इस समय विदेशी मुद्रा की आवश्यकता केवल शक्यता प्रतिवेदन तैयार करने के लिए दी जाने वाली फीस के लिए होगी ।

विदेश मंत्री की सिंगापुर, मलेशिया और इण्डोनेशिया की यात्रा

3969. **श्री नवल किशोर शर्मा :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने हाल में सिंगापुर, मलेशिया और इन्डोनेशिया की यात्रा की है; और

(ख) यदि हां, तो इन देशों के नेताओं के साथ उन्होने विशेषकर हिन्द महासागर को शांति क्षेत्र बनाये रखने के बारे में क्या बातचीत की ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) विदेश मंत्री ने 4 से 6 अगस्त तक सिंगापुर की और 6 से 8 अगस्त, 1974 तक इन्डोनेशिया की यात्रा की थी ।

(ख) दोनों देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय संबंध और अंतर्राष्ट्रीय स्थिति के संदर्भ में आपसी पित के ममलों पर बातचीत हुई ।

इसमें हिन्द महासागर को शांत क्षेत्र बनाने का प्रश्न भी शामिल था । सिंगापुर की यात्रा अनौपचारिक थी और इसकी समाप्ति पर कोई औपचारिक वक्तव्य या विज्ञप्ति जारी नहीं की गई । लेकिन जकार्ता की यात्रा मंत्रीस्तर की साधिक वार्ता के सिलसिले में थी और जकार्ता यात्रा की समाप्ति पर जारी की गई संयुक्त विज्ञप्ति में कहा गया था कि "संयुक्त राष्ट्र द्वारा पारित प्रस्ताव के अनुसार हिन्द महासागर को शांत क्षेत्र बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में प्रगति न होने पर दोनों विदेश मंत्रियों ने चिन्ता प्रकट की और बडी शक्तियों से कहा कि हिन्द महासागर को शांत क्षेत्र बनाये रखने में संयम और सहयोग से काम ले" ।

दक्षिण वियतनाम की अस्थाई क्रान्तिकारी सरकार को मान्यता दिया जाना

3970. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण वियतनाम की अस्थाई क्रांतिकारी सरकार के साथ औपचारिक सम्बन्ध स्थापित करने की भारत सरकार की इच्छा की घोषणा पर रिपब्लिकन आफ वियतनाम की सरकार ने अपनी असन्तोष व्यक्त किया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या भारत सरकार ने अस्थाई क्रांतिकारी सरकार को राजनयिक मान्यता न देने का निर्णय किया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) जैसे कि पहले ही कहा जा चुका है, भारत सरकार बराबर यह अनुभव कर रही है कि अब ऐसी स्थिति आ गई है जब हमें अस्थायी क्रांतिकारी सरकार से सीधे और औपचारिक संबंध विकसित करने चाहिए ।

Proposal to recognise Provisionsl Revolutionary Governments

3971. **Shri Dhan Shah Pradhan** : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether he said recently that Government would establish contacts with the Provisional Revolutionary Governments and if so, the number of Provisional Revolutionary Governments with which contacts have been established so far ;

(b) the number of such countries whose Governments have been given or are proposed to be given recognition; and

(c) the salient features of Government's foreign policy in this regard ?

The Minister of External Affairs (Shri Swaran Singh) :(a) to (c) I did announce that a stage has been reached when we must develop more direct relations with the P. R. G. of South Vietnam. Our contacts with other Provisional Governments is a separate matter and is not related to the announcement about the P. R. G.

Manufacture of Atom Bomb by Pakistan

3972. **Shri Dhan Shah Pradhan** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether Government of Pakistan has made an announcement to make an atom bomb; and

(b) if so, the facts thereof ?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : (a) We have no authentic reports on the subject.

(b) Does not arise.

दिल्ली में महामारी रोकने के लिए कार्यवाही

3973. **श्री मधु दण्डवते** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में मच्छरों और मक्खियों द्वारा फैलाये जाने वाले रोगों तथा रोगियों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई है; और

(ख) महामारी को फैलने से रोकने के लिये क्या ठोस कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) मलेरिया में हुई मामूली सी वृद्धि के अलावा दिल्ली में दूसरी बीमारियों में कोई वृद्धि नहीं हुई है।

(ख) मच्छरों के प्रकोप को रोकने के लिए नदी के किनारे किनारे बसे क्षेत्रों और झुग्गियों में लार्वा रोधी उपाय बरते जा रहे हैं और कीटनाशकों का छिडकाव किया जा रहा है। मक्खियां पैदा न होने देने के लिए कूडा, गोबर और मल आदि का उचित ढंग से निपटान किया जा रहा है।

भारत-पाक सीमा पर पाकिस्तानी घुसपैठियों की गतिविधियां

3974. श्री आर० एन० बर्मन : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान सेना की 'सावधान' संबंधी आह्वान के बाद बड़ी संख्या में प्रशिक्षित पाकिस्तानी घुसपैठिये भारत-पाक सीमा के पार घुसते देखे गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति का मुकाबला करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नही है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

भिलाई इस्पात संयंत्र के जनरल मैनेजर द्वारा एक परिवहन कम्पनी का संरक्षण

3975. श्री आर० पी० उलगनम्बी : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भिलाई इस्पात संयंत्र के जनरल मैनेजर अनुचित ढंग से एक ऐसी परिवहन कम्पनी को संरक्षण दे रहे हैं जिसमें उनका भाई हिस्सेदार है;

(ख) क्या इस मामले की विस्तृत जांच के आदेश जारी किये गये हैं; और

(ग) क्या भिलाई इस्पात संयंत्र के जनरल मैनेजर के विरुद्ध कम्पनी अधिनियम के संगत प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिये दण्डात्मक कार्यवाही की गयी है अथवा करने का विचार है, जिसके अन्तर्गत उसके लिए यह आवश्यक होता है कि वह कम्पनी के सप्लायर/ठेकेदारों में निहित अपने किसी हित की सूचना कम्पनी विधि बोर्ड को दे ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) से (ग) भिलाई में जो परिवहन कम्पनियां कार्य कर रही हैं उनमें एक कम्पनी में भिलाई इस्पात कारखाने के वर्तमान महाप्रबन्धक का भाई एक हिस्सेदार है। यह कम्पनी उसके महाप्रबंधक बनने से काफी पहले से कार्य कर रही है। सरकार को किसी अनुचित संरक्षण की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। वर्तमान महाप्रबन्धक के अपने पद का कार्यभार सम्भालने तथा हिन्दुस्तान स्टील लि० के निदेशक बनने के पश्चात इस कम्पनी को दिये गये ठेके औपचरिक रुप से निदेशक मण्डल के सामने नहीं लाये गये थे परिणामस्वरुप भिलाई इस्पात कारखाने के महाप्रबन्धक कम्पनी अधिनियम की धारा 283 और 299 के अनुसार ऐसा माना जाएगा कि मई, 1972 के मध्य से वह हिन्दुस्तान स्टील लि० के निदेशक नहीं रहे हैं।

आंध्र प्रदेश में एल्यूमिनियम फॉईल्स यूनिट

3976. श्री वाइ० ईश्वर रेड्डी : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश औद्योगिक विकास निगम ने नवम्बर, 1973 में 3000 टन प्रति वर्ष की क्षमता वाला एक एल्यूमिनियम फाइल्स यूनिट स्थापित करने हेतु एक आशयपत्र जारी करने के लिए आवदन पत्र भेजा था; और

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने उस पर निर्णय किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) पार्टी का आवेदन-पत्र सरकार के विचाराधी न है।

Use of Land kept apart for Military Camping Ground

3977. Shri Mahadeepak Singh Shakya : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether the land kept apart for military camping during the British period has been illegally occupied in serveral cities of Uttar Pradesh; and

(b) if so, the number of such cities and the number of the persons in district Etah of Uttar Pradesh who have made illegal possession of land and the steps being taken by Government in this regard?

The Deputy Minister in the Ministry of Defence (Shri J. B. Patnaik) : (a) and (b) Out of 80 Military Camping Grounds in Uttar Pradesh some portions of 39 camping grounds have been illegally occupied by encroachers. Some land of the Camping Ground in Etah District has been encroached upon by 68 persons. Action to get the encroachments vacated under the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971 is in hand.

हिन्दुस्तान स्टील लि०, कलकत्ता के मुख्य परिवहन और नौवहन प्रबन्धक के विरुद्ध जांच ब्यूरो की जांच

3978. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान स्टील लि०, कलकत्ता के मुख्य परिवहन और नौवहन प्रबन्धक के विरुद्ध ठेको में कदाचार किये जाने के आरोपों पर केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच कराई जा रही थी;

(ख) यदि हां, तो क्या जांच कार्य पूरा हो गया है और उसके निष्कर्ष क्या हैं; और

(ग) क्या जाँच के दौरान सम्बद्ध अधिकारी को अपना सामान्य कार्य करते रहने की अनुमति दी गई है और उससे उसे जांच को अपने पक्ष में कराने का अवसर दिया गया?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) जी, हाँ।

(ख) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने अपनी रिपोर्ट दे दी है और केन्द्रीय सतर्कता आयोग की सिफारिश पर हिन्दुस्तान स्टील लि० के कलकत्ता स्थित केन्द्रीय विक्रय संगठन के सामान्य परिवहन तथा नौवहन प्रबन्धक के विरुद्ध विभागीय जाँच आरम्भ की गई थी। यह जाँच कार्य पूरा हो गया है और जाँच अधिकारी की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

(ग) वह अपना सामान्य कार्य करता रहा है। इससे जाँच कार्य में कोई बाधा नहीं पड़ी।

बिहार में चिरि वुरु क्वार्टजाइट खानों में तालाम्बन्दी

3979. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में चिरिवुरु क्वार्ट्जाइंट खानों के प्रबन्धक 1973 से बार-बार अवैध तालाबन्दी कर रहे हैं;

(ख) क्या ऐसी नवीनतम तालाबन्दी 2 मई, 1974 से चल रही है जिससे 2000 आदिवासी मजदूर भूखे मर रहे हैं; और

(ग) क्या प्रबन्ध ने अस्पताल, कैंटीन, स्कूल पेय जल की सप्लाई आदि जैसे सुरक्षा नियमों तथा कानूनी कल्याणकारी सुविधाओं का उल्लंघन किया है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) 1100 श्रमिकों को 29-9-73 से रोजगार देने से इनकारी संबंधी मामले की 4-1-1974 को न्यायनिर्णय के लिये भेजा गया था। जो तालाबन्दी चल रही थी, उसके जारी रखे जाने को भी उसी तारीख को प्रसिद्ध कर दिया गया था। तालाबंदी 22-1-1974 से उठा ली गई थी। यूनियन ने 2-5-1974 से पुनः तालाबन्दी किए जाने संबंधी आरोप लगाया, जबकि प्रबन्धकों ने उसी तारीख से श्रमिकों द्वारा हड़ताल शुरू किए जाने के बारे में सूचना दी। प्रबन्धकों ने 60 दिन के निर्दिष्ट नोटिस के बाद खान को 28-6-1974 से बंद कर दिया। बताया गया है कि बंदी से प्रभावित हुए श्रमिकों की संख्या 1621 है। बताया गया है कि इन श्रमिकों में से अधिकांश श्रमिक आदिवासी हैं।

(ग) खान की बंदी को ध्यान में रखते हुए, सुरक्षा संबंधी नियमों और कानूनी कल्याण सुविधाओं के उपबन्धों के पालन किए जाने के संबंध में वास्तविक स्थिति का पता, केवल खान के पुनः खुलने के बाद लगाया जा सकता है।

पठानकोट सैनिक अस्पताल की एक वार्ड सहायिका के साथ दुर्व्यवहार

3980. श्री आर० वी० बड़े : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सैनिक अस्पताल, पठाणकोट के कुछ जूनियर कमीशन्ड अधिकारियों ने उसी अस्पताल की एक वार्ड सहायिका के साथ दुर्व्यवहार किया था और उसके साथ 5 जून, 1974 को मारपीट की थी

(ख) क्या सरकार को इस संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो इस जांच का क्या परिणाम निकला है और जूनियर कमीशन्ड अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

रक्षा मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : (क) से (ग) 5 जून, 1974 को कथित घटना के बारे में सूचना प्राप्त हो जाने पर सैनिक अस्पताल, पठानकोट के आफिसर कमांडिंग ने यूनिट जांच अदालत के आदेश दिये। कथित घटना के बारे में शिकायत की प्रतियाँ सरकार को भी मिल गई हैं। आफिसर कमांडिंग द्वारा आदेश दी गई जांच अदालत से पता चला है कि 5 जून, 1974 को वार्ड सहायिका एक अन्य वार्ड सहायिका के साथ अस्पताल के दुकानदार की दुकान पर गई थी। अस्पताल के कुछ अन्य असैनिक कर्मचारी भी उस समय दुकान पर उपस्थित थे। वहां पर असैनिक कर्मचारियों की बड़ी संख्या में उपस्थिति के बारे में दुकान के प्रभारी जूनियर कमीशन आफिसर द्वारा पूछे जाने पर जब कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला तो जो व्यक्ति उस समय ड्यूटी पर नहीं थे उन्हें चले जाने के आदेश दिये। वार्ड सहायिका ने उल्टे जे० सी० ओ० को दुकान से जाने के लिए मना कर दिया। उस पर जे० सी० ओ० ने क्रोध में उसे हाथ से पकड़ कर वहां से अलग कर दिया। जे० सी० ओ० द्वारा दुर्व्यवहार करने का कोई इरादा नहीं था। अस्पताल के आफिसर कमांडिंग ने ज० सी० ओ० की बाहर नियुक्ति की सिफारिश की है; और उसे कहीं अन्य जगह स्थानांतरित करने के लिए कार्रवाई की जा रही है।

कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम की प्रयोज्यता

3981. श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के उपबन्धों के अधीन बहुत से महत्वपूर्ण उद्योगों को नहीं रखा गया तथा इन उद्योगों के कर्मचारियों को कर्मचारी भविष्य निधि योजना के लाभ से वंचित रखा जा रहा है; और

(ख) क्या सरकार का विचार है कि उन उद्योगों और प्रतिष्ठानों की श्रेणियों की जांच की जाय तथा सीमा बद्ध कार्यक्रम के रूप में उन पर कर्मचारी भविष्य निधि अधि नियम लागू किया जाय तथा प्रायोज्यता को 20 कर्मचारी से घटाकर 10 करने के लिये तथा हकदारी की अवधि 240 दिन से केवल 90 दिन करने के लिए अधिनियम के उपबन्धों में संशोध न भी किया जाये ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) भविष्य निधि प्राधिकारियों ने निम्न प्रकार सूचित किया है :—

सभी महत्वपूर्ण उद्योग कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि अधिनियम, 1952 के क्षेत्र के अन्तर्गत लाए गए हे । वीस से कम व्यक्तियों को नियोजित करने वाले प्रतिष्ठानोंपर अधिनियम को लागू करने का प्रस्ताव विचाराधीन हैं। निधि की सदस्यता के लिए पात्रता की अवधि को "12 महीनों या कम अवधि के दौरान 240 दिनों" से घटाकर 'छः महीनों या कम अवधि के भीतर 120 दिन" करने वाली एक अधिसूचना जारी की गई है ।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कर्मचारियों के वेतन को तृतीय वेतन आयोग के प्रतिवेदन के अनुसार पुनरक्षित करना

3982. श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कर्मचारियों के संघ और यूनियन ने यह परामर्श दिया है कि हाल ही में लागू की गई अनिवार्य जमा योजना के बारे में तब तक कार्यवाही न की जाये जबतक कि उनके वेतनों का पुनरीक्षण तृतीय वेतन आयोग के प्रतिवेदन के अनुसार नहीं किया जाता है;

(ख) क्या लगभग सभी सरकारी विभागों और उपक्रमों में तृतीय वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू कर दिया गया है परन्तु प्रक्रिया संबंधी कठिनाइयाँ पैदा करके कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कर्मचारियों को वेतनमानों के पुनरीक्षण का लाभ नहीं दिया गया है; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) से (ग) यह मालूम नहीं है कि तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों सभी सरकारी विभागों और उपक्र मों में कार्यान्वित की गई हैं कि नहीं । कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के केन्द्रीय न्यासी बोर्ड ने अपने कर्मचारिषों के लिए उच्चतर वेतनमानों की सिफारिश की है और वे इस समय सरकार के विचाराधीन हैं । अखिल भारत कर्मचारी भविष्य निधि कर्मचारी संघ और क्षेत्रीय कार्यालयों में कुछ कर्मचारी यूनियनों ने सूचित किया है कि उन्होंने अतिरिक्त उपलब्धि (अनिवार्य जमा) अध्यादेश, 1974 से संबंधित किसी भी काम को तब तक हाथ न लगाने का निर्णय किया है जब तक कि संशोधित वेतनमान, जैसे कि बोर्ड द्वारा अनुमोदित किए गए हैं, कार्यान्वित नहीं किए जाते ।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के क्षेत्रीय कार्यालयों के समीप विश्राम गृह

3983. श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महत्वपूर्ण नगरों अथ वा पर्यटन-स्थलों में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के क्षेत्रीय कार्यालयों में और उनके आस-पास विश्राम-गृह अथवा गृह अथवा कम्यूनिटी हाल बनाये जाने का प्रस्ताव बहुत समय से विचाराधीन था और यदि हां, तो प्रस्ताव की रूप रेखा क्या है; और

(ख) क्या उक्त प्रस्ताव अब भी विचाराधीन है और क्या सरकार का विचार इस मामले की एक वरिष्ठ अधिकारी के नेतृत्व में किसी समिति से जाँच कराने का है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा): भविष्य निधि प्राधिकारियों ने निम्न प्रकार सूचित किया है :—

(क) जी नहीं ।

(ख) इस समय नहीं ।

टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी की रक्षित कोयला खानों की उत्पादन क्षमता

3984. श्री सी० के० चन्द्रप्पन : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी की रक्षित कोयला खानों की औसत उत्पादन क्षमता कितनी है;

(ख) क्या टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी में कोयले की कमी की स्थिति का सामना करने के लिए टाटा बन्धू इस रक्षित खानों का पूरा उपयोग कर रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इन खानों से टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी ने कितने कोयले का उपयोग किया और इसी अवधि के दौरान अन्य श्रोतों से टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी को कितना कोयला सप्लाई किया गया ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) टाटा आयरन एण्ड स्टील कं० लि० की झरिया कोयला क्षेत्र में कोयले की खाने हैं और वेस्ट बोकारो लि० की, जो अब "टिस्को" की एक सहायक कम्पनी है, बिहार में हजारीबाग जिले में एक कोयला खान है ।

कोयला खानों के इन दो ग्रुपों की औसतन वार्षिक क्षमता नीचे दी गई है :—

(1) झरिया कोयला क्षेत्र में "टिस्को" की कोयला खानें 16 लाख टन कच्चा कोयला (रा कोल)

(2) वैस्ट बोकारो . . 5.2 लाख टन कच्चा कोयला (रा कोल)

(ख) जी, हां ।

(ग) "टिस्को" के कारखाने को उनकी रक्षित खानों तथा बाह्य श्रोतों से सप्लाई किए गए कोककर कोयले की मात्रा नीचे दी गई है :—

(टन)

	1971–72	1972–73	1973–74
(1) रक्षित स्रोतों से			
धुला हुआ कोयला जामादोवा शोधनशाला .	873,913	839,947	905,355
वैस्ट बोकारों की कोयला खान . .	316,257	338,192	320,183
रन आफ माइन कोल . .	92,191	68,437	21,644
(2) बाह्य स्रोतों से :			
धुला हुआ, मिश्रिण योग्य तथा रन ऑफ माइन कोल	730,132	722,474	470,600
	2,012,493	1,969,050	1,717,782

उपर्युक्त के अलावा "टिस्को" द्वारा अपनी धमन धट्टी की कोक की आवश्यकता की पूर्ति के लिए प्रतिवर्ष सिजुआ की कोक भट्टियों, भारत कोकिंग कोल लि० की बीहाइव ओवन तथा बोकारो स्टील से लगभग 3,50,000 टन हार्ड कोक प्राप्त किया जाता है ।

इस्पात की चोरबाजारी करने के कारण वंचित की गई फर्में

3985. **श्री एम० एम० जोजफ :**

श्री सतपाल कपूर :

श्री नवल किशोर सिंह :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 12 आगस्त, 1974 को समाचारपत्रों में यह समाचार प्रकाशित हुआ है कि उत्तर भारत के चार राज्यों और दो संघ राज्य क्षेत्रों में लगभग 300 फर्मों को यह पता चलने पर कि वे अपने कोटे की चोर बाजारी कर रही थी, पांच साल की अवधि के लिए या तो इस्पात का आबंटन प्राप्त करने से वंचित कर दिया गया है अथवा उनके लाइसेन्सो को निलम्बित कर दिया गया है और यदि हां तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है ;

(ख) क्या इस्पात के सामान की चोर बाजारी को रोकने के लिए अन्य राज्यों में भी इस्पात के कोटे के दुरुपयोग का पता लगाने के लिए क्षेत्रिय लोहा तथा इस्पात नियंत्रक के कार्यालय का अभियान प्रारम्भ करने का विचार है; और

(ग) इस चोरबाजारों को रोकने के लिए सरकार का क्या दण्ड देने का प्रस्ताव है ।

इस्पात और खान मंत्रालय म उप मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) जी, हां । यह रिपोर्ट काफी हद तक ठीक है ।

(ख) बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास, हैदराबाद और कानपुर में लोहा और इस्पात नियंत्रक के छः क्षेत्रीय कार्यालय हैं । क्षेत्रीय लोहा और इस्पात नियंत्रकों द्वारा अपने-अपने क्षेत्रों में उचित कार्यवाही की जा रही है ।

(ग) लोहा और इस्पात (नियंत्रण) आदेश, 1956 में किए गए संशोधनों में विशेषरुप से यह व्यवस्था की गई है कि जिस काम के लिए इस्पात का आबंटन अथवा मांग की गई हो, उससे भिन्न काम के लिए इसका इस्तेमाल लोहा तथा इस्पात (नियंत्रक) आदेश का उल्लंघन माना जाएगा और इस प्रकार आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अधीन दंडनीय अपराध होगा । जहाँ कहीं भी सिद्ध हो जायेगा कि लोहे और इस्पात का दुरुपयोग किया गया है वहां लोहा और इस्पात (नियंत्रण) आदेश और/अथवा आवश्यक वस्तु अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कार्रवाई की जाएगी ।

भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड का एक नया एकक स्थापित किया जाना

3986. **श्रीमती प्रेमला बाई चव्हाण** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत इलैक्ट्रोनिक्स लिमिटेड की एक अन्य एकक स्थापित करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो उसको कहां पर स्थापित करने का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या उसकी महाराष्ट्र राज्य के पिछड़े क्षेत्र में स्थापित करने की सम्भावना पर विचार किया जा रहा है ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड के पास नई यूनिट स्थापित करने के लिए इस समय कोई ठोस योजना नहीं है ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

श्रीनगर में जेंकोट में एच० एम० टी० द्वारा हाथ घडी की एक नयी निर्यात-किस्म 'चिनार' का उत्पादन

3987. **श्री एम० एम० जोजफ** : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दूस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड ने श्रीनगर के समीप जेंकोट से हाथघड़ी की एक नयी निर्यात किस्म "चिनार" का उत्पादन आरंभ कर दिया है;

(ख) उक्त घड़ी का अनुमानित मूल्य कितना होगा ;

(ग) क्या सरकार के विचार से यह घडी अन्य देशों की घड़ियों के मुकाबले में अधिक टिकाउ सिद्ध होगी; और

(घ) विदेशों में इसकी बिक्री से सरकार का अनुमानत: कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित करने की संभावना है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) श्रीनगर में एच० एम०टी० का घडियां बनाने वाला एकक "चिनार" नामक हाथ से चाबी दी जाने वाली कलाई घड़ियों का निर्माण कर रहा है। करों के अलावा इस घड़ी की कीमत 140 रुपये है और यह घड़ी एच० एम० टी० की उसी श्रेणी की अन्य घड़ियों की एक किस्म है।

(ग) जी, हां। किन्तु यह कहना ठीक नहीं होगा कि ये घड़िया मुख्यत: निर्यात के लिए बनाई जाती हैं।

(घ) इसका कोई अंदाज नहीं लगाया जा सकता है क्योंकि अभी तक ये घडियां निर्यात नहीं की गई हैं। देश की अत्यधिक अपूरित मांग के प्रसंग में किसी विशष निर्यात-प्रयास की परिकल्पना भी नहीं की गई है।

एक गैर सरकारी परिवहन फर्म के विरुद्ध कथित आरोप

3988. **श्री आर० पी० उलगनम्बी** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुनर्वास निदेशक ने पालम हवाई अड्डे पर स्थानीय यात्रियों के लिये बस चलाने हेतु ठेका दिये जाने के लिये एक गैर-सरकारी फर्म की सिफारिश की थी;

(ख) क्या फर्म के निदेशक का नाम काली सूची में दर्ज किया गया था;

(ग) यदि हां, तो (एक) काली सूची में नाम दर्ज करने और (दो) उसके बाद उसको ठेका दिया जाने की सिफारिश करने के क्या कारण थे ;

(घ) क्या यह आरोप लगाया गया है कि कुछ सैनिक अधिकारियों ने उस फर्म को ठेका दिलवाने के लिये अपने पदों का उपयोग किया था, और

(ङ) यदि हां, तो क्या इन आरोपों की सत्यता का पता लगाने के लिये कोई जांच करने का विचार है ?

रक्षा मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : (क) आई०ए० सी० द्वारा दिल्ली और पालम हवाई अड्डे के बीच अपनी पैसेंजर कोच सेवा बन्द करने का निर्णय ले लिए जाने के पश्चात् इन्टरनेशनल एयरपोर्ट अथार्टी आफ इंडिया (आई० ए० ए० आई०) ने एयर लाइन यात्रियों के लाभ के लिए एक निजी परिवहन ठेकेदार से संविदा करने का निश्चय किया। उस अवस्था में पुनर्व्यवस्थापन के महानिदेशालयने, जिसे भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार और स्वनियोजन के अवसरों के बारे में सलाह देने/मार्गदर्शन करने का

उत्तरदायित्व है, भूतपूर्व सैनिकों के चयन किए गये एक ग्रूप को प्रस्तावित कार्य के लिए प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी बनाने की सलाह दी और इस प्रकार से बनी हुई कम्पनी की आई० ए० ए० आई० से सिफारिश की। इन्टरनेशनल एयरपोर्ट अथार्टी आफ इण्डिया ने इस पर विचार किया और देशीय उड़ानों के लिए पालम हवाई अड्डे और दिल्ली के बीच उन्हें पैसेंजर कोच चलाने का ठेका दे दिया।

(ख) जी नहीं श्रीमन्।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जैसा उपर (क) में बताया गया है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

ईटस् पुनर्वास परियोजना

3989. श्री आर० पी० उलगनम्बी : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने "ईटस" नाम से एक पुर्नवास परियोजना का प्रदर्शन किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या "ईटस" को प्रायोजित परियोजना के रुप में सभी लाभ प्राप्त हो रहे है; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या उक्त परियोजना गैर-सरकारी क्षेत्र में है और यदि हां, तो उनके मंत्रालय का इस परियोजना के धन संबंधी पहलू सहित परियोजना पर किस प्रकार नियंत्रण है ?

रक्षा मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जानकी वल्लभ पटनायक) : (क) जी हां, श्रीमन्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) "इटस" दिल्ली और हरियाणा के लिए कम्पनियों के पंजीयक की मोहर के अधीन एक प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी के रूप में पंजीकृत भूतपूर्व सैनिकों की परियोजना है। मंत्रालय में पुनर्व्यवस्थापन के महानिदेशक आम तौर से इस कम्पनी के कार्य संचालन को देखते हैं जिसमें योजना के मुख्य उद्देश्यों के प्रकाश में इसके वित्तीय पहलू भी सम्मिलित हैं।

जीटर टी–25 और स्वराज ट्रैक्टरों की बिक्री

3990. श्री महेन्द्र सिंह गिल : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1973 में और 1974 के आरंभ में अप्रैल, 1974 तक जीटर टी–25 और स्वराज ट्रैक्टरों की बिक्री अलग-अलग कितनी हुई;

(ख) जून, 1974 के अन्त तक उपरोक्त किस्मों के ट्रैक्टरों में से प्रत्येक के लिए कितने क्रयादेश ऐसे हैं जिन में 1000 रुपये की राशि डाकघरों में जमा हैं; और

(ग) इस मांग को पूरा करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) आवश्यक जानकारी निम्न प्रकार है :—

ट्रैक्टर के माडल का नाम	बेचे गये ट्रैक्टर		अनिर्णित क्रयादेश
	1973	1974 (30-4-74 तक)	30-6-1974 तक
1. जीटर–2511 (25 अ० श०) .	1,871	2,129	7,622
2. टी–25 (25 अ० श०) . .	1,066	166	1,100
3. स्वराज–724 (23.6 अ०श०) . .	कुछ नहीं	11	458

(ग) सरकार द्वारा सभी प्रकार की सहायता दी गई है जिसमें पुर्जों का आयात भत्ता भी सम्मिलित है। हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के ट्रैक्टरों के उत्पादन में भी पर्याप्त वृद्धि हुई है, और संभावना है कि 1974–75 के वित्त वर्ष में यह उत्पादन 7,000 तक पहुंच जायेगा। अनिर्णित मांग को पूरा करने के लिये अन्य दो मेंकों के ट्रैक्टरों के उत्पादन में भी महत्वपूर्ण वृद्धि होगी।

Fake Drugs in Bihar

3991. Shri Dhan Shah Pradhan : Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether his attention has been drawn to the news item published in English Daily dated the 5th August, 1974 regarding fake drugs in Bihar;

(b) if so, the action taken so far in this regard; and

(c) the decision likely to be taken for adopting more stringent measures in future?

The Deputy Minister in the Ministry of Health and Family Planning (Shri A. K. Kisku) : (a) Yes.

(b) & (c) The information is being collected and will be laid on the Table of Sabha.

Attitude of New U. S. President towards India

3992. Shri Dhan Shah Pradhan : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether the new President of U.S.A. ignored Indian Ambassador as reported in a local Hindi Daily dated the 13th August, 1974; and

(b) the reaction of Government thereto?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) & (b) The Government of India do not consider that the absence of the Indian Ambassador from the first group of diplomats received by President Ford amounted to his ignoring this country. The U.S. President received the Ambassador of India on 21 August 1974 and discussed matters of common interest.

नकली औषधियों के निर्माण और उनकी बिक्री के विरुद्ध कार्यवाही

3993. श्री सतपाल कपूर :

श्री नवल किशोर सिंह :

श्री शशि भूषण :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1974 से 31 जूलाई, 1974 की अवधि के दौरान देश में नकली औषधियों के निर्माण और उन की बिक्री करने के सिलसिले में काली सूची में दर्ज की गई फर्मों की कुल संख्या, गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों की कुल संख्या, सीलबन्द किये गये गोदामों की कुल संख्या और जूर्माने की कुल राशि का राज्य-वार और संघ राज्य क्षेत्र वार ब्यौरा क्या है;

(ख) नकली दवाइयों के निर्माण और उनकी बिक्री के काम में लगे व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कठोर कार्यवाही की गई अथवा करने का विचार है; और

(ग) नकली औषधी जालसाजी का पता लगाने के लिए क्या अन्य कठोर उपाय किए जा रहे हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (प्रो० ए० के० किस्कु) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(ग) नकली दवाइयों के निर्माण और बिक्री को रोकने के लिए निम्नलिखित नए कदम उठाए गए हैं :—

1. अप्रैल, 1974 में हुई केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद की पिछली बैठक में नकली दवाइयों के प्रचलन के बारे में और नकली दवाइयों को इस बुराई को रोकने के लिए अखिल भारतीय स्तर पर किये जाने वाले उपायों पर विचार विमर्श किया गया था । केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद ने एक संकल्प पारित किया था जिसमें अन्य बातों के साथ साथ राज्य सरकारों से यह भी सिफारिश की गई थी कि वे "आसूचना एवं विधि कक्षा" समेत एक उपयुक्त कार्यान्वियन मशीनरी तैयार करें जो नकली दवाइयों को बुराई को रोकने के लिए मुख्यालय और जिला स्तर पर पुलिस के साथ निकट सम्पर्क बनाए रखे ।

2. केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों को लिखा है जिसमें राज्य में राज्य औषधि नियंत्रण प्रशासन के महत्व पर जोर दिया गया है और कार्यान्वियन प्रक्रियाओं को सख्त करने की आवश्यकता बताई गई है । उसमें एक कारगर औषधि नियंत्रण प्रशासन की आवश्यकताओं का उल्लेख किया गया है और केन्द्रीय सरकार किस हद तक सहायता दे सकती है उस पर प्रकाश डाला गया है । अपराधी के पकडे जाने पर वर्तमान कानून के अनुसार जहां तक हो सके कडा दण्ड देने की आवश्यकता पर भी बल दिया गया है ।

3. राज्य औषधि नियंत्रण प्रशासन के साथ मिलकर केन्द्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन द्वारा इंजेक्शन बनाने वाली सभी फर्मों का निरीक्षण करने का एक त्वरित कार्यक्रम आरम्भ कर दिया गया है ।

4. नकली दवाइयों के बनाने और बेचने सम्बन्धी अपराधों पर कडे दण्ड देने के लिए औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम को संशोधित करने का विचार है ।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा औषधालयों में औषधियों की कम सप्लाई

3994. श्री सतपाल कपूर :

श्री नवल किशोर सिंह :

श्री शशि भूषण :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता चला है कि केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा औषधालयों में पेटेन्ट और स्टैंडर्ड औषधियां या तो बिलकुल नहीं मिलती अथवा उनकी सप्लाई बहुत कम है जिसके परिणामस्वरूप रोगियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है; और

(ख) इस स्थिति में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है या करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) और (ख) कुछ दवाइयों को छोड़ कर केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना की फार्मूलरी में दी हुई सामान्यत: तमाम दवाइयां स्टाक में उपलब्ध होती हैं। यदि किसी समय केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना में अथवा प्राधिकृत केमिस्ट अर्थात सुपर बाजार के पास दवाइयां उपलब्ध नहीं होतीं तो रोगी उन्हें बाजार से खरीद सकता है और उनकी कीमत का उन्हें भुगतान कर दिया जाता है। वैसे इसी बीच उस दवाई के समान गुणों वाली अन्य उचित दवाई तुरन्त ही निर्धारित कर दी जाती है और रोगी को दे दी जाती हैं।

सब्जी मण्डी दिल्ली में आई० टी० आई० के लिए भवन

3995. श्री सतपाल कपूर : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सब्जी मंडी, दिल्ली में आई० टी० आई० के लिए भवन का निर्माण किया गया है;

(ख) भवन का निर्माण कार्य कब पूरा हुआ;

(ग) क्या उसके कर्मचारी तथा अन्य संबंधित विभाग इस बीच वहां स्थानान्तरित कर दिए गए है; और

(घ) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो उन्हें वहां भेजने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) भवन पूर्ण होने की अन्तिम स्थिति में है।

(ग) और (घ) भवन के विद्युतीकरण और पावर वायरिंग संबंधी कार्य किया जा रहा है। यह कार्य लगभग दो माह में पूरा हो जाने की आशा है। बिजली का कार्य पूरा हो जाने के बाद स्थानान्तरण शुरु हो जाएगा।

केरल में भूगर्भीय सर्वेक्षण के निष्कर्षों पर आधारित उद्योग

3996. श्री सी० के० चन्द्रप्पन : क्या **इस्पात और खान** मंत्री केरल में प्राकृतिक संसाधनों की खोज के बारे में 25 जुलाई, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 686 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या केरल में इन अयस्कों से सम्बद्ध कोई उद्योग स्थापित करने का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद): इस समय केरल में अग्निसह मिट्टी (फायरक्ले) चीनी मिटटी, चूनेश्म सिलीमैगनाइट, सेलखड़ी और दूसरी मिटियों के निक्षपों का समुपयोजना किया जा रहा है। राज्य सरकारने, अपने द्वारा गठित कार्यकारी दल की अनुशंसाओं के आधारपर खनिजों के समुपयोजन के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम बनाया है :—

(1) खनिज की खोज, जिसमें राज्य के विभिन्न भागों में लौह-अयस्क, बाक्साइट, ग्रेफाइट, चीनी मिट्टी, और शीशा रेत के निक्षेपों का प्रायोगिक खनन और व्यापक नमूना कार्य शामिल है।

(2) जिला पालघाट में, वालयार के समीप, पॉडरे के ज्ञात चूना पत्थर निक्षेपों का विस्तृत अध्ययन।

(3) विस्तृत रासायनिक परीक्षण और अर्यस्क परिष्करण परीक्षणों के लिए रसायन प्रयोगशाला को मजबूत करना।

(4) राज्य के जंगलात क्षेत्रों में आर्थिक खनिजों की व्यापक खोज।

(5) खनिज निक्षेपों की खोज, पूर्वेक्षण, खनन तथा परिष्करण के क्षेत्र में तकनीकी कार्मिकों को उच्च प्रशिक्षण देना।

(6) इस समय एक संयुक्त कार्यक्रम के अधीन राज्य के खनन और भूतत्व विभाग तथा विश्व विद्यालय के भूतत्व विभाग में किए जा रहे शोध और विकास संबंधी कार्यों को तेज करना।

उड़ीसा खनन निगम द्वारा पुराना क्रशर खरीदे जाने का आरोप

3997. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन का ध्यान उड़ीसा विधान सभा में हाल ही में लगाये गये इस आरोप की ओर दिलाया गया है कि अमरिका का बना एक क्रशर, जिस की कम्पनी ने स्वयं एक बार "पुराना" घोषित किया था, बादमें ऊडीसा राज्य के खनन निगम ने खरीद लिया था ;

(ख) क्या निगम ने इस पुराने "क्रशर" को वर्ष 1963 में 31 लाख रुपये में खरीदा था;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है; और

(घ) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) से (घ) उड़ीसा खनन निगम उड़ीसा सरकार के अधीन एक उपक्रम हैं जिनसे आवश्यक जानकारी देने को कहा गया है। जब यह जानकारी उपलब्ध हो जायेगी तो सभा पटल पर रख दी जाएगी।

Misuse of Steel Quota

3998. Dr. Laxminarayan Pandeya : Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) whether complaints regarding misuse of Steel quota or selling it in blackmarket by some of the steel rolling mills in Indore and Ratlam have been received; and

(b) if so, the names of the rolling in respect of which complaints have been received and the action taken against them?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Subodh Hansda) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, बिहार के कार्यालय में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों की नियुक्ति और पदोन्नति

3999. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, बिहार ने अनसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को हैड क्लर्क के संवर्ग में नियुक्त/पदोन्नत नहीं किया;

(ख) यदि हाँ, तो अनसूचित जाति और अनसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को आरक्षित रिक्त पदों पर नियुक्त/पदोन्नत न किये जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : कर्मचारी भविष्य निधि प्राधिकारियों ने निम्न प्रकार सूचित किया है :—

(क) और (ख) क्षेत्रीय आयुक्त, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों से सम्बन्धित उम्मीदवारों को प्रधान लिपिकों के संवर्ग में नियुक्त/पदोन्नत नहीं कर सके क्योंकि उनमें से किसी ने भी विभागीय पदोन्नति कोटे के प्रति पदोन्नति हेतु पात्र बनने के लिए उच्च श्रेणी लिपिक के रूप में निर्मित तीन वर्षों की सेवा पूरी नहीं की थी। इसके अतिरिक्त किसी भी अनुसूचित जाति/जन जाति के उम्मीदवार ने परीक्षा कोटे के लिए सुरक्षित रिक्तियों के प्रति प्रधान लिपिकों के पदों पर पदोन्नति हेतु परीक्षा में प्रति यत्न नहीं किया और अर्हता प्राप्त नहीं की।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

स्टील आथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड द्वारा ऋण-पत्र (डिबेंचर) जारी किया जाना

4000. **श्री अरविन्द एम० पटेल** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड ने अपनी वर्तमान वित्तीय कठिनाईयों पर काबू पाने के लिये ऋण-पत्र जारी करके संसाधिन जुटाने का प्रस्ताव किया है; और

(ख) ऋण-पत्र जारी करके कितनें धनराशि जुटाने का विचार है?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

श्रम संबंधी मामलों के लिए स्पेशल बेंच

4001. **श्री डी० पी० जदेजा** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार श्रम सम्बन्धी मामलों को निपटाने के लिए उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय में स्पेशल बेंच बनाने पर विचार कर रही जिनको निपटाने में आजकल 5-6 वर्ष लग जाते हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस को, अन्तिम रूप कब दिया जायेगा?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) से (ख) सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियमित रूप से श्रम संबंधी अपीलें सुनी जाती हैं क्योंकि न्यायालय को संवैधानिक आदेश लेखों और अपीलों, चुनाव संबंधी अपीलों, बन्दी प्रत्यक्षीकरण याचिकाओं, फौजदारी अपीलों, कर

संबंधी अपीलों, सामान्य दीवानी अपीलों से निपटना पड़ता है, इसलिए श्रम मंत्रालय को सूचित किया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के लिए एकमात्र रूप से श्रम संबंधी मामलों के लिए सर्वत्र वर्ष एक विशेष न्यायालय स्थापित करना संभव नहीं है ।

(ग) उच्च न्यायालयों के संबंध मे विधि मंत्रालय कों एक निर्देश भेजा गया है ।

Assistance to Pakistan Navy by various Countries

4002. Shri Madhavrao Scindia :
Shri G. P. Yadav :

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) the names of the countries from which Pakistan has received assistance for strengthening her Navy after the Indo-Pak War of 1971 and the nature of the assistance received from each of these countries; and

(b) the extent to which Pakistan's Naval Force has now increased since Indo-Pak War of 1971?

The Minister of Defence (Shri Jagjivanram) : (a) and (b) Pakistan has received assistance from foreign countries since Indo-Pak War of 1971. Pak Navy has made strenuous efforts to augment her Naval power and enhance her maritime capability. The Hon'ble member would appreciate that it will not be in the public interest to disclose further details.

डीज़ल जनरेटर सेट के आयात पर प्रतिबन्ध

4003. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार डीजल जनरेटर सेट के आयात पर प्रतिबन्ध लगाने पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई अंतिम निर्णय कर लिया गया है ; और

(ग) यदि हा, तों तत्सम्बन्धी मुख्य बाते क्या हैं ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) डीजल जनरेटिंग सेटों के आयात पर पहले से ही प्रतिबन्ध लगा है । इसलिए सरकार द्वारा प्रतिबन्ध लागू करने पर विचार करने का प्रश्न हीं नहीं उठता ।

खेतिहर मजदूरों का अध्ययन

4004. **श्री के० लकप्पा** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे की :

(क) खेतिहर मजदूरों के बारे में पिछली बार अध्ययन कब किया गया था;

(ख) क्या योजना आयोग अथवा श्रम मंत्रालय ने कृषि मंत्रालय के समन्वय के साथ इस संबध में कोई प्रस्ताव प्रेषित किये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) समय-समय पर की गई खेतिहर/ग्रामीण श्रमिक जांचे, राज्यों के स्तर पर और समग्र देश के रूप में ग्रामीण श्रमिकों (खेतिहर सहित) के सामाजिक-आर्थिक अभिलक्षणों का अध्ययन करने के लिए व्यापक ढंग की जांच हैं । इस योजना के अधीन अंतिम अध्ययन 1963–65 में किया गया था और वह प्रथम ग्रामीण श्रमिक जांच के रूप में ज्ञात है ।

(ख) और (ग) द्वितीय ग्रामीण श्रमिक जांच 1974-75 ब्यूरो की अनुमोदित पांचवीं योजना के अन्तर्गत एक योजना है। क्षेत्रीय कार्य पहले ही 1-7-1974 से प्रारम्भ हो गया है और 30-6-1975 तक जारी रहेगा। योजना आयोग द्वितीय ग्रामीण श्रमिक जांच के साथ इस सीमा तक सहयोगी है कि यह, आयोग द्वारा पांचवीं योजना की एक योजना के रूप में अनुमोदित की गई थी। कृषि मंत्रालय विशिष्ट रूप से इस जांच के साथ सम्मिलित नहीं है। जांच की तकनीकी रूप रेखा क. राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संग्रह संबंधी शासी परिषद द्वारा अंतिम रूप दिया गया है। यह परिषद एक उच्च अधिकार प्राप्त निकाय है जो भारत सरकार के चुने हुये मंत्रालयों, राज्य सरकारों और स्वतंत्र अनुसंधान संगठनों/विश्वविद्यालयों का प्रतिनिधित्व करती है।

द्वितीय ग्रामीण श्रमिक जांच के अन्तर्गत, निम्नलिखित पहलुओं पर सूचना एकत्र की जा रही है :—

(i) परिवार का जनांकिकीय ढ़ाचा,

(ii) रोजगार और बेरोज़गारी की अवधि और श्रमिक समय व्ययन,

(iii) औसत दैनिक आमदनियों,

(iv) परिवार की आय,

(v) उपभोग व्यय, और

(vi) ऋण ग्रस्तता।

राज्य और अखिल भारतीय स्तर पर प्राक्लनों की व्यवस्था की जाएगी, चालू श्रमिक जांच की अवधारणाओं और परिभाषाओं तथा प्रथम ग्रामीण श्रमिक जांच 1963-65 की अवधारणाओं और परिभाषाओं में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है ताकि सही तुलनायें की जा सकें।

बस के लिए परमिट देने के बारे में शिक्षित बेरोजगारों को प्राथमिकता

4005. श्री श्याम सुन्दर महापात्र : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा तथा अन्य राज्यों में शिक्षित बरोजगार व्यक्तियों की टैक्सी, मिनी बस तथा बस के परमिट देने में प्राथमिकता दी जायेगी ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में भारत सरकार भिन्न-भिन्न राज्यों को निदेश जारी करेगी ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) राज्य सरकारी और प्रशासनों को सलाह दी गई है कि वे टैक्सी व्यापार के लिए कारों और आटो रिक्शाओं के अपने कुल आवंटन का कम से कम 20 प्रतिशत स्वत: रोजगार प्राप्त हाई स्कूल पास टैक्सी/आटो रिक्शा ड्रायवरों और योग्यता प्राप्त तकनीशियनों के लिये निर्धारित करें। इसके अतिरिक्त शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार देने की योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकारों को आटो रिक्शाओं और टैक्सियों का तदर्थ आवंटन किया गया है। बसों जिनमें मिनी बस भी सम्मिलित हैं, के वितरण और बीकरी पर कोई नियंत्रण नहीं है। जब भी, शिक्षित बेरोजगारों से गाड़ियों के विशेष आवंटन के लिये कोई प्रार्थना-पत्र प्राप्त होता है, उस पर उचित कार्यवाही की जाती है।

आटोमोबाईल स्कूटर कम्पनियों द्वारा डीलरों की नियुक्ति

4006. श्री स्वर्ण सिंह सोखो : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) देश के सभी राज्यों में, जिलावार उन डीलरों और एजेंसियों के नाम और पते क्या है, जिन्हे (एक) मैसर्स हिन्दुस्तान मोटर्स, (दो) मैसर्स स्टैन्डर्ड मोटर्स, (तीन) मैसर्स

टैल्को लिमिटेड, (चार) मैसर्स प्रीमियर ओटोमोबाईल्स (पांच) मैसर्स बजाज स्कूटरर्स, (छ) मैसर्स स्कूटरर्स इंडिया (सरकारी क्षेत्र में) द्वारा नियुक्त किया गया है और अलग-अलग कम्पनियों की उनके लिए शर्तें क्या है ;

(ख) क्या बसों, ट्रकों, कारों और स्कूटरों का देश में निर्माण करने वाली ये कंपनियां और उनके डीलर और एजेंट वास्तविक उपभोक्ताओं को पर्याप्त मात्रा में फालतू पुर्जे सप्लाई नहीं कर रहे है और बहुत अधिक मूल्यों पर उन्हें काले बाजार में बेच रहे है; और

(ग) क्या सरकार का विचार फालतू पुर्जो के मूल्य निर्धारित और नियंत्रित करने हेतु तत्काल उपाय करने और परमिट पद्धति लागू करके अलग-अलग एजेंसियो के माध्यम से इनका विवरण आरम्भ करने का है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दलबीर सिंह): (क) गाड़ियो के वितरण के लिए विक्रेताओं की नियुक्ति करना पूर्णरूप से निर्माताओ का काम है। इसलिए विभिन्न कम्पनियों द्वारा नियुक्त विक्रेताओं के नामों तथा पतों का ब्यौरा और उनकी नियुक्ति की शर्तें सरकार के पास तत्काल उपलब्ध नहीं हैं। जहां तक सरकारी क्षेत्र में स्कूटर्स इण्डिया लिमिटेड का संबंध है, स्कूटरो के वितरण के लिए उन्होने जो योजना बनाई है उसमें यह परिकल्पना की गई है कि देश के विभिन्न भागो में स्थापित किए जाने वाले खुदरा बिक्री केन्द्र बेरोजगार इंजीनियरों और भूतपूर्व सैनिकों में से नियुक्त किए गए व्यक्तियों द्वारा चलाये जायेंगे। मैसर्स स्कूटर्स इण्डिया लिमिटेड इस समय अपने स्कूटरों के लिए विक्रेताओं की नियुक्ति को अंतिम रुप दे रहा है।

(ख) मोटर गाड़ियों के निर्माता अपनी गाड़ियों के लिए सभी हिस्से पुर्जों का निर्माण नहीं कर रहे हैं। वे अपना सामान सहायक सामान सम्भरणकर्ताओं से प्राप्त करते हैं जो प्रतिस्थापन बाजार को भी सम्भरण करते हैं, मोटर गाड़ी निर्माताओं की आवश्यकता पूरी करने के लिए सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नये एकक स्थापित करके और विद्यमान एककों का विस्तार करके अतिरिक्त क्षमता की अनुमति दी है। कुछ प्रकार के फालतू पुर्जों की अत्यधिक कम सप्लाई का सरकार को पता है। काले बाजारी का कोई विशिष्ट मामला सरकार की जानकारी में नहीं लाया गया है।

(ग) सरकार यह अनुभव करती है कि इस जैसे उद्योग में जो कि देश के विभिन्न भागों में फैला हुआ है और जिसका उत्पादन और वितरण का क्षेत्र विशाल है, अभाव की स्थिति में वितरण पर नियंत्रण की अपेक्षा उत्पादन में वृद्धि करने के उपायों का व्यापक प्रभाव होगा।

इस्पात संयंत्रों द्वारा नये सीमित (कैप्टिव) विद्युत एककों की स्थापना

4007. श्री डी० बी० चन्द्र गौडा : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन इस्पात संयंत्रों के नाम क्या हैं जिनका नये सीमित (कैप्टिव) विद्युत एककों की स्थापना अथवा वर्तमान एककों का विस्तार करने का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुबोध हंसदा): बोकारों, भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर के इस्पात कारखाने और दुर्गापुर के मिश्रित इस्पात के कारखाने तथा "टिस्को" के इस्पात कारखाने के लिए रक्षित बिजली उत्पादन-क्षमता में वृद्धि करने के प्रस्ताव है।

खाद्यान्नों में मिलावट करने वालों को आजीवन कारावास

4008. श्री मुख्तियार सिंह मलिक : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कुछ राज्य विधान सभाओं ने खाद्यान्नों तथा अन्य वस्तुओं में मिलावट करने वालों को आजीवन कारावास दंड की व्यवस्था करने वला विधेयक पास कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी विधान सभाओं के नाम क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार केवल पश्चिम बंगाल विधान सभा ने एक ऐसा अधिनियम बनाया है ।

पांचवीं योजना के दौरान अनुसन्धान योजनाओं तथा श्रमिक समस्याओं के सर्वेक्षण की व्यवस्था

4009. श्री वसन्त साठे :
श्री धामनकर :

क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवीं योजना के दौरान अनुसन्धान योजनाओं और श्रमिक-समस्याओं के विभिन्न पहलुओं के बारे में सर्वेक्षणों की व्यवस्था को काफी कम कर दिया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो लेबर ब्यूरों द्वारा प्रस्तावित परिव्यय पर किस सीमा तक कटौती की गई है और तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है कि अनुसन्धान परियोजना तथा श्रम आंकड़े एकत्र करने पर प्रस्तावित कटौती से कोई प्रभाव न पड़े ?

श्रम मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क)से (ग) पांचवीं योजना के अन्तर्गत श्रम अनुसंधान और आंकड़ों से संबंधीत कार्यक्रमों के लिए श्रम ब्यूरो द्वारा प्रस्तावित परिव्यय 184.21 लाख रुपये के लगभग था । योजना आयोग ने ऐसे कार्यक्रमों के लिए 120.00 लाख रुपये के परिव्यय का अनुमोदन किया था । योजना आयोग का विचार था कि ग्रामीण श्रमिक जाँच, व्यावसायिक मजदूरी सर्वेक्षण जैसे पुनरावृत्तिमय सर्वेक्षणों की आवश्यकता के बारे में, वर्तमान सर्वेक्षणों के परिणामों का पूरी तरह विश्लेषण और मूल्यांकन हो जाने के बाद, यथा-समय विचार किया जा सकता है। वित्तीय साधनों सम्बन्धी स्थिति को ध्यान में रखते हुए अन्य प्रस्तावित नई योजनाओं को और दीर्घ-कालीन अवधि के लिए बनाया जा सकता है। तथापि, प्रस्तावित कटौती से श्रम ब्यूरों की किसी महत्वपूर्ण अनुसंधान प्रायोजना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है ।

ग्रेशम एण्ड क्रेवेन आफ इंडिया (प्राइवेट) लिमिटेड, कलकत्ता

4010. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रेशम एण्ड क्रेवेन आफ इंडिया (प्राइवेट) लिमिटेड, कलकत्ता के प्रबन्ध को सरकारने अप्रैल, 1971 में "रुग्ण" एकक के रुप में अपने नियंत्रण में ले लिया था;

(ख) क्या उसके बाद 30 लाख रुपये के मूल्य का उत्पादन कम होकर एक लाख रुपये के मूल्य का रह गया है;

(ग) क्या "वैक्यूम ब्रेक कास्टिंग्ज" की अनुपलब्धता के कारण उक्त कम्पनी बन्द होने की स्थिति म है; और

(घ) यदि हां, तो स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) सरकार ने 31 मार्च, 1971 को उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के अधीन ग्रेशम एंण्ड क्रेवन आफ इंडिया (प्रा०) लि०, कलकत्ता के प्रबन्ध को अपने अधिकार में लिया था ।

(ख) जी, नहीं। कम्पनी को अधिकार में लेने के पश्चात उत्पादन मूल्य में निरन्तर वृद्धि हुई है जैसा कि निम्नलिखित से पता लगता है :—

	रुपये लाखों में
1971–72	38.66
1972–73	83.67
1973–74	104.97
1974–75 (अप्रैल-जून, 74)	27.15

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स इंडिया लि० द्वारा निर्यात क्रयादेश प्राप्त करना

4011. **श्री डी० पी० जदेजा :**
श्री बेकारिया :

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंजीनियरिंग प्रोजेक्टस इंडिया लिमिटेड को यूगोस्लेविया से एक निर्यात क्रयादेश प्राप्त हुआ हैं ;

(ख) यदि हां, तो कितनी कीमत का निर्यात क्रयादेश प्राप्त हुआ है; और

(ग) कौन-कौन सी मशीनें निर्यात करने का प्रस्ताव है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दलबिर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) 5.7 करोड़ रुपये।

(ग) जिन मशीनों का निर्यात करने का प्रस्ताव है उनमें कोक ओवन बैटरी के लिए उष्मसह सामान, ओवन मशीनें, कोक बुझाने के उपकरण और उपोत्पाद संयंत्र और सहायक संयंत्रों के लिए उपकरण सम्मिलित है।

केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के भेषजविज्ञों की पदोन्नति तथा वेतनमान

4012. **श्रीमती मुकुल बनर्जी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के भेषजविज्ञों के लिये उनके सेवाकाल में पदोन्नति के क्या अवसर हैं;

(ख) पदोन्नति पदों के वेतनमान क्या हैं; और

(ग) क्या केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा औषधालयों के भेषजविज्ञों एवं स्टोरकीपरों के लिये कोई उच्च वेतनमान हैं और यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना इस प्रकार है :—

(i) @80–110 रुपये के वेतनमान में ग्रेड–II के स्थायी फार्मेसिस्ट 10 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद @130–240 रुपये के वेतनमान में ग्रेड–I के फार्मेसिस्ट के पद पर पदोन्नति के पात्र है ।

(ii) फार्मेसिस्टों के ग्रेड में स्थायी पदों के 10 प्रतिशत पद @205–280 रुपये के वेतनमान में इस समय सेलेक्शन ग्रेड में हैं ।

(iii) ग्रेड–I के फार्मेसिस्ट जिनकी इस ग्रेड में 3 वर्ष की सेवा पूरी हो चुकी है, @130–300 रुपये के वेतनमान में स्टोरकीपर/फार्मेसिस्ट-कम-क्लर्क के पदों पर वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर पदोन्नति के पात्र हैं ।

(iv) स्टोरकीपर/फार्मेसिस्ट-कम-क्लर्क ग्रेड–I के फार्मेसिस्ट सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से भंडार अधीक्षक (वेतनमान @270–380 रुपये) तथा सहायक भंडार अधीक्षक (वेतनमान @210–380 रुपये) के रूप में नियुक्त किये जाने के पात्र है ।

(ग) केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना के औषधालयों में फार्मेसिस्ट-कम-स्टोरकीपरों के कोई पद नहीं हैं । फिर भी, तीसरे वेतन आयोग की सिफारिश पर फार्मेसिस्ट-कम-क्लर्कों/स्टोर कीपरों के वेतनमानों को संशोधन करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ।

विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में
RE : QUESTION OF PRIVILEGE

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपूर) : मैंने विशेषाधिकार के प्रस्ताव का नोटिस दिया है मुझे वक्तव्य देने की अनुमति दी जाये ।

संगीत और नाटक प्रभाग एक सरकारी उपक्रम है। संगीत तथा नाटक प्रभाग के मैनेजर श्री सुशील कुमार तनवर को दिल्ली से भुवनेश्वर स्थानान्तरित किया जाना था । उनकी पत्नि बहुत बीमार थी। अतः मैंने उनके बारे में श्री गुजराल से बात की और उनके स्थानान्तरण के आदेश रद्द हो गये । लेकिन आज दुर्भाग्य से श्री तनवर को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है कि उन्होंने राजनीतिक दबाव का सहारा क्यों लिया । उन्हें चेतावनी दी गई है कि यदि इस प्रकार की कार्यवाही की पुनरावृत्ति की गई तो उनके विरुद्ध कठोर विभागीय कार्यवाही की जायेगी ।

मैं केन्द्रीय और राज्य सरकारों के कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करता हूं । हाउस आफ कामन्स में एक सदस्य किसी भी व्यक्ति के मामले का प्रतिनिधित्व कर सकता है और यदि कोई मतदाता अपना मामला उठाना चाहे तो वह उस मामले को हाउस आफ कामन्स के सदस्य के माध्यम से उठा सकता है, लेकिन यहां क्योंकि श्री तनवर के मामले का मैंने प्रतिनिधित्व किया इसलिये उन्हें दण्डित किया जा रहा है ।

मुझे केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों का मामला और प्रत्येक कर्मचारी का मामला उठाने का अधिकार है । यदि उक्त कर्मचारी के विरुद्ध की गई कार्यवाही को रद्द नहीं किया गया तो मैं गृहमंत्री के विरुद्ध प्रस्ताव लाउंगा ।

@पूर्व-संशोधित वेतनमान ।

अध्यक्ष महोदय : लेकिन यह विशेषाधिकार का मामला नहीं होगा। फिर भी, मैं इस मामले की जांच करुंगा। अनेक लोग निजी कार्य करवाने के लिये संसद सदस्य के पास आते हैं। कई बार उनके अनुरोध सरकार के पास भेजे जाते हैं। मैं इस मामले का अध्ययन करूंगा और देखूंगा कि हाउस आफ कामन्स में इस सम्बन्ध में क्या प्रक्रिया है और हम ऐसे मामले में क्या कार्यवाही करें।

मंत्री द्वारा वैयक्तिक स्पष्टीकरण के बारें में
RE : PERSONAL EXPLANATIONS BY MINISTER

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंडहार्बर) : यह तीसरा अवसर है जब आपने किसी मंत्री को नियमानुसार लिखकर दिये बिना वैयक्तिक स्पष्टीकरण करने की अनुमति दी है। यह आपत्तिजनक है। अविश्वास प्रस्ताव के दौरान श्री एल० एन० मिश्र और श्री डी० पी० धर को लिखित रूप में दिये बिना और आपकी अनुमति लिये बिना वैयक्तिक स्पष्टीकरण करने की अनुमति दी गई थी।

इस मामले में निदेश 115 (ग) बहुत स्पष्ट है। इस आधार पर ऐसा करना नियम का उल्लंघन है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। तीसरी बार मंत्री को वक्तव्य देने की अनुमति दी गई है। ऐसी सुविधाए मंत्री महोदय को देने के क्या कारण है? यदि ऐसी बाते होती हैं तो हमारा पीठासिन अधिकारी में कैसे विश्वास हो सकता है। कोई ऐसा उदाहरण बताइये जब आपने ऐसी सुविधाए हमें भी दी हो। यह बहुत बुरी बात है। इससे संसदीय जनतंत्र नष्ट हो जायेगा।

Shri Madhu Limaye (Banka) : I have to raise a point of Order under Rule 357. It clearly says that :

"no debatable point shall be raised and no debate shall arise".

In this case written statement should be given. First of all, you asked him not to make a statement at that time, but when the Prime Minister intervened you changed your decision. In our case, you have always been of the view that there should be some rule. I want to know whether there are no rules for the Prime Minister? It is not in keeping with your dignity... *(Interruptions)*

अध्यक्ष महोदय : मुझे नियम की पूरी जानकारी है। वह मंत्री परिषद के सदस्य के रूप में उत्तर दे रहे थे। यह वैयक्तिक स्पष्टीकरण का मामला नहीं है। वह उसी समय जबाब दे सकते हैं।

Shri Madhu Limaye : You changed your decision and every body in and outside the House saw it.

अध्यक्ष महोदय : वह सरकारी बैंचों पर बैठे हैं और वह सरकार की ओर से उत्तर दे रहेथे। यह मंत्री के वैयक्तिक स्पष्टीकरण का मामला नहीं था।

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगूसराय) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। हम इस बारे में अध्यक्षपीठ से स्पष्टीकरण चाहते हैं कि नियम 357 मंत्रियो पर लागू होता है अथवा नहीं। दूसरे, मंत्री महोदय ने स्वयं कहा था की वह नियम 357 के आधार पर वैयक्तिक स्पष्टीकरण कर रहे हैं। अविश्वास प्रस्ताव के दौरान एक असामान्य प्रक्रिया का पालन किया गया और वह यह कि अविश्वास प्रस्ताव के प्रस्तावक के उत्तर देने के बाद मंत्रीयो को वैयक्तिक स्पष्टीकरण करने की अनुमति दी गई। ऐसी अनुमति कदापि नहीं दी जानी चाहिये थी।

श्री भागवत झा आज़ाद (भागलपुर) : आप सब इस बात से सहमत होंगे कि नियम 357 मंत्रियों तथा सदस्यों, सब पर लागू होता है। क्या इसका अभिप्राय यह हुआ कि जब इस ओर अथवा उस ओर के सदस्य पर विपक्ष अथवा सरकार के किसी सदस्य द्वारा आरोप लगाया जाता है तो वह उसे शांतिपूर्वक सुनता रहे? यह नियम 357 की गलत व्याख्या है।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : मैं आप से रिकार्ड देखने का अनुरोध करता हूं। मंत्री महोदय ने स्पष्ट रूप से यह कहा था कि वह वैयक्तिक स्पष्टीकरण करना चाहते हैं। यह बात रिकार्ड में है। आपने यह निर्णय दिया था कि नियम के अनुसार वैयक्तिक स्पष्टीकरण वक्तव्य के रूप में किया जाना चाहिये और उसे पहले आपको दिया जाना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : उन्हें उत्तर देने का अधिकार है। मैं आप से सहमत नहीं हूं।

श्री एच० एन० मुखर्जी (कलकत्ता उत्तरपूर्व) : सभा में अध्यक्षपीठ में अविश्वास प्रकट करना बहुत गम्भीर बात है। अध्यक्ष से मतभेद के बारे में संसद से बाहर आलोचना की जा सकती है। कल आपने पहले स्पष्टीकरण लिखित रुप में देने पर जोर दिया था लेकिन बाद में आपने विनिर्णय दिया कि यदि मंत्री इसी समय वक्तव्य देना चाहेंगे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। अविश्वास प्रस्ताव के प्रस्तावक के बाद मंत्री द्वारा बिना पूर्व सूचना के वक्तव्य देना प्रक्रिया की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण है। इस बारे में सदन के अग्रणी सदस्यों से विचार-विमर्श किया जाना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : अविश्वास प्रस्ताव के मामले में प्रस्तावक जो अन्तिम उत्तर देता है वह चर्चा में प्रस्तुत तथ्यों से सम्बन्धित होता है, लेकिन प्रस्तावक अपने उत्तर देने के अधिकार का पालन करते समय अनेक नई बातें भी कह जाता है जिनका पहले भाषण में उल्लेख नहीं किया गया होता और जिनके बारे में मंत्री को कोई नोटिस नहीं मिलता। अतः मेरा यह विचार है कि सदस्य को चर्चा में प्रस्तुत तथ्यों तक ही सीमित रहना चाहिये। यदि वह नई बातें उठाता है, अथवा ऐसे नये आरोप लगाता है, जिनके बारे में उत्तर देने का अवसर मंत्री को पहले नहीं प्राप्त हुआ है, तो वह उसी समय उनका उत्तर दे सकता है।

जहां तक कल का मामला है, जब प्रधान मंत्री ने यह कहा था कि यह वैयक्तिक स्पष्टीकरण नहीं है बल्कि यह सरकार की ओर से उत्तर है, तो मैं इस बात से सहमत था। जब आप किसी मंत्री के विरुद्ध निश्चित आरोप लगाते हैं और वह सदन में बैठे होते हैं, तो क्या मैं उनसे कहूंगा कि 'नहीं', वह किसी अन्य दिन ऐसा करें।

इस मामले में किसी को कोई संरक्षण नहीं दिया गया है। जब यह कहा गया था कि यह वैयक्तिक स्पष्टीकरण है, तो मैंने उसकी प्रति मांगी थी। लेकिन जब प्रधान मंत्री ने यह कहा कि वह सरकार की ओर से जबाब दे रहे हैं तो मैंने उन्हें ऐसा करने की अनुमति दे दी।

श्री ज्योतिर्मय बसु : वाद-विवाद में निम्नलिखित स्पष्टतया उल्लिखित है :—

"श्री एल० एन० मिश्र : मैं वैयक्तिक स्पष्टीकरण करना चाहता हूं"।

अब आप उसे अपनी सुविधानुसार बदलना चाहते हैं और कहते हैं कि वह सरकार का उत्तर था।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : आप नियम में परिवर्तन कर रहे हैं ...

अध्यक्ष महोदय : जब सरकार उत्तर देना चाहती है तो नियम लागू नहीं होते। यदि कोई माननीय सदस्य आरोप लगाता है, तो माननीय मंत्री को उसी समय उसका खंडन करने का अधिकार है।

Mr. Madhu Limaye : Personal expenditure is a very sacred procedure please do not misuse it (*Interruption*).

Shri Jyotirmoy Basu : I am very sorry to say that the Chair is adopting double standards. The chair shoud express regret over it.

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : हम आपके इस विनिर्णय से पूर्णतया सहमत हैं कि यदि विपक्षी सदस्य चर्चा के दौरान किसी मंत्री की आलोचना करता है अथवा उसके विरूद्ध गम्भीर आरोप लगाता है तो सम्बद्ध अथवा अन्य मंत्री को सम्बद्ध मंत्री की ओर से चर्चा में हस्तक्षेप करने का अधिकार है। लेकिन कल रेलवे मंत्री खड़े हुए और विशेष रूप से कहा "कि वे वैयक्तिक स्पष्टीकरण के बारे में वक्तव्य देना चाहते हैं"। तब आपने कहा 'नहीं'। लेकिन आपके 'नहीं' कहने से पूर्व श्री मधु लिमये ने एक दम पूछा कि क्या इन्होंने आपको कोई लिखित वक्तव्य दिया है, क्या आपने उसकी जांच की है, क्या आपने उस पर अनुमति दे दी है, उन्होंने कुछ नहीं कहा। अत: आपने कहा कि उन्होंने ऐसा नही किया है। अत: आप उनसे कहने वाले थे कि वह ऐसा नहीं कर सकते। आपने उनको लिखित वक्तव्य देने को कहा। उसी समय प्रधान मंत्री और सदन की नेता उठ खड़ी हुई और पता नहीं क्या हुआ कि आपने उन्हें बोलने की अनुमति दे दी। मैं इस बात से सहमत हूं कि मंत्री महोदय को, यदि प्रधान मंत्री चाहे तो, सरकार की ओर से उत्तर देने का अधिकार है। लेकिन प्रधान मंत्री के हस्तक्षेप के बावजूद मंत्री महोदय फिर उठ खड़े हुए और कहा "मैं वयक्तिक स्पष्टीकरण करना चाहता हूं" और आप मुझे इसकी अनुमति दें। हम इस बात पर आपत्ति करते हैं।

श्री सी० एम० स्टीफन (मुक्तुपुजा) : जब कभी कोई आरोप लगाया जाता है तो वैयक्तिक स्पष्टीकरण के लिये किसी भी सदस्य को जिसमें मंत्री भी शामिल है, इसका खंडन करने का अधिकार है। इस बारे में प्रक्रिया यह है कि जब कभी आरोप लगाया जाता है तो सदस्य को सदन में स्पष्टीकरण करने अथवा बाद में किसी दिन स्पष्टीकरण करने का विकल्प प्राप्त है। यदि स्पष्टीकरण उसी समय किया जाता है, तो आप को जांच के लिये कोई वक्तव्य देने की आवश्यकता नहीं है। यदि बाद में किया जाता है, तो उसकी जांच के लिये आपको वक्तव्य देने की आवश्यकता है जिससे आप इस बात से संतुष्ट हो जायें कि इसमें कोई विवादास्पद मामला नहीं है। यदि आरोप लगाते समय सदस्य सदन में उपस्थित है, तो उसे उसी समय वैयक्ति स्पष्टीकरण करने की अनुमति दी जाती है। अपनी ओर से भी सदस्य को वैयक्तिक स्पष्टीकरण करने का पूर्ण अधिकार है।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : सभा कल जब समवेत हुई तो कुछ आरोप लगाये गये और समस्त सदन इस बात को जानने का इच्छुक था कि किन परिस्थितियों में लाइसेंस दिये गये अथवा आवेदन भेजे गये। कुछ आरोप श्री एल० एन० मिश्र के विरुद्ध भी लगाये गये, जो उस समय मंत्री थे। यदि वह उस समय स्पष्टीकरण न करते तो उनके प्रति धारणा गलत हो जाती। अत: तथ्यों का बताना उचित ही था। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : इस सम्बन्ध में विनिर्णय स्पष्ट है और मैं अब किसी को बोलने की अनुमति नहीं दूंगा।

सभा-पटल पर रखे गए पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

बिहार के राज्य पाल द्वारा अध्यादेशों को पुनः प्रस्थापित किये जाने के बारे में उठाये गये मामले के उत्तर में वक्तव्य

गृह मंत्री (श्री उमाशंकर दीक्षित) : मैं बिहार के राज्यपाल द्वारा अध्यादेशों को पुनः प्रख्यापित किये जाने के बारे में नियम 377 के अन्तर्गत श्री मधु लिमये द्वारा 30 जुलाई,

1974 को लोक सभा में उठाये गये मामले के उत्तर में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 8331/74]**

हिन्दी के उत्तरोत्तर प्रयोग के 1971-72 के कार्यक्रम सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : मैं श्री रामनिवास मिर्धा की ओर से हिन्दी के प्रभार और विकास की गति तेज करने तथा केन्द्र के विभिन्न सरकारी प्रयोजनों के लिए इसके उत्तरोत्तर प्रयोग के वर्ष 1971–72 के कार्यक्रम सम्बन्धी वार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 8332/74]**

गार्डन रीच वर्कशाप लिमिटेड, कलकत्ता का 1972-73 का वार्षिक प्रतिवेदन

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : मैं श्री जे० बी० पटनायक की ओर से कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत गार्डन रीच वर्कशाप लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1972–73 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां सभा पटल पर रखता हूं। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 8333/74]**

कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

इस्पात और खान मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री सुकदेव प्रसाद) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा–पटल पर रखता हूं :

(1) कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 की धारा 34 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) कोयला खान राष्ट्रीयकरण (भविष्य निधि) नियम, 1974, जो भारत के राजपत्र दिनांक 17 मई, 1974 में अधिसूचना संख्या सा० सं० नि० 241(ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) सा० सं० नि० 283(ङ), जो के भारत के राजपत्र दिनांक 26 जून, 1974 में प्रकाशित हुए थे तथा जिनमें दिनांक 17 मई, 1974 की अधिसूचना संख्या सा० सं० नि० 241(ङ) का शुद्धि–पत्र दिया हुआ है।

(तीन) कोयला खान (लेखा विवरण) नियम, 1974, जो भारत के राजपत्र दिनांक 25 मई, 1974 में अधिसूचना संख्या 248(ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) कोयला खान (बंधक प्रभार, धारणाधिकार अथवा अन्य हितों के बारे में सूचना) नियम, 1974, जो भारत के राजपत्र दिनांक 26 जुलाई, 1974 में अधिसूचना संख्या सा० सं० नि० 332(ङ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 8334/74]

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड, के वर्ष 1972-73 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड का वर्ष 1972-73 का वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां,

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी० 8335/74]

कोयला खान भविष्य निधि, कुटुम्ब पेंशन तथा बोनस स्कीम अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

श्रम मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) कोयला खान भविष्य निधि, कुटुम्ब पेंशन तथा बोनस स्कीम अधिनियम, 1948 की धारा 7क के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) कोयला खान भविष्य निधि (संशोधन) स्कीम, 1974, जो भारत के राजपत्र दिनांक 3 अगस्त, 1974 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 833 में प्रकाशित हुई थी ।

(दो) आन्ध्र प्रदेश कोयला खान भविष्य निधि (संशोधन) स्कीम, 1974, जो भारत के राजपत्र दिनांक 3 अगस्त, 1974 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 834 में प्रकाशित हुई थी ।

(तीन) राजस्थान कोयला खान भविष्य निधि (संशोधन) स्कीम, 1974, जो भारत के राजपत्र दिनांक 3 अगस्त, 1974 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 835 में प्रकाशित हुई थी ।

(चार) नेवेली कोयला खान भविष्य निधि (संशोधन) स्कीम, 1974 जो भारत के राजपत्र दिनांक 3 अगस्त, 1974 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 836 में प्रकाशित हुई थी ।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी० 8336/74]

(2) लौह अयस्क खान श्रम कल्याण उपकर अधिनियम, 1961 की धारा 8 की उपधारा (4) के अन्तर्गत लौह अयस्क खान श्रम कल्याण उपकर (संशोधन) नियम, 1974 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र दिनांक 24 अगस्त, 1974 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 909 में प्रकाशित हुए थे । **[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी० 8337/74]**

राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान, बम्बई का वर्ष 1972-73 का वार्षिक प्रतिवेदन

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : मैं राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान, बम्बई के वर्ष 1972-73 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं । **[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 8338/74]**

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति
COMMITTEE ON THE WELFARE OF SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES

अध्ययन दल I और II के अध्ययन दौरों के प्रतिवेदन

श्री डी० बसुमतारी (कोकराझार) : मैं अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति के अध्ययन दौरों के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) समिति के अध्ययन दल-1 के जून, 1974 के दौरान जम्मू तथा कश्मीर, पटियाला और चण्डीगढ़ के अध्ययन दौरे का प्रतिवेदन ।

(2) समिति के अध्ययन दल-2 के जून-जुलाई, 1974 के दौरान मदुराई, त्रिवेन्द्रम, कन्याकुमारी, कोचीन, कोयम्बटूर, ऊटाकमंण्ड और मैंगलौर के अध्ययन दौरे का प्रतिवेदन ।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : अध्यक्षपीठ द्वारा दो स्टैण्डर्ड अपनाये जा रहे है, एक सरकारी पक्ष के लिए और दूसरा विपक्ष के लिए। अध्यक्ष महोदय यदि आप को अध्यक्षपीठ के विरुद्ध कुछ कहना है तो उसका उचित ढंग होना चाहिए ।

Shri Shankar Dev (Bihar) : On a point of order, Sir. This is an august House, but there is so much noise like fish market that nothing can be heard.

अध्यक्ष महोदय : श्री मिश्र ने मेरे विनिर्णय पर आपत्ति की थी । यदि नियम समिति अथवा सर्वोच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश इस निर्णय को ग़लत बता दें तो मैं त्यागपत्र दे दूंगा । विनिर्णय को चुनौती देने का यह कोई तरीका नहीं है । आप उचित प्रक्रिया के अनुसार विरोधी दलों के सदस्यों की एक समिति बना दे मैं उनका निर्णय स्वीकार कर लूंगा ।

Shri Madhu Limaye (Banka) : We never meant anything against the Chair. Every one has said that the attitude of the Prime Minister was not proper.

Mr. Speaker : As you speak, the Prime Minister has also spoken like that.

Shri P. G. Mavlankar (Ahmedabad) : It has been mentioned in the Revised list of Business that Shri Ram Niwas Mirdha will lay on the Table a copy of the Annual Assessment Report (Hindi and English versions) on the programme for accelerating the spread and development of Hindi and its progressive use for various official purposes of the Union, for the year 1971-72. May I know as to why this has been placed after so much delay ?

Mr. Speaker : It is no use pointing out daily about these things. You should sit with them and decide the procedure.

Shri P. G. Mavlankar : It is a different matter that Government is doing something for the development of Hindi or not but the point is that why the report of 1971-1972 should be placed in 1974.

Mr. Speaker : You can discuss the matter with them.

डाक सेवाओं सम्बन्धी कतिपय परिवर्तनों के बारें में वक्तव्य

STATEMENT RE : CERTAIN CHANGES CONCERNING POSTAL SERVICES

अध्यक्ष महोदय : अब श्री ब्रह्मानन्द रेड्डी एक वक्तव्य देंगे ।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । मेरा निवेदन यह है कि यह वक्तव्य देने की अनुमति न दी जाये । इसमें जनता से अतिरिक्त राशि प्राप्त करने की व्यवस्था है । इसमें लिखा है कि 'ऐक्स प्रैस डिलिवरी सर्विस समाप्त की जा रही है और लगभग 1600 डाक घर इतवार को नहीं खुला करेंगे, इस के परिणामस्वरूप जनता को डाक-टिकट आदि लेने में भारी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा । चलते-फिरते डाक-घर की सुविधा की इतवार और राष्ट्रीय छुट्टियों की उपलब्ध नहीं होगी । फिर एक नई सेवा अर्थात "रिकार्डिड डिलिवरी सर्विस " आरम्भ की जा रही है जिसके लिये 65 पैसे शुल्क देना होगा । इस बारे में सभा में कोई चर्चा नहीं की गई और न ही मंत्रणा समिति में कोई विचार किया है । क्या एक वक्तव्य के माध्यम से अतिरिक्त टैरिफ़ लगाये जा सकते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मैं उनको यह विवरण सभा-पटल पर रखने से नहीं रोक सकता ।

श्री ज्योतिर्मय बसू (डायमंड हार्बर) : इसके लिए अनूपूरक मांगें प्रस्तुत की जानी चाहियें बजट प्रस्ताव के बिना अतिरिक्त टैरिफ नहीं लगाया जा सकता ।

Shri Madhu Limaye (Banka) : The wording of the order paper should be more clear and specific. Let him correct the description and then you may allow him to speak.

अध्यक्ष महोदय : क्या आप इन बातों को ध्यान में रखकर इसको ठीक करने के बाद सभा-पटल पर रखेंगे ? फिर मैं भी इसको पढ़ सकुंगा ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : यह मद गुमराह करने वाली है, सेवाओं को कर लगाने के साथ नहीं मिलाया जा सकता । यदि कोई मंत्री महोदय ऐसा वक्तव्य देना चाहते हैं जिसमें कोई वित्तीय आशय है तो उन्हें आपकी अनुमति ले कर ही वक्तव्य देना चाहिये यदि उसको कार्य-सूची में सम्मिलित किया गया है तो उसकी भाषा स्पष्ट होनी चाहिये ।

संचार मंत्री (श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी) : इस में एक बात यह है कि वर्तमान "एक्सप्रैस डिलिवरी" व्यवस्था कुछ विशेष कारणों से समाप्त की जा रही है । दूसरी बात यह है कि राष्ट्र-छुट्टी आदि जैसे दिनों को डाक-टिकटों की बिक्री जैसी कुछ सेवाओं को छोड़कर कुछ डाक-घर बन्द रहेंगे । यह कर्मचारियों की सुविधा देने के लिये किया जा रहा है । अब एक नई 'रिकार्डिग सर्विस" आरम्भ की जा रही है । यदि कोई व्यक्ति किसी सेवा के लिये भुगतान करता है तो उसे रसीद मिलेगी । इसमें कोई अतिरिक्त राजस्व का मामला नहीं है, यदि वे मेरे वक्तव्य को सुनें तो स्थिति बिल्कुल स्पष्ट हो जायेगी ।

मौजूदा एक्सप्रैस डिलिवरी सेवा के अन्तर्गत, 20 पैसे का अतिरिक्त शुल्क लेकर किसी विशिष्ट डाक वस्तु की डिलिवरी एक विशेष संदेशवाहक के जरिये की जाती है । कई जगहों पर डिलिवरी रविवार के दिन भी की जाती है । इन डाक वस्तुओं को मूल डाकघर से वितरण डाकघर तक लाने ले जाने पर साधारण डाक से इतर कोई खास ध्यान दिया जाना व्यवहार्य नहीं है और चुकि वितरण के लिए नियक्त किए गए विशेष संदेशवाहकों को गश्त के डाकिये से बहुत अधिक इलाका पार करना पड़ता है, इसलिए एक्सप्रैस डिलिवरी वस्तुओं का वितरण अक्सर विलम्ब से होता है । यही कारण है कि इस बारे में शिकायतें होती

हैं। डाक–तार विभाग इस सेवा को ध्यान देने में काफी नुकसान उठाता है और इससे जनता को भी कोई अनुकूल लाभ नहीं होता। अतः डाक–तार विभाग ने यह निर्णय किया है कि इस सेवा को 1 नवम्बर, 1974 से समाप्त कर दिया जाए।

2. रविवार को लगभग 1600 डाकघर और लगभग 130 ऐसे डाकघर अब खुले रखे जाते हैं जिन के काम का समय बढ़ा कर प्रातः 8 बजे से रात्रि 8.30 बजे तक किया हुआ है। उपर्युक्त 1600 डाकघर मुख्य रूप से एक्सप्रैस डिलिवरी वस्तुओं का वितरण करने के लिए खुले रखे जाते हैं और 130 डाकघर महत्वपूर्ण व्यापार केन्द्रों में खुले रखे जाते हैं। एक्सप्रैस डिलिवरी सेवा को समाप्त करने के प्रस्ताव से इन 1600 डाकघरों को रविवार के दिन खोले जाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। अतः यह प्रस्ताव है कि इन डाकघरों को रविवार के दिन पूर्णतया बन्द रखा जाए। तथापि डाक टिकट और डाक लेखन सामग्री बेचने के लिए तारघरों में या रेल डाक सेवा कार्यालयों में वैकल्पिक प्रबन्ध किया जाएगा जोकि रविवार के दिन खुले रहते हैं। इस समय जो 130 डाकघर बढ़ाए गए समय में काम कर रहे हैं उन्हें रविवार के दिन सिर्फ पूर्वान्ह 10 बजे से सायं 6.00 बजे तक खुला रखने का प्रस्ताव है।

3. इस समय डाक–तार कार्यालयों में 16 छुट्टियां होती हैं (इनमें तीन राष्ट्रीय छुट्टियाँ भी शामिल हैं)। छुट्टियों के इन दिनों में गैर रजिस्ट्री वस्तुओं का एक बार वितरण किया जाता है, तार मनीआर्डर अदा किए जाते हैं, लेटर बक्स से एक बार निकासी की जाती है और डाक टिकट और डाक लेखन सामग्री कुछ सीमित समय में बिक्री के लिए रखी जाती है। 3 राष्ट्रीय छुट्टियों (गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस और गांधी जी का जन्म दिवस के महत्व पर विचार करते हुए जब सभी सरकारी कार्यालय और अधिकांश व्यापार संस्थाएं बन्द रहती हैं, सरकार ने यह निर्णय किया है कि इन तीनों दिनों में सभी डाकघर (सिवाय उन डाकघरों के जिनके काम का समय बढ़ा या गया है) बन्द रखे जाएं। यह भी निर्णय किया गया है कि रविवार और इन तीन राष्ट्रीय छुट्टियों के दिनों में चलते–फिरते डाकघरों का काम भी बन्द कर दिया जाए।

4. आशा है कि इन निर्णयों के परिणामस्वरूप करीब 35 लाख रुपये प्रति वर्ष की बचत होगी।

5. जनता की इस जरूरत को ध्यान में रखते हुए कि उन्हें एक ऐसी सेवा प्रदान की जाए जिसके अन्तर्गत वे किसी वस्तु को डाक में डाल कर उसके वितरण की पावती प्राप्त कर लें, सरकार ने यह निर्णय किया है कि एक नई सेवा चालू की जाए जिसका नाम "रिकार्डेड डिलिवरी सेवा" हो। यह सेवा पार्सलों के अतिरिक्त बाकी सभी श्रेणियों की गैर–रजिस्ट्री डाक वस्तुओं के लिए उपलब्ध होगी और इसके लिए सामान्य डाक भार के अतिरिक्त 65 पैसे का शुल्क आदा करना होगा। इस सेवा के अन्तर्गत (क) डाक वस्तु बुक करने वाला डाकघर प्रेषक को एक रसीद देगा, और (ख) वह डाक वस्तु पानेवाले से पावती लेकर दी जाएगी। 15 पैसे का शुल्क और अदा करके प्रेषक वितरण की प्राप्ति की सूचना भी पा सकता है। आशा है कि जनता रजिस्ट्री के बदले में इस सेवा का लाभ उठाएगी क्योंकि रजिस्ट्री सेवा इसकी तुलना में महंगी पड़ती है जिसके लिए 1 रुपया 25 पैसे खर्च करने पड़ते हैं (और पावती के लिए 15 पैसे देने पड़ते हैं)। यह सेवा प्रारम्भ में प्रायोगिक आधार पर चलाई जाएगी और एक वर्ष बीत जाने पर इस सेवा को आगे चालू रखने के प्रश्न की जांच की जाएगी।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

श्री एस० एम० बनर्जी : मेरी आपत्ति इस निर्णय पर है कि कुछ डाक घरों को छोड़कर अन्य सभी डाक-घर तीन राष्ट्रीय छुट्टियों को बन्द रहेंगे। फिर ब्यौरेवार चर्चा करने के बाद चलते-फिरते डाक-घर की व्यवस्था की गई थी, उन्हें भी बन्द किया जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। सरकार ने डाक-सेवाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय किया है और यह वक्तव्य इसी निर्णय के अन्तर्गत सभा-पटल पर रखा जा रहा है। इस पर कोई चर्चा नहीं की जा सकती। यदि आप को नई सेवा के लिये अतिरिक्त प्रभार लिये जाने पर आपत्ति है तो आप केवल इसी विषय पर अपने विचार रखें।

श्री एस० एम० बनर्जी : मेरी मूल आपत्ति अतिरिक्त राजस्व के बारे में है। यह सेवा पहले प्रयोग के तौर पर आरम्भ की जायेगी और फिर इसको जारी रखने के बारे में विचार किया जायेगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु : सरकार एक कार्यकारी आदेश जारी करके संसद् की शक्तियों पर किस प्रकार रोक लगाना चाहती है, यह उसका स्पष्ट उदाहरण है। इस के माध्यम से सरकार कुछ सेवाएं समाप्त करके और कुछ नई सेवाओं की व्यवस्था करके अतिक्ति राजस्व की व्यवस्था कर रही है। मैं इस चालबाज़ी की निन्दा करता हूं। अतः उन्हें यह वक्तव्य देने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये।

Shri Madhu Limaye: Sir I object to the wording of this item. There should have been a correct description. Had we known about the provisions of additional taxation we would have come here with some definite views. We do not want to speak off-hand. We cannot allow such deceptions. Kindly do not allow him to lay this statement today.

श्री विक्रम महाजन (कांगड़ा) : महोदय, शुल्क और कराधान प्रस्ताव में मूल अन्तर है। शुल्क कोई सेवा उपलब्ध करने पर लगाया जाता है जबकि कर प्रस्ताव किसी सेवा के लिय नहीं रखे जाते। यह प्रस्ताव एक नई सेवा चालू करने के बारे में है।

श्री एच० एन० मुखर्जी (कलकत्ता-उत्तरपूर्व) : इस में कुछ सेवाऐं समाप्त करके खर्च बचाने और कुछ नई सेवाएं चालू करके राजस्व बढ़ाने की व्यवस्था की गई है। यह आय और व्यय का मामला है और सरकार सभा को उचित सूचना दिये बिना भारत की संचित निधि में अनुचित तरीके से फेरबदल कर रही है। यह तरीका ठीक नहीं है।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : इस वक्तव्य को पहली बार पढ़ने से मुझे ऐसा लगा था कि यह कर या संसाधन बढ़ाने की व्यवस्था है परन्तु मंत्री महोदय द्वारा उसे पढ़े जाने के बाद मैंने महसूस किया है कि इस का मूल प्रयोजन सेवाओं का पुनर्गठन है। अतः इस प्रकार का वक्तव्य दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये। परन्तु अब प्रश्न यह है कि माननीय मंत्री जी आज वक्तव्य देने वाले हैं क्या इस के बारे में सभा को विश्वास में नहीं लेना चाहिये था? अब भारत की संचित निधि में भी फेरबदल किया जा रहा है। अतः यह सभा की अतिरिक्त जिम्मेदारी हो जाती है कि वह इस को अधिक अच्छी तरह से देखे।

Shri Jagannathrao Joshi (Shajapur) : The work of the P & T Department has increase manyfold. If in such a situation the post offices are closed on Sundays, the people at large will be put to difficulty, although the Government will save 35 lakh rupees. He is also going to introduce a new service. For all that, the permission of the House should be taken.

श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी : जब डाक व तार जैसा विभाग कोई नई सेवा चालू करता है तो यह देखना आवश्यक हो जाता है कि क्या नये परिवर्तन किये जाने चाहिये और उसके प्रति जनता की क्या प्रतिक्रिया है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : यह मुख्य विषय से सम्बन्धित नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री को बोलने का अधिकार दिया जाना चाहिए । माननीय सदस्यों को इस पर आपत्ति नहीं करनी चाहिए ।

श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी : डाक व तार जैसे विभाग को समय समय पर अपनी सेवाओं का मूल्यांकन करना पड़ता है और देखना पड़ता है कि जनता इसकी सराहना कर रही है अथवा नहीं । "एक्सप्रैस डिलिवरी सर्विस" से वह उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा था जिसके लिये यह बताई गई थी । दूसरे, देश के प्रत्येक नागरिक को राष्ट्रीय छुट्टियां मनाने का अधिकार है तो यह अधिकार डाक व तार विभाग के कर्मचारियों को क्यों न दिया जाये । दूसरे, जो डाकघर एक्सप्रैस डिविलरी सर्विस का कार्य कर रहे थे, उनको बन्द कर देने से खर्च में बचत होगी ।

तीसरे, जहांतक "रिकार्डिड डिलीवरी सर्विस" का सम्बन्ध है, हम जनता को यह एक अतिरिक्त सेवा प्रदान कर रहे हैं । इसके राजस्व बढ़ाने की कोई बात नहीं है । यह तो सेवा में सुधार करने का प्रश्न है ।

उपाध्यक्ष महोदय : व्यवस्था के प्रश्न उठाये गये हैं । अतः यह मामला मेरे विनिर्णय से ही रद्द होगा ।

जहांतक विभाग के अतिरिक्त सेवा के पुनर्गठन का सम्बन्ध है ऐसा करना सरकार के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत है । जब कोई चीज गलत हो तभी आलोचना की जा सकती है । यदि वह सेवा में सुधार की दृष्टि से उसका पुनर्गठन करते हैं और सभा में उसकी सूचना देते हैं तो हमें प्रसन्न होना चाहिये । जनता के लिए नई सेवा चालू करने के हम सरकार के इरादे पर सन्देह नहीं कर रहे हैं ।

अब प्रश्न यह है कि नई सेवा और नया शुल्क, कराधान करने के समान है अथवा नहीं । संविधान के अनुच्छेद 117 में कराधान और शुल्क में भेद किया गया है । माननीय मंत्री का विचार जो कुछ करने का है वह इस अनुच्छेद के अन्तर्गत आता है और वह कराधान नहीं है । मेरे विचार में इस पर कोई आपत्ति नहीं की जा सकती ।

Shri Madhu Limaye (Banka) : May I know whether the imposition of this new change will be done under some rule and whether the House will have an opportunity to discuss this matter.

उपाध्यक्ष महोदय : आपको एक या दो दिन में इसपर चर्चा करने का अवसर दिया जायेगा । हमें पहले वित्त विधेयक पास करना है । आपको चर्चा के लिए विशेष अनुमति दी जायेगी ।

Shri Madhu Limaye : What is the legal authority for it.

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे विनिर्णय के पश्चात् कानूनी अधिकार का कोई प्रश्न नहीं है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : पैरा 4 में दिया गया है कि इन निर्णयों से लगभग 35 लाख रुपये की प्रतिवर्ष बचत होगी। प्रश्न यह है कि इस बचत को बजट में न दिखाये जाने के क्या कारण हैं। हमें बचत का ब्यौरा जानने का पूरा अधिकार है।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको अवसर दिया जायेगा।

श्री एच० एम० पटेल (ठंठुका) : यह बताया जाना चाहिए कि शुल्क किस आधार पर लगाया गया है। शुल्क का अर्थ यह होता है कि सरकार ने "लाभ न हानि" के आधार पर सेवा करेगी और कर का अर्थ राजस्व बढ़ाने से होता है। इस बात का स्पष्ट संकेत आना चाहिए कि यह शुल्क केवल खर्च पूरा करने के लिए ही लगाया जा रहा है। हमें ऐसे प्रश्न पर विचार करने का अवसर कब मिलेगा ?

उपाध्यक्ष महोदय : अनुपूरक अनुपातों की मांगों के समय चर्चा का अवसर दिया जायेगा।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : मैं इस बात को स्वीकार नहीं करता कि शुल्क के अतिरिक्त माध्यम जुटाने की बात नहीं है। शुल्क खर्च के बराबर नहीं हो सकता। डाक विभाग ने अभीतक ऐसा नहीं किया है। हमें पैरा 5 से यह पता नहीं लगता कि जनता पर अतिरिक्त भार कितना पडेगा।

श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी : कोई अतिरिक्त कर नहीं है। पंजीकृत वस्तुओं के लिए पहले ही 1.25 रुपये जनता को देने पडते हैं। अब उनको यह सेवा केवल 65 पैसे में प्राप्त होगी।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : आपने कहा है कि आज अथवा कल अनुदानों की मांगों के समय चर्चा का अवसर दिया जायेगा। यदि समय उस आप पीठासीन नहीं हुए तो क्या होगा ?

उपाध्क्ष महोदय : आप मेरे विनिर्णयका हवाला दे सकते हैं।

श्री मुरामोलो भारत (मद्रास–दक्षिण) : अभी हाल में टेलीफोन की दरों में कुछ परिवर्तन किया गया है। परन्तु जब यह मामला अभीतक विधान समिति के पास गया तो पता लगा कि मूल अधिनियम में संशोधन किये बिना ऐसा नहीं किया जा सकता। मैं जानना चाहता हूं कि दोनों मामलों में क्या अन्तर है ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह मामला उससे भिन्न है।

नियम 377 के अधीन मामलें के बारें में

RE : MATTER UNDER RULE 377

उपाध्यक्ष महोदय : अब सांविधिक संकल्प लिया जायेगा।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : नियम 377 के अधीन मेरे मामले का क्या हुआ ?

उपाध्यक्ष महोदय : प्रक्रिया के अनुसार अध्यक्ष महोदय नियम 377 के अन्तर्गत मामलों की अनुमति देते हैं। आप का नोटिस देर से मिला था और अध्यक्ष महोदय ने उसे देखा तक नहीं है।

श्री मधु दंडवते : 22 तारीख को प्रो० राव तथा अन्य व्यक्तियों ने ध्यान दिलाने वाली सूचना दी थी। प्रश्नों का उत्तर देते हुए श्री गणेश ने एक लम्बा वक्तव्य दिया था। सदन के अनुरोध पर उन्होने देश के तीन प्रमुख तस्करों के नाम बताये थे। उस घोषणा

के पश्चात अनेक सदस्यों ने यह शंका व्यक्त की थी कि ये लोग कहीं देश से बाहर न चले जायें। मेरी जानकारी यह है कि ये तीनों कल दिल्ली आये थे। वे अब भी दिल्ली में हैं। मेरी जानकारी के अनुसार वे देश से बाहर जाने की योजना बना रहे हैं? उनकी समुद्र में ही रहने की योजना है। मुझे आशा है कि गृह मंत्री इस पर ध्यान देंगे।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : मैं एक महत्वपूर्ण मामला उठाना चाहता हूं। जवाहरलाल नेहरू इन्स्टिट्यूट के कर्मचारियों ने प्रधान मंत्री को एक ज्ञापन दिया है कि इस इन्स्टीट्यूट को सरकार द्वारा अपने हाथ में ले लिया जाये। इस समय वहां पर कुप्रबन्ध है। प्रधान मंत्री को कर्मचारियों के ज्ञापन या विचार कर संस्थान को सरकारी नियंत्रण में ले लेना चाहिये।

श्री ज्योतिर्मय बसु : कल मैंने नियम 368 के अन्तर्गत आपको एक पत्र लिखा था। श्री कुरैशी ने सभा को जानकारी नहीं दी है उनको सभा को जानकारी देनी चाहिए थी।

कूच बिहार में गोली चलाने के मामले पर गृहमंत्री को यह स्पष्ट निदेश दिया गया था कि वह एक वक्तव्य दें। आज तक ऐसा नहीं हुआ है।

श्री ईश्वर चौधरी के मामले में भी सरकार को वक्तव्य देने के लिए कहा गया था। अभीतक कोई वक्तव्य नहीं दिया गया है।

प्रेस परिषद (संशोधन) अध्यादेश का निरनुमोदन करने संबंधी सांविधिक संकल्प तथा प्रेस परिषद (संशोधन) विधेयक

STATUTORY RESOLUTION RE : DISAPPROVAL OF PRESS COUNCIL (AMENDMENT ORDINANCE AND PRESS COUNCIL (AMENDMENT) BILL

Shri Madhu Limaye (Banka) : The objective of the Ordinance is limited. If the Press Council does not function properly, the freedom of the Press will be in danger. In this Connection, I would like to mention that Bihar Government has stopped giving advertisements to two newspapers because they were publishing anti-Government news. No instructions have been issued to Bihar Gov ernment not to resort to their practice of discrimination between pro-Government and anti-Government papers. If this is allowed to happen, then the freedom of the Press will be in danger.

In this connection, I would also like to mention that Punjab Government has stopped supplying electricity to Hind Samachar' and 'Punjab Kesari', which are being published from Jullundhur on the plea that they are consuming more electricity than what is sanctioned to them. I have given there two instances to show how the Government is harrassing the news papers wihch are not toeing the Government line. I request the hon. Minister to issue instructions to State Government that they should not revolt to this type of discriminatory treatment.

Song and Drama Division also comes under them. They do not exempt these plays, and dramas from "Entertainment tax" which one or the other way criticise the Government. Several restrictions are put on such dramas. Such discrimination should not be done. I request the hon. Minister to throw some light on the points raised by me.

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मबिर सिंह) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "कि प्रेस परिषद अधिनियम, 1965 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर राज्य सभा द्वारा पारित किय गये रूप में विचार किया जाय।"

[श्री धर्मवीर सिंह]

जैसाकि श्री मधु लिमये ने कहा, इस विधेयक का उद्देश्य प्रस परिषद् की कालावधि को 31 दिसम्बर, 1974 तक बढ़ाना है। संसद सदस्यों की एक समिति इस समय नामांकन प्रक्रिया और अन्य विभिन्न पहलुओं पर विचार कर रही है। इस समय मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं।

श्री सरोज मुखर्जी (कटवा) : इस विधेयक का उद्देश्य परिषद् के चेयरमैन तथा सदस्यों की कालावधि को 1974 के अन्तिम दिन तक बढ़ाना है क्योंकि चेयरमैन तथा सदस्यों के चयन की प्रक्रिया बनाने सम्बन्धी समिति ने अभी अपना कार्य पूरा नहीं किया है। इस विधेयक पर चर्चा के दौरान प्रेस परिषद् और सम्बन्धित मंत्री के कार्यकरण का विश्लेषण किया जाता है। आज हम देख रहे हैं कि प्रेस की स्वतंत्रता को कुचला जा रहा है। पण्डित नेहरू ने कहा था कि वह प्रेस को स्वतंत्र देखना चाहते हैं परन्तु आज उनके अनुयायी उनकी सलाह का उल्लंघन कर रहे हैं। आज भारत में पत्रकारों के जीवन भी खतरे में हैं। अधिकारी वर्ग गुंडों की सहायता से पत्रकारों को कत्ल कर रहा है।

हम सब लोग जमशेदपुर के पत्रकार–सम्पादक की हत्या के बारे में जानते हैं। उस व्यक्ति ने अधिकारियों और तस्करों के बीच सम्पर्क का उल्लेख किया था। कुछ समय पूर्व "टाइम्स आफ इण्डिया" के संवाददाता श्री बी० डी० गुप्ता को भी गिरफ्तार और परेशान किया गया था। इसी प्रकार 'बान्दा' के एक स्थानीय पत्रकार को भी पुलिस द्वारा तंग किया गया था, क्योंकि उन्होंने पुलिस की ज्यादतियों के बारे में दो लेख लिख थे। इन सभी बातों से पता लगता है कि भारत में पत्रकारों को किस प्रकार परेशान किया जा रहा है। दूसरी ओर अमरीका है, जहां राष्ट्रपति को अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ा है। उन देशों में पत्रकारों का पूरा सम्मान किया जाता है।

सरकार इस नीति का अनुसरण कर रही है कि प्रेस और पत्रकारों को सरकारी नीतियों का समर्थन करना चाहिये। उसी नीति के अनुसरण में जो पत्र सरकार का विरोध करते है उनको विज्ञापन देना बन्द कर दिया जाता है तथा उन्हें अनेक प्रकार से परेशान किया जाता है।

माननीय मंत्री की कुछ योजनाएं अपने मंत्रालय के बारे में हैं, परन्तु उनको क्रियान्वित नहीं किया जा रहा है। मेरा अनुरोध है कि माननीय मंत्री को दूसरे मंत्रालयों पर दबाव डालकर अपनी योजनाओं को क्रियान्वित कराना चाहिये।

सभी पत्रकार भ्रष्टाचार के बारे में लिखना चाहते हैं। परन्तु देश में इस समय जो स्थिति विद्यमान है उसके कारण वे ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। यदि वे भ्रष्टाचार के बारे में कुछ लिखते हैं तो उनके जीवन खतरे में पड जाते हैं। देश में आज ऐसी ही आपतिक स्थिति है। प्रेस में आज कोई स्वतंत्रता नहीं है क्योंकि पत्रकारों को धमकी दी जाती है कि यदि उन्होंने कोई ऐसी वैसी बात लिखी तो उनको नौकरी से निकाल दिया जायेगा अथवा उन्हें कत्ल करवा दिया जायेगा। भारत में पत्रकारों के जीवन सुरक्षित नहीं है।

पंजाब में दो समाचारपत्रों को बिजली देना बन्द कर दिया गया है क्योंकि वे सरकार के विरोध में लिखते हैं। चूंकि पत्रकार सरकार और राज्य सरकारों की आलोचना करते हैं अत: उन्हें तंग करने के लिये समाचारपत्रों को बिजली की सप्लाई बन्द कर दी जाती है। समाचारपत्रों के मालिक अपनी परिसम्पत्तियों को बेच रहे हैं जिसके कारण पत्रकारों में यह आशंका उत्पन्न हो रही है कि उन्हें रोजगार से हाथ धोना पड़ेगा। उन्होंने प्रधान मंत्री को ज्ञापन भी दिया किन्तु अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई, एकाधिकार स्वामित्व की समाप्ति सम्बन्धी प्रस्तावित विधेयक के कारण भी समाचारपत्र अवैधरूप से अपनी परि-सम्पत्तियां बेच रहे हैं। पत्रकारों को स्थान–स्थान पर पुलिस द्वारा पीटा जा रहा है किन्तु

प्रेस की स्वतंत्रता बनाये रखने के लिये प्रेस काउंसिल आफ इण्डिया कोई कदम नहीं उठा रही है। सरकार सभी समाचारपत्रों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहती है। कलकत्ता में बसुमती दैनिक समाचारपत्रों को राज्य सरकार ने अपने अधिकार में ले लिया है। श्री विवेकानन्द मुखर्जी जो इस समाचारपत्र का सम्पादक है, के सीट पर श्री केदार नाथ घोष नामक व्यक्ति को बिठा दिया गया है। अतः मेरा सुझाव है कि प्रेस काउंसिल का पुनर्गठन किये जाने पर उसे एक लोकतांत्रिक स्वरूप दिया जाय तथा उसमें विभिन्न श्रेणियों के व्यक्तियों जैसे की सम्पादक, सहसम्पादक तथा श्रमजीवी पत्रकारों के प्रतिनिधि रखे जायें।

श्री बी० वी० नायक (कनारा) : इस विधेयक का उद्देश्य बहुत सीमित है। इस विधेयक में निहित उपाय अस्थाई हैं तथा इस वर्ष के अन्त तक इस सम्बन्ध में कोई निर्णय करना ही पढ़ेगा। समस्या यह है कि जिन विशेष व्यक्तियों को प्रेस परिषद् में नामनद करने का कार्य सौंपा गया उन्होंने यह दायित्व लेने से इनकार कर दिया है। इस स्थिति में यह देखना होगा कि इस दायित्व को किसे सौंपा जाय। अतः हम जानना चाहते हैं कि मंत्री महोदय के विचार से इस कार्य को किसे सौंपा जा सकता है।

दूसरे, मैं सदन का ध्यान भारतीय प्रेस परिषद् के वर्ष 1972 के लिये 11वें प्रतिवेदन की ओर दिलाना चाहता हूं। गोवा से प्रकाशित होने वाले गोमांतक समाचारपत्र को गोआ के तत्कालीन मुख्य मंत्री ने विज्ञापन देना बन्द कर दिया था जिसके बारे में प्रेस परिषद् ने यह टिप्पणी की थी कि मुख्य मंत्री की वह कार्यवाही प्रेस की स्वतंत्रता पर आघात की कार्यवाही थी। सरकार की यह पुरानी नीति है कि जो समाचारपत्र सरकार की चाटुकारी नहीं करता उसको विज्ञापन देने बन्द कर दिये जाते हैं जिससे आर्थिक संकट के कारण वह समाचारपत्र स्वयं बन्द हो जाये। मुझे प्रेस परिषद् के इस रवैये पर अत्यंत खेद है कि उसने केवल टिप्पणी ही की तथा कोई ऐसी ठोस कार्यवाही नहीं की जिससे समाचारपत्रों की स्वतंत्रता पर कुठराघात करने वालों को सबक सिखाया जा सके। ऐसी प्रेस परिषद् का क्या लाभ है जो प्रेस की स्वतंत्रता के लिये कोई सशक्त कदम न उठा सके। अतः मेरा सुझाव है कि इस सम्बन्ध में तुरंत ही कोई निर्णय किया जाये। साथ ही मैं अध्यक्ष महोदय, राज्य सभा के सभापति महोदय तथा भारत के मुख्य न्यायाधीश से यह निवेदन करना चाहुंगा की वे इस आशंका से चिंतित न हों कि उनकी आलोचना की जाएगी। मेरा अनुरोध है कि वे अपने दायित्व का निर्वाह करते रहें।

Shri B.S. Bhaura (Bhatinda) : This Bill seeks the extention of term of the Press Council of India upto 31 December. The Government have laid down the functions of the Council in the Bill. According to the Provisions of the Bill the main function of the Council are of the nature of providing assistance to the news papers in maintaining their freedom and of building up conduct for newspapers and Journalists. But when we study the report of the Press Council of India we find that it has failed in performing its duties and obtaining its objects. It is a worth mentioning point that the Government appointed Chairman of the Council the Judge who delivered his judgement in the Supreme Courtagainst the Price Page Schedule resulting in adverse effect on the working Journalists. According to the Report of the Press Council of India only 24 comp laints were entertained by the Council out of which 13 were rejected. In these circumstances it was necessary for the Government to reorganise the Council much earlier.

So far as the freedom of Press is concerned Government bave been saying for a long time that Press will be delinked from the big Industrial Houses. But nothing has been done in this regard so far. The fact is that the Government are under the influence of the Monopolists in the country. It has been the policy of the Government to deprive the newspapers of Government advertisements which criticise the Government. Most of the advertisements are given to the newspapers owned by the big Industrial Houses.

[Shri B. S. Bhaura

A complaint was made to the Prime Minister regarding the sale and re-sale of 'Lok Satta.' She was also informed of the fact that the interests of the workers of the said newspapers were not being watched properly. But no action has been taken on the complaint as yet. I would also like to suggest that encouragement should be given to the local papers which are generally read by the common people. How is it that no representation has been given to the 14 regional languages in the Press Council of India? It clearly shows that Government are not serious in the matter of developing the regional languages.

There are so many Journalists of the various newspapers who blackmail the officers and obtain advertisements for their own periodicals. It is the duty of the Press Council to deal with such Journalists and the periodicals. I would also like to suggest that the newspapers engaged in communal propaganda and in obscene literature should be banned by the Council. This power should be given to the Press Council of India by making necessary amendments in the Press Council Act and in the Article 292 of the Constitution.

श्री वयालार रवि (चिरंचिकील) : मुझे विपक्ष के माननीय सदस्यों की यह बात सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ कि समाचारपत्र सरकार का समर्थन करते हैं। सच तो यह है कि सभी समाचारपत्र सरकार तथा कांग्रेस पार्टी का विरोध करते हैं। माननीय सदस्यों ने पत्रकारों पर आक्रमण किये जाने की भर्त्सना की है। इस सम्बन्ध में मैं उनसे सहमत हूं। बिहार में कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी ने एक वक्तव्य दिया था जिसमें उन्होंने पत्रकार की हत्या की भर्त्संना की थी। पता नहीं सरकार इन हत्यारों के विरूद्ध क्यों कार्यवाही नहीं कर रही है। गुजरात में भी ऐसी ही घटनाएं हुई हैं। अत: मैं मांग करता हूं कि सरकार राष्ट्र विरोधी तत्वों के विरूद्ध कठीन कार्यवाही करे।

विश्वस्त सूत्रों के अनुसार छोटे समाचारपत्रों को 24.5 प्रतिशत, मध्यम स्तर के समाचार-पत्रों को 25.5 प्रतिशत तथा एकाधिकार प्राप्त समाचारपत्रों को 50 प्रतिशत सरकारी विज्ञापन दिय जाते हैं। इससे स्पष्ट ज्ञात होता है कि अधिकांश विज्ञापन बड़े समाचारपत्रों को दिये जाते हैं।

प्रधान मंत्री द्वारा कलकत्ता में दिये गये भाषण को कितने समाचारपत्रों ने प्रकाशित किया है। समाचार पत्रों ने इस भाषण को प्रकाशित ही नहीं किया क्योंकि वह उनके विरुद्ध था। ऐसे ही अन्य अनेक उदाहरण हैं जिनसे ज्ञात होता है कि समाचारपत्र सरकार का बिल्कुल साथ नहीं दे रहे हैं। वे जनता के हितों का ध्यान न रखकर केवल एकाधिकार-प्राप्त व्यक्तियों के हितों का ध्यान रखते हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : स्वामित्व के विकेन्द्रीकरण की मांग करिये।

श्री वयालार रवि : यह सरकार ऐसा नहीं कर रही है तथा मेरी सरकार से यही शिकायत है। युवा कांग्रेस की बहुत आलोचना की जानी है तथा इसी लिये समाचारपत्रों में युवा कांग्रेस की दिल्ली में आयोजित रैली का कोई हवाला नहीं दिया गया। युवा कांग्रेस ने जमाखोरों तथा चोरबाजारी करने वालों को मृत्यु दण्ड दिये जाने की मांग की है। उन्होंने शिक्षा पद्धति में सुधार की मांग की है। **(व्यवधान)**

कपबलसार घटना के सम्बन्ध में मुझे खेद के साथ कहना पडता है कि पुलिस ने अनावश्यक को से युवकों पर गोली चलाई जिससे एक युवक की मृत्यु हो गई। पुलिस ने अपने कार्य को न्यायसंगत ठहराने के लिये कहानी गढ़ली है। श्री ज्योतिर्मय बसु ने कूच-बिहार में हुये गली काण्ड पर बहुत रोष प्रकट किया किन्तु बल्सार काण्ड पर वह मौन रहे। इतना ही हीं युवा कांग्रेस की रैली को बदनाम करने के लिये अनेक प्रकार की कहानियां बनाई गई। यह भी कहा गया कि उस में बहुत से जनसंघी थे। **(व्यवधान)**

केरल में स्वतंत्रता आन्दोलन की भांति आन्दोलन हुये थे । मैंने भी एक बार उसमें भाग लिया था किन्तु आज मैं महसूस करता हूं कि मैंने तब गलती की थी । श्री सोमनाथ चटर्जी तथा उनकी पार्टी आज उन्हीं कदमों पर चल रही है (**व्यवधान**) इन बातों से मैं यही सिद्ध करना चाहता हूं कि समाचारपत्र सरकार का समर्थन नहीं करते अपितु उसका विरोध करते हैं। सम्पूर्ण प्रेस सरकार पर आक्रमण करने को तुली हुई है तथा सी० पी० एम० इस आन्दोलन का समर्थन कर रही है। इन प्रतिक्रिया वादियों ने अपनी डायरियां समाचारपत्रों में लिखनो आरम्भ कर दी है (**व्यवधान**) वे लोग प्रेस की स्वतंत्रता का अर्थ एकाधिकार प्राप्त व्यक्तियों की स्वतंत्रता से लगाते हैं। समाचारपत्र केवल उन्हीं व्यक्तियों के हितों की पूर्ति करने में लगे हैं। किन्तु ये जनता को बहुत दिनों तक बहका नहीं सकते। मेरे विचार में जब तक समाचारपत्रों के स्वामित्व को विकेन्द्रीकृत नहीं किया जाएगा तब तक जनता के हितों की रक्षा नहीं की जा सकती। उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री चरण सिंह ने टाइम्स आफ इण्डिया को विज्ञापन देना बन्द कर दिया था क्योंकि उक्त समाचारपत्र ने श्री चरण सिंह के विरूद्ध कुछ कह दिया था। सी० पी० एम० के कार्यकर्ताओं ने मलयालम मनोरमा और मातृभूमि को काफी क्षति पहुंचाई थी किन्तु यही लोग प्रेस की स्वतंत्रता का बहुत अधिक पक्ष लेते हैं। (**व्यवधान**)

दो महीने पूर्व मैं नागपुर में था तथा वहां श्री जय प्रकाश नारायण आये थे । लोगों ने वहां काले झंण्डों का प्रदर्शन किया किन्तु समाचार पत्रों में यह समाचार प्रकाशित नहीं किया । (**व्यवधान**) पत्रकारों में यह बात पर भारी असंतोष है कि तीसरे मजूरी बोर्ड की स्थापना में असाधारण विलम्ब किया जा रहा है । आशा है सरकार इस बारे में तुरन्त कोई निर्णय करेगी ।

अन्त में मैं प्रेस आयोग के प्रतिवेदन का उल्लेख करना चाहूंगा । इस आयोग ने सुझाव दिया है कि प्रस ट्रस्ट आफ इण्डिया को निगम में बदला जाय किन्तु सरकार ने अभी तक सम्भवतः इस ओर ध्यान नहीं दिया है । मैं न्यायाधीश मैथ्यू के इस कथन से सहमत हूं कि समाचारपत्रों में समाचारों को बहुत तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया जाता है जिससे देश का सम्पूर्ण वातावरण दूषित होता है । मेरा अनुरोध है कि सरकार इस ओर ध्यान दे । इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं ।

Shri Jagannathrao Joshi (Shajapur) : I would like to draw the attention of the Government to certain important points regarding the Press Council of India and the Bill. The Government of India were aware of the fact that the term of the Press Council of India was due to expire. Thus, the extention of the term of the Press Council of India should be sought through the Bill and not through the ordinance. I entirely oppose this attitude of the Government. Secondly, it is more important to see that the Press Council of India is made powerful to perform its duties properly. In this respect we should take a lesson from the powers of the American Press. If the Government are really interested in democratic system in the country they should give full freedom to the Press.

Shri Madhu Limaye has made a reference to the 'Hind Samachar' and 'Punjab Kesari'. Power supply to these papers has been stopped because they criticised the Government. It is no way a democratic process of handling the newspapers.

Every body knows that Shri Bansi Lal has become a terror in Haryana. In these circumstances newspapers are supposed to criticise the bad administration. When 'Tribune did its duties the chief Minister of Haryana withdrew the advertisements given to the Tribune. This matter was looked into by the Press Council of India. The Council found the State Government guilty but all in vain. Similar is the case of the 'Search Light' and 'Pradeep'. In this context I would like to suggest that more and more powers should be given to the Press Council of India so that its recommendations are made binding.

[Shri Jagannathrao Joshi]

I have observed that eastern newspapers like 'Mother land' and 'Organiser' are not provided to the air passangers. Government should not adopt such discriminatory attitude. People should be allowed to read any newspaper and to form their opinion. (*Interruptions*).

I support the proposal of diffusion and de-linking. We are opposed to all kinds of monopolies. The hon. minister should see that the standard of the newspapers is also improved.

The publication of newspapers at District level, their circulation and distribution to the people and their share in the advertisments would have to be examined. Whenever the President or the Prime Minister go abroad, only the representative of English papers accompany them, whereas the representatives of regional papers are not invited, through such papers have large number of readers. How are you going to improve the standards? They are already being starved. Such papers do not get the newsprint quota. The newspapers published from Bombay are supplied newsprint from Calcutta and Amrit Bazar Patrika of Calcutta is given newsprint quota from some other place. Why is there so much disorder? The small regional newspapers are not allowed newspapers in time and at controlled prices. The advertisements are not given to them. It is the duty of the Press Council to improve the standards, but how could such papers continue their publication when they would not have sufficient funds.

English newspapers would have the monopoly in the field, which are read by two percent of the population. The Government should also pay attention to the papers published in the language of the masses. What is objectionable is that Government want to have an indirect control over the papers by giving advertisements to certain papers through backdoor. The Railway Minister has not disclosed the names of the papers to which advertisements were given during the Railway strike, because the Government might have asked these papers to publish news-items against the Railway strike. The Government should disclose its policy regarding this. The Government should also act-upon the observations of the Press Council of India. The jurisdiction of Press Council should also be widened.

I do not find any fault with the constitution of previous Press Council. But it is not justified if some one resigns due to criticism. We should have some dignity to some of the offices like that of the President of India or the Chief Justice of the Supreme Court. The working Journalists should also be nominated to the Press Council.

There is Press Council to have a control over newspapers and to go through the grievances of them, but there is no body to look after All India Radio and T.V. Only the members of the ruling party are invited to broadcast their speeches on Radio or T.V. I would urge the Government to enlarge the jurisdiction of the Press Council and over All India Radio.

श्री डी० डी० दसाई (कैरा) : प्रेस परिषद (संशोधन) विधेयक के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार को इस संस्था को यथासंभव अधिकाधिक निस्पक्ष बनाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि परिषद ऐसी परिस्थिति में आ चुकी है, जिसमें आलोचना का शिकार होने पर अध्यक्ष महोदय, उप राष्ट्रपति और भारत के मुख्य-न्यायाधीश को प्रेस परिषद से त्याग पत्र देना पड़ा । ऐसा लगता है कि प्रेस परिषद उस सर्वोच्च संस्था के बिना ही काम कर रही है, जो सम्मानपूर्वक अपने दायित्वों का पालन कर पाती ।

समाचारपत्रों और सरकार के बीच अन्तर है । सरकार का समाचारपत्रों पर नियन्त्रण लोक तन्त्र में उपयोगी नहीं है । संयुक्त राज्य अमेरिका सहित पश्चिम जर्मनी, जापान और ब्रिटेन आदि देशों में समाचारपत्रों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है । समाचारपत्रों की आलोचना के कारण पश्चिम जर्मनी में श्री बिली ब्रान्ट और अमेरिका में राष्ट्रपति श्री निक्सन को अपने पदों का त्याग करना पड़ा ।

अगर समाचारपत्रों पर सरकार का पूर्ण नियन्त्रण है, तो उसका परिणाम सोवियत संघ के समाचारपत्रों के रूप में देखा जा सकता है । वहां नियन्त्रित समाचारपत्र हैं । वहां समाचारपत्र सरकार के एक उपकरण के रूप में काम कर रहे हैं । वहां के शासक जनता को समा-

चारपत्रों के माध्यम से सन्देश देने में अपने आपको ही सक्षम समझते हैं और व्यक्ति की अभिव्यक्ति को कोई महत्व नहीं दिया जाता । सरकार में कोई भी व्यक्ति हो सकते हैं, परन्तु समय गुजरने के साथ-साथ उसमें ह्रास आने की सम्भावना रहती है ।

ब्रिटेन के राजनैतिक जीवन में अन्य देशों की अपेक्षा नैतिक मूल्यों को महत्व दिया जाता है । मैंने अनेक देशों का अनेक बार प्रयाण किया है और मैंने यह पाया है कि ब्रिटेन के राजनीतिज्ञों और प्रशासकों का नैतिक स्तर अन्य देशों की अपेक्षा कहीं अधिक ऊंचा है । जहां कही समाचारपत्रों को पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त है और वहां अगर राजनीतिज्ञों और नोकरशाहों ने उच्च नैतिक आदर्शों का पालन नहीं किया है, तो 3 समाचारपत्रों ने जनता के समक्ष सही स्थिति रखने में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई और उन पदाधिकारियों को अपने पदों से त्याग करना पड़ा है । अनेक अवसरों पर प्रेस की आलोचना के कारण मन्त्रियों को ही पद-त्याग नहीं करना पड़ा है, बल्कि सरकारें भी बदली गई हैं । अगर हम ईमानदारी और न्याय के मार्ग पर हैं, तो हमें सच्चाई के सामने आने से चिन्तित नहीं होना चाहिए ।

रेडियों, टेलीविजन जैसे जनसम्पर्क साधनों पर सरकार का नियन्त्रण है । मेरा सुझाव यह है कि इन जन सम्पर्क साधनों को एक निष्पक्ष प्राधिकरण को शीघ्रताशीघ्र सौंप दिया जाना चाहिए । समाचारपत्रों की स्वतन्त्रता न्यायापालिका की स्वतन्त्रता से कम नहीं होनी चाहिए । स्वतन्त्र प्रेस लोकतन्त्र की अमूल्य निधि है । प्रेस को स्वतन्त्र और निष्पक्ष ढ़ंग से कार्य करने देने के लिए प्रेस विनिमय बनाने सम्बन्धी संसद सदस्यों की समिति की रिपोर्ट पर शीघ्र निर्णय लिया जाना चाहिए ।

श्री मुरासोली मारन (मद्रास दक्षिण) : प्रेस परिषद के पास कोई दण्डात्मक अधिकार नहीं हैं, इसलिए भारतीय समाचारपत्रों के निरीक्षण और उनके संरक्षण के कार्य में यह संस्था निष्प्रभावी हो गई है । प्रेस परिषद गठित करने का उद्देश्य प्रेस की स्वाधीनता को कायम रखना और समाचारपत्रों तथा समाचार एजन्सियों के स्तर में सुधार करना था । अखबारी कागज़ पर नियन्त्रण और उसकी बहुत ज्यादा कीमतों के कारण समाचारपत्रों की स्वाधीनता सपने की बात बन गई है । समाचारपत्रों की आर्थिक स्थिति डांवाडोल है और उनकी आर्थिक स्थिति ज्यादा से ज्यादा खराब होती जा रही है । समाचारपत्र विज्ञापन की आमदनी के बिना अपने अस्तित्व को कायम नहीं रख सकते ।

श्री गुजराल के एक वक्तव्य के अनुसार कुल विज्ञापन बजट 65 करोड़ रुपये का है और केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारें--दोनों मिलाकर कुल 5 करोड़ रु० की राशि विज्ञापनों पर खर्च करती हैं । 'रीडर्स डाइजेस्ट' का भारत में एक कार्यालय है और वे डेढ़ या दो लाख प्रतियों के प्रकाशन का दावा करते हैं । 'आडिट ब्यूरो आफ सर्कूलेशन' के वह सदस्य बनते नहीं । 1 जनवरी, 1968 से 30 जून 1968 तक की छः महीने की अवधि में इस कार्यालय ने 67,000 रु० इंगलैण्ड भेजे, 1969 में 51,000 रु० भेजे और वर्ष 1970 में 1.45 लाख रुपये ब्रिटेन भेजे । इस पत्रिका को भारी मात्रा में विज्ञापन दिये जा रहे है और इस पत्रिका की विज्ञापन दरें भी बहुत ज्यादा हैं । इस मामले पर काफी गम्भीरता से विचार करने की आवश्यकता है कि क्या ऐसी पत्रिका को भारत में प्रकाशित होने की अनुमति दी जाय, जो सम्पादन-व्यय के रूप में भारी राशि विदेश भेज रही है । सम्पादन कार्यालय की यहां स्थापना की जानी चाहिए । हम प्रतिमा के मामले में किसी से कम नहीं है ।

प्रेस परिषद का एक सराहनीय उद्देश्य समाचारपत्रों के स्तर को कायम रखना है । युवा पत्रिकायें नंगी तस्वीरे प्रकाशित करती हैं और प्रेस परिषद के जवाब तलब करने पर उनके प्रकाशक कहते हैं कि यह तो आयात प्रतिस्थापन है । प्रेस परिषद कुछ भी कार्यवाही नहीं कर पाती, क्योंकि उसके पास दण्डात्मक अधिकार नहीं है । कुछ प्रादेशिक समाचारपत्र

[श्री मुरासोली मारन]

और कुछ अंग्रेजी समाचारपत्र सनसनी खेज समाचार और गलत रूप से धमकाने की नीति का अनुकरण कर रहे हैं । इसका कारण प्रेस परिषद के पास कोई भी अधिकार न होना है । प्रेस परिषद को स्वतन्त्र और अधिकार सम्पन्न संस्था बनाया जाना चाहिए ।

प्रेस परिषद के अध्यक्ष पद पर सेवा-निवृत्त न्यायाधीश को नियुक्त किया जाना चाहिए । प्रेस परिषद के मामलों का निपटान करने में बहुत अधिक समय नहीं लेना चाहिए । प्रेस परिषद में विभिन्न विचारधाराओं के व्यक्तियों को शामिल करना जरूरी नहीं है और न विभिन्न यूनियनों को प्रतिनिधित्व देना ही आवश्यक है । इस संस्था का स्वरूप न्यायिक होना चाहिए।

प्रेस आयोग ने प्रेस परिषद के उद्देश्यों के रूप में प्रेस की स्वाधीनता की रक्षा करना ही नहीं, बल्कि इसकी निष्पक्षता को कायम रखना भी है और उन घटनाओं की समीक्षा करना, जिनसे जन हित के समाचारों के संचलन में रुकावट होती हो । प्रेस परिषद का एक मुख्य कार्य उन घटनाओं का भी अध्ययन करना है, जिनसे समाचारपत्रों और समाचार एजेन्सियों के स्वामित्व और उनके वित्तीय ढांचे का केन्द्रीकरण या एकाधिकार होता हो । प्रेस परिषद एकाधिकार स्वामित्व और अन्य सम्बद्ध मामलों के बारे में स्वयं अध्ययन कर रही थी, तब तक अचानक मन्त्रिमण्डलीय उप समिति की नियुक्ति कर दी गई और अब एक तथ्य-निर्धारण समिति का गठन कर दिया गया है । प्रेस परिषद के काम को सरकार द्वारा अपने हाथ में लेने का क्या औचित्य है ? क्या सरकार का प्रेस परिषद में कोई विश्वास नहीं है ? भारत सरकार ने जब यह काम अपने हाथ में ले लिया है, तो उन्होंने अपने अनुसन्धान कार्य को बन्द कर दिया है ? मन्त्री महोदय इस बारे में स्थिति स्पष्ट करें कि क्या सरकार का प्रेस परिषद में विश्वास नहीं रहा है ?

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी (गौहाटी) : यह विधेयक प्रेस परिषद की अवधि बढ़ाने के लिए है और ऐसा करने की परिस्थितियां आपके नोटिस में लायी जा चुकी हैं ।

प्रेस परिषद अधिनियम में वांछित परिवर्तन करने के बारे में, विशेष रूप से प्रेस परिषद की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जिसमें इसे रखा गया है, हम गम्भीरता से विचार कर रहे है क्योंकि उच्च शक्ति प्राप्त समिति ने कार्य करने से मना कर दिया है ।

[श्री इशहाक सम्भाली पीठासीन हुए ।
SHRI ISHAQUE SAMBALI *in the Chair*]

इस समिति में हमारे सामने अनेक समस्यायें आयी हैं । एक समस्या यह है कि भारत के मुख्य न्यायाधिपति लोक सभा के अध्यक्ष और राज्य सभा के सभापति को लेकर गठित उच्च शक्ति-प्राप्त समिति ने कुछ दुर्भाग्यपूर्ण विवादों के कारण काम करने से मना कर दिया है ।

विभिन्न प्रश्नों के बारे में समिति में मतभेद है । एक प्रश्न यह है कि अंग्रेजी समाचार-पत्रों की तुलना में भारतीय भाषायी समाचारपत्रों के हितों की रक्षा किस प्रकार की जाय ? हमारे सामने एक प्रश्न यह है कि प्रेस परिषद पर किसी बड़ी संस्था, एकाधिकारवादी संस्था अथवा बड़ी संस्थाओं के प्रभुत्व को किस प्रकार समाप्त किया जाये ? एक प्रश्न यह भी है कि किस श्रेणी के कार्मिक संघों अथवा व्यक्तियों को उसमें प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाय ? प्रेस की स्वतंत्रता तथा इसके नैतिक स्तर के बीच किस प्रकार संतुलन को बनाये रखा जाये यह प्रश्न भी हमारे सामने है । समिति का सदस्य होने के नाते मैं इस सभा को आश्वासन' देता हूं कि हम अपने निष्कर्षों पर पहुंचने और अपने विचार सरकार के समक्ष रखने का भरसक प्रयास कर रहे हैं ताकि सरकार अगले सत्र में एक विधेयक पेश कर सके ।

मैं इस बात से सहमत हूं कि प्रेस अथवा किसी अन्य जन प्रचार के साधन की स्वतंत्रता के पद अनुचित प्रतिबंध नहीं होने चाहिए । लेकिन इसका तात्पर्य यह कदापि नहीं है कि ये समस्त नियन्त्रणों से मुक्त हो और अपनी मनमानी करे । जनमत तैयार करने तथा देश को सही मार्ग पर ले जाने की दिशा में प्रेस एक प्रमुख भूमिका निभाता है । कुछ ऐसी कम्पनियां हैं जिनका प्रेस पर पूरा नियंत्रण है और हम ऐसे एकाअधिकार में प्रेस को कार्य नहीं करने देंगे । हम चाहते हैं कि प्रेस इस तरह का हो कि वह करोड़ों लोगों की आकांक्षाओं तथा इच्छाओं को अभिव्यक्ति दे सके । उस सीमा तक प्रेस पर कुछ नियंत्रण आवश्यक हैं ।

दूसरी बात जिस पर हमें गम्भीरता से विचार करने की आवश्यकता है वह यह है कि हम किस की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता चाहते हैं । हम सम्पादकों, जागरूक लेखकों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता चाहते हैं । किन्तु दुर्भाग्य से आज देश में ऐसी स्थिति है कि जिन लोगों का प्रेस पर नियंत्रण है उन्होंने सम्पादकों की आवाज दबा रखी है । अतः यदि हम वास्तविक रूप से प्रेस के माध्यम से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता चाहते हैं तो हमें देश में ऐसा वातावरण पैदा करना चाहिए जिसमें सम्पादक निर्भय होकर अपने विचार व्यक्त कर सकें ।

अगला प्रश्न, जिस पर शायद अधिक ध्यान नहीं दिया गया है, प्रेस और संसद की भूमिका के बारे में है । इस संसद के विचारों की अभिव्यक्ति में प्रेस, चाहे अप्रत्यक्ष रूप से शामिल हो, एक अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है । यदि प्रेस द्वारा संसदीय कार्यों के किसी पहलू की पूरी तरह उपेक्षा की जाती है तो वह विधान कार्य संबंधी हिस्सा है । यही कारण है कि हम 'जीरो आवर' के समय सभा में अधिक समय व्यतित करना चाहते हैं और शेष समय यह सदन खाली रहता है । यही कारण है कि अत्यधिक महत्वपूर्ण विधेयकों पर भी सभा में कोई ज्यादा वक्ता नहीं होते हैं । देश के प्रेसों को इस प्रश्न पर सोचना चाहिए और एक ऐसा वातावरण तैयार करना चाहिए जिसमें हम इस सभा में वास्तविक रूप से उद्देश्यपूर्ण चर्चा कर सकें ।

श्री पो० जो० मावलंकर (अहमदाबाद) : इस विधेयक पर किसी प्रकार की आपत्ति नहीं हो सकती । आपत्तिजनक तो केवल एक ही बात है कि इस बारे में अध्यादेश क्यों जारी किया गया ? सरकार संबंधित प्राधिकारियों पर इस मामले में शीघ्रता से कार्यवाही करने के लिये दवाव डाल सकती थी ताकि अध्यादेश जारी करने की कोई आवश्यकता न होती । आशा है कि सरकार भविष्य में इन आधारों पर अध्यादेश जारी करने के लिये बाध्य नहीं होगी । यह कोई उचित परम्परा नहीं है ।

अमरीका में घटित अनेक बातों तथा वहां लोकतंत्र जिस प्रकार कार्य करता है, उनसे कोई सहमत न हो परन्तु प्रत्येक व्यक्ति इससे सहमत होगा कि अमरीका, ब्रिटेन तथा अनेक विकासशील तथा लोकतंत्रीय देशों में प्रेस को बहुत स्वतंत्रता प्राप्त है । श्री निक्सन का राष्ट्रपति पद से हट जाना हाल ही की एक घटना है । अन्ततः यह प्रेस की स्वतंत्रता थी जिसने राष्ट्रपति को पदच्युत करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया । हमारे देश में स्थिति संतोषजनक नहीं है । ईमानदार पत्रकारों के लिए निड़रता तथा स्वतंत्रता से अपना कार्य करना अधिकाधिक कठिन हो रहा है । पत्रकारों का कार्य बिना भय अथवा बिना किसी का पक्ष लिये लेखन कार्य है । एक ईमानदार पत्रकार को कई कठिनाईयो का सामना करना पड़ता है और जोखिम उठाने पड़ते हैं । यही कारण है कि प्रेस की रक्षा की जानी चाहिए और इसकी स्वतंत्रता की रक्षा बड़ी सावधानी से की जानी चाहिए । हाल ही में अहमदाबाद में एक घटना हुई जिसमें प्रेस कर्मचारी अन्तर्ग्रस्त थे । प्रेस के 25 कर्मचारी राज्यपाल के सलाहकार से मिलने गए । सलाहकार उनसे मिलने के लिय बाहर नहीं आय साथ ही पुलिस ने उन 25 कर्मचारियों पर लाठियां भी चलाई । उनमें से एक कर्मचारी गम्भीर

[श्री पी० जी० मावलंकर]

रूप से घायल हो गया । अब तक इस घटना की कोई जांच नहीं की गई । वास्तव में यह बड़े दुख, की बात है कि जिन पत्रकारों को स्वतंत्रता से लिखना होता है उनके साथ इस प्रकार का व्यवहार किया जाता है । गुजरात में कई दुखद घटनाएं हो रही है और इसका कारण यह है कि प्राधिकारियों तथा नागरिकों के बीच विश्वास तथा एक दूसरे को समझने की दृष्टि तथा वातावरण नहीं है ।

लोकतंत्र में प्रेस तथा प्रचार का महत्वपूर्ण स्थान है । किन्तु भारत में यह स्थिति है कि सरकार तथा बड़े-बड़े व्यापारगृहों द्वारा उन पर आक्रमण किया जाता है और उन्हें दंडित किया जाता है ।

हम ऐसी मनोनीत समिति से बढ़िया किसी अन्य समिति को नहीं समझते जिसमें उप-राष्ट्रपति, (राज्य सभा का सभापति), अध्यक्ष तथा मुख्य न्यायाधिपति हों । इन तीनों पदों पर कार्य करने वाले व्यक्तियों ने गत 27 वर्षों में एकता, निष्पक्षता तथा स्वतंत्रता की परम्पराओं को मजबूत किया है । वे प्रेस परिषद में अच्छ सदस्य रख सकते हैं । सरकार को एक छोटा सा संशोधन पेश करना चाहिए जिसमें कहा जाये कि इस मनोनीत समिती की आलोचना नहीं करने दी जायगी और यदि इसकी आलोचना की जाती है तो यह उचित आलोचना होनी चाहिए । सरकार को कुछ ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए ताकि अनुचित आलोचना न की जा सके ।

प्रस परिषद को किसी भी प्रकार की दन्डात्मक शक्ति नहीं दी जानी चाहिए । परिषद को किसी व्यक्ति को दण्ड नहीं देना चाहिए । उसे गलत कार्य करने वाले व्यक्तियों पर कुछ नैतिक आलोचना करने की अनुमति होनी चाहिए । प्रेस परिषद को संबंधित पार्टीयों को बुलाने की कुछ शक्तियां होनी चाहिए । हाल ही में कुछ मामलों के संबंध प्रेस परिषद मुख्य मंत्री , श्री बंसीलाल अथवा उसके प्रतिनिधि को बुलाना चाहती थी कि वे प्रेस परिषद के सामने अपनी गवाही दें । हरियाणा सरकार से प्रेस परिषद के समक्ष साक्ष्य देने के लिये कोई भी नहीं आया । प्रेस परिषद किसी को भी बुला नहीं पाई तो वह आगे कसे कार्यवाही कर सकती है ? यदि बुलाने के लिये प्रेस परिषद को कुछ शक्तियां दे दी जायें तो फिर प्रस परिषद के कार्यकरण को सहायता मिलेगी और प्रेस की स्वतंत्रता अधिक अर्थपूर्ण तथा महत्व की होगी ।

Shri Paripoornanand Painuli (Theri-Garhawal) : Undue importance has been attached to a simple matter. The time limit for the Press Council should have been extended during the last session instead of doing so through the promulgation of an Ordinance.

Some hon. members have expressed their views about the freedom of the Press That is good. But it is really strange that those who plead that traders' lockouts should be allowed to be carried on by the wholesalers, the very persons advocate the freedom of the Press.

It is alleged that the ruling party has strangled the press and that there is no freedom of the press. But the propaganda against the ruling party carried out by the monopoly press during the elections held in Uttar Pradesh in 1971 and 1972 is not unknown. I think there is more freedom of the press in our country than it is necessary. This freedom is being abused.

It is altogether wrong to allege that by giving advertisements the favour of the Press is gained.

So far as the quota of newsprint is comcerned, 90 percent of the total quota of newsprint is consumed by 20 newspapers only.

The monopoly press is not paying any attention increase the wages of the working journalists. The press council should be strengthened so that the interests of the working journalists is safeguarded.

For healthy growth of journalism, it is necessary that journalists indulging in black mail and yellow journalism are kept out of this holy profession.

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : इसमें कोई संदेह नहीं है कि अब समय आ गया है जब हमें दूसरा प्रेस आयोग स्थापित कर देना चाहिए । क्योंकि पहला प्रस आयोग 22 वर्ष पहले स्थापित किया गया था । इस अवधि के दौरान काफी अनुभव प्राप्त हुआ है जिसे ध्यान में रखते हुए प्रेस परिषद के गठन और कार्यों का पुनर्विलोकन किया जा सकता है । मैं समझता हूं कि सरकार इस समस्या की ओर ध्यान देगी ।

इतने लम्बे अवकाश का हमारा यह अनुभव रहा है कि यहां प्रेस परिषद कार्य नहीं कर सकती है क्योंकि यहां श्री गुजराल की 'सपप्रस्ड काउंसिल' है । रेल हड़ताल के दौरान सरकार ने पर्चे और सब प्रकार की प्रचार सामग्री निकाली परन्तु उससे भी सरकार संतुष्ट नहीं हुई तो उसने फेडरेशन आफ इंडियन चैम्बर्स आफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्री की सहायता ली कि वह हड़तालो कर्मचारियों की बदनामी करने में अपना योगदान दें । प्रेस परिषद् ने हरियाणा सरकार की आलोचना की लेकिन वह आलोचना पूर्णतया प्रभावहीन रही । उस पक्ष के मेरे माननीय मित्रों ने प्रेस की स्वतंत्रता के लिय अपना योगदान क्यों नहीं दिया ?

बिहार में दो महत्वपूर्ण समाचारपत्रों—"सर्चलाइट" और "प्रदीप" पर किये गए अत्याचारों के लिये श्री गफूर की सरकार उत्तरदायी है । सत्तारूढ़ दल ने श्री गफूर के विरुद्ध कोई कार्यवाही क्यों नहीं की ?

यहां तक कि मेरे माननीय मित्र, रेल मंत्री ने भी "सर्चलाइट" और "प्रदीप" को सूची से निकाल देने के लिये खुलेआम आलोचना की । सत्तारूढ़ दल के राज्य यूनिट के प्रेजीडेंट ने भी इन दोनों समाचार-पत्रों को सूची से निकाल देने के लिये आलोचना की फिर भी श्री गुजराल कुछ नहीं बोले ।

सरकार ने इस सम्बन्ध में न्यायिक जांच क्यों नहीं करवाई क्योकि प्रेस की स्वतंत्रता केन्द्रीय सरकार का उत्तरदायित्व होना चाहिए ।

श्री मधु लिमये ने ठीक ही कहा है कि पंजाब में श्री जैल सिंह ने 'हिन्द समाचार' और 'पंजाब केसरी' के बिजली के कनेक्शन कटवा दिये हैं ।

इसके अतिरिक्त जमशेदपुर में पत्रकार आतंकपूर्ण वातावरण में रह रहे है । पहले एक पत्रकार मारा भी गया था । क्या सरकार इस बारे में कुछ नहीं करेगी ?

मेरा कहना है कि यदि सरकार वास्तव में प्रेस की स्वतंत्रता चाहती है तो जो सहायता सरकार एजेंसियों या किसी समाचार-पत्र को देती है, केवल वही इसका उत्तरदायित्व नहीं होना चाहिए । इसके अतिरिक्त प्रेस परिषद् को इस सरकार द्वारा प्रति वर्ष दी जाने वाली सहायता के ढंग के बारे में अपना एक प्रतिवेदन देना चाहिए । प्रेस को दिये जाने वाले कागज और अखबारी कागज के बारे में भी प्रेस परिषद को प्रतिवेदन देना चाहिए तथा उसे विज्ञापनो के बारे में भी प्रतिवेदन देना चाहिये । यदि भारतीय संसद वास्तव में जनता और प्रेस की स्वतंत्रता की संरक्षक है तो एक समर्थक निकाय होना चाहिये जो प्रेस परिषद् के प्रतिवदनो की गहन जांच करे और यह बात संसद के ध्यान में लाये कि प्रस परिषद् के प्रतिवेदनों पर गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिया गया है या नहीं ? इसके अतिरिक्त सूचना और प्रसारण मंत्री को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रेस परिषद् द्वारा प्रस्तुत प्रतिवदनों पर प्रतिवर्ष संसद में अलग से विचार किया जाये ।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : यह वाद-विवाद काफी व्यापक हो गया है जबकि मैंने आरंभ में कहा था कि इस वाद-विवाद का सीमित उद्देश्य है जो प्रेस परिषद् कि अवधि बढ़ाने के बारे में है । श्री जोशी और श्री मावलंकर ने कहा कि इस कार्य के लिये अध्यादेश लाने की क्या आवश्यकता थी और क्या हम संभवतया प्रस परिषद् की अवधि बढ़ाने को टाल सकते थे ? हमें आशा थीं कि संसद सदस्यों की समिति अपना कार्य समय पर पूरा कर लेगी और हम समिति की सिफारिशों के आधार पर संसद के समक्ष विधेयक लायेंगे परन्तु इसने अधिक समय ले लिया है । श्री मधु लिमय ने जो बात कही वह 'ससरशिप' के बारे में है । मेरा कहना है कि हम न केवल प्रेस के मामले में ही, अपितु थियेटर और अन्य साधनों के बारे में भी प्रत्यक्ष या परोक्ष 'सेंसरशिप, के विरुद्ध हैं । मुझे आशा है कि थियेटर के सम्बन्ध में श्री मधु लिमये द्वारा बुद्धिमत्ता हेतु उठाई गई आवाज पर दिल्ली प्रशासन ध्यान देगा । नाटक के 'स्क्रिप्ट, पर प्रशासन की अनुमति लेने की प्रक्रिया जनसंघ ने लागू की थी ।

Shri Madhu Limaye : It is a good news that they follow the Jan Sangh. Wly then they criticise the Jan Sangh ? But in this case it is not a good thing which they have done.

The Minister of Information and Boradcasting (Shri I. K. Gujral) : Unfortunately, it was first time in the history of India that Jan Sangh started imposing restrictions on the theatre. I fully suppor this view which is against such restrictions.

श्री धर्मवीर सिंह : हम न केवल स्वतन्त्र प्रेस ही चाहते है अपितु हम तो रोचक और समृद्ध प्रस चाहते ह जो जनता को प्रचलित समाचारो की जानकारी दे सके और ऐसा मत व्यक्त करे जो इस देश में लोकतंत्र सुदृढ़ करने में सहायक हो । मैं इस बात का खंडन करूंगा कि सरकार ने किसी समाचार-पत्र पर किसी प्रकार का दबाव डाला है ।

दुर्भाग्यवश, पिछले 20 वर्षों में, जब से प्रेस आयोग ने अपना प्रतिवेदन दिया है, समाचार पत्रो के स्वामित्व का केन्द्रीयकरण बढ़ा है । 1954 में समाचार-पत्रों की कुल बिक्री में से 51.1 प्रतिशत पर 15 समाचार-पत्र कम्पनियों का नियंत्रण था । आज 20 वर्ष बाद केवल 7 समाचार-पत्रों का कुल बिक्री के 51.1 प्रतिशत भाग पर नियंत्रण है । उच्चतम न्यायालय के निणय के कारण समाचार-पत्रों को बड़े एकाधिकारवादी गृहों से अलग करने के काम में चाहे कितना भी विलम्ब क्यों न हुआ हो परन्तु मैं सभा को आश्वासन दे सकता हूं कि हम इस कार्य को हम शीघ्र ही अंतिम रुप दे सकेंगे ।

दूसरे प्रस आयोग की स्थापना की कोई आवश्यकता नहीं है । हमारी नीति है कि विशिष्ट मामलों पर विशषज्ञ विचार करते रहें ।

आज कल समाचार-पत्र भी एक शक्ति हैं । जब हम किसी लोकतांत्रिक समाज में शक्ति के सम्बन्ध पर विचार करते हैं तो हमें उत्तरदायित्व के संदर्भ में शक्ति पर विचार करना होगा।

श्री मारन ने समाचार-पत्रो के स्तर के बारे में कहा है । मैं मानता हूं कि भारतीय पत्रकारिता में रिश्वत देकर समाचार छपवाने आदि का काम होता है ।

कुछ माननीय सदस्यों ने हरियाणा, बिहार और पंजाब की घटनाओ का उल्लेख किया है । ये राज्य सरकारों के मामले हैं । प्रेस परिषद् के समक्ष बिहार सरकार के विरुद्ध जो भी शिकायत है उस पर वह विचार करेगी ।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बर्दवान) : यदि प्रेस परिषद् को यह पता लगे कि कोई राज्य सरकार प्रस विरोधी गतिविधियों के लिये उत्तरदायी है तो क्या प्रस परिषद् या केन्द्रीय सरकार को निन्दा करने की शक्तियां मिलेंगी ? यह मूल बात है ?

श्री आई० के० गुजराल : यह मूल बात है । प्रेस परिषद को शक्तियां देने का मामला ऐसा है जिस पर राष्ट्र को दृढ़ निश्चिय करना है ...

श्री श्यामनन्दन मिश्र : क्या सरकार प्रेस परिषद के प्रतिवेदनों को नैतिक अधिकार सहित नहीं रख सकती है ?

श्री आई० के० गुजराल : मूल प्रश्न यह है कि प्रेस परिषद् को शक्तियां दी जाये या नहीं ?

मूलतः राज्य सरकारें अपने विधान मंडलों के प्रति उत्तरदायी हैं ।

एक नागरिक के रूप में मेरी राय यह है कि जब कभी भी प्रेस परिषद् ने किसी पत्र या राज्य सरकार के बारे में टिप्पणीयां की हैं तो उनका प्रभाव अवश्य हुआ है । लोकतांत्रिक समाज में राय देना बहुत बड़ी बात है । मैं समझता हूं कि श्री श्यामनन्दन मिश्र इससे संतुष्ट हो गये होंगे ।

भारत में यह एक बहुत ही असामान्य बात है कि हमने प्रेस परिषद् का गठन संसद के अधिनियम के अन्तर्गत किया है । दूसरे हमें प्रेस परिषद् के मूल दर्शन को भी नही भूलना चाहिये । वह दर्शन यह है कि साथियों द्वारा निर्णय दिया जाता है और उसमें सरकार को प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है । इस प्रकार के निर्णय के सीमाएं हो सकती हैं ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : पत्रकारों को प्रस परिषद् द्वारा की गई भर्त्सना को स्वीकार करना पड़ता है, परन्तु सरकार को नहीं । क्या यह असमानता नहीं है ?

श्री आई० के० गुजराल : यह विचार गलत है । इस देश में एक समाचारपत्र की 6-7 बार भर्त्सना की गई परंतु उसने परवाह नहीं की । (**अन्तर्बाधाएं**)

श्री धर्मवीर सिंह : म राज्य विधान सभा की सार्वभौमता की संवधानिक समस्या की बात नहीं करना चाहता । संसद अपने क्षेत्र में स्वतन्त्र है और राज्य विधान सभाएं अपने अपने क्षेत्रो में स्वतंत्र हैं ।

इस अवसर पर मैं भारतीय समाचारपत्र में एकाधिकार की बढ़ती प्रवृति की बात अवश्य करुंगा । आज देश में समाचारपत्र की स्वतंत्रता को सबसे बड़ा खतरा सरकार से नहीं अपितु 'मार्किट अर्थव्यवस्था' से है जिसके अन्तर्गत आज के समाचार पत्र हैं । इससे एकाधिकार में वृद्धि हो रही है । हमें इस समस्या पर विचार करना है । इसके कारण आज कुछ समाचार पत्रों को गैर सरकारी क्षेत्र से लगभग 60 करोड़ के विज्ञापन प्राप्त हो रहे है। दूसरी ओर से राज्य सरकारों के उपक्रमों सहित सारे सरकारी उपक्रमों का विज्ञापन व्यय केवल 5 करोड़ रूपये है ।

श्री जगन्नाथ राव (छत्तरपुर) : क्या मैं जान सकता हूं कि एक से अधिक स्थानों से प्रकाशित होने वाले समाचारपत्रों को विज्ञापन देने के बारे में सरकारी नीति क्या है ? क्या कोई समाचारपत्र यदि 6 स्थानों से प्रकाशित होता है तो उसे 6 विज्ञापन दिये जाते हैं ?

श्री आई० के० गुजराल : एक से अधिक स्थानों से प्रकाशित होने वाले समाचारपत्रों के लिए हमारी विज्ञापन दरें अलग हैं । यह दरें प्रकाशन-स्थानों की संख्या के अनुसार हैं।

श्री वसन्त साठे (अकोला) : मितव्ययता की नीति को देखते हुए क्या आप विज्ञापनों की संख्या घटाने का सोच रहे हैं जिससे कि इस बारे में कुछ बचत की जा सके ?

श्री आई० के० गुजराल : पांच करोड़ रुपये का बजट सरकारी उपक्रमों का है। डी०ए०वी०पी० का बजट लगभग 1.7 अथवा 1.8 करोड़ रुपये है। विज्ञापन का स्थान विषय आदि के आधार पर चुना जाता है। मैं यह भी स्पष्ट कर दूं कि विज्ञापन नीति का कोई साधन नहीं है और न ही यह राज सहायता का माध्यम है।

Shri Madhu Limaye (Banka) : The administration of 'Samachar Bharti' is in a very bad shape. Something should be done to improve the administration. 'Samachar Bharati' should be re-organised in such a manner that it does not come under Government control. The Minister should talk to Shri Jaya Prakash also who was previously its chairman, about the freedom of press and fundamental rights of journalists.

Mr. Chairman : It will put Shri Limaye's Resolution to vote. The question is :

"यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 28 जून, 1974 को प्रख्यापित प्रेस परिषद् (संशोधन) अध्यादेश, 1974 (1974 का अध्यादेश संख्या 3) का निरनुमोदन करती है"।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

The motion was negatived.

Mr. Chairman : प्रश्न यह है कि :

"प्रेस परिषद् अधिनियम, 1965 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पास किये गए रूप में, विचार किया जाएं"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

Mr. Chairman : There are no amendments. The question is :

"कि खंड 2 से 4, खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधयक का नाम विधेयक का अंगब "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खंड 2 से 4, खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिए गये"।

Clauses 2 to 4. Clause 1, the enacting formula and the Title were added to the Bill.

श्री धर्मवीर सिंह : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

Shri Sarjoo Pandey (Gazipur) : There in no freedom of press in a country where society is devided into capitalists as well as working classes. In our country only those papers should be allowed to be published which depict exploitation of the working classes. The Press Council should be organised in such a manner that this objective is achieved.

In the name of freedom of the press, certain newspapers indulge in undesirable propaganda against the working classes. Such a freedom of the press has no meaning. Newspapers should not be allowed to write against the interests of the workers and principles of socialism and should not be allowed to propagate in favour of capitalism. Those newspapers which propagate against democracy, socialism and secularism and further the cause of capitalism should be banned. (*Interruptions*).

Shri M. C. Daga (Pali) : The press council should be made more effective and purposeful. It should be given punitive powers. May I know how Government propose to maintain ethics and morals for Press Council? May I also know whether Journalists or editors would be given majority representation in Press Council?

श्री धर्मवीर सिंह : "समाचार भारती" में हुई अनियमितताओं का सरकार को पता है परंतु क्योंकि इसमें राज्य सरकारों के 75 प्रतिशत शेयर हैं इसलिये केन्द्र सरकार इसके कार्य करण में हस्तक्षेप नहीं करती जिससे कि यह आरोप न लगाया जाये कि हम आन्तरिक मामलो में हस्तक्षेप कर रहे हैं । सरकार द्वारा 'समाचार भारती' को सुधारने क लिए प्रयास किया जाएँगे ।

जहां तक समाचार पत्रों के समाचारों का संबंध है कांग्रेस दल भी इससे प्रभावित हुआ है । हमारे दल की सरकार की जरा जरा सी गलतियों को पिछले कुछ वर्षों से बढ़ा-चढ़ा कर दिखाया जा रहा है ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाये" ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted.

इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी (प्रबन्ध ग्रहण) संशोधन अध्यादेश का निरनुमोदन करनें संबंधी सांविधिक संकल्प और इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी (प्रबन्ध ग्रहण) संशोधन विधेयक

STATUTORY RESOLUTION RE. DISAPPROVAL OF INDIAN IRON AND STEEL COMPANY (TAKING OVER OF MANAGEMENT) AMENDMENT ORDINANCE AND INDIAN IRON AND STEEL COMPANY (TAKING OVER OF MANAGEMENT) AMENDMENT BILL

Shri Madhu Limaye (Banka) : The management of the Indian Iron & Steel Company was initially taken over for a period of two years. At that time the production of the company had gone down to as low as 27 percent. Hence Government should have visualised that it may not be possible to set right the affairs of the company in a short a period of tow years. Perhaps the Government does not have any long term policy. This affair is not going to be solved in 3 years time and Government would have again to take recourse to ordinance and legislation. Hence when it is being taken over it should be taken over permanently.

Government should have placed before the House the details about the steps taken by them to improve production, improve labour relations, improve financial positions as also The steps taken about modernisation of the company etc. Previously there used to be complaints about the sale of scrap. May I know what new method has been evolved to stop malpractices in this regard?

Steel is a product which is needed most for industrialisation as well as increasing agricultural production. Therefore, its use needs regulation It should be used only for those pruposes which are essential in public interest. To-day multistoreyed buildings are being constructed which consume more Steel and Cement. This is a misuse of these items and should not be allowed.

Public distribution system with regard to steel has loop-hole. The steel quotas allocated to firms has been found to have been sold in back market. What machinery has been devised to keep a watch over the distribution system ?

There was a controversy about recruitments in IISCO. May I know whether any new recruitment policy has been evolved since the take over of the company? When the company was in private sector, bribe used to be passed on to seek employment. May I know whether such malpractices had been stopped since its take over or not?

There was contract labour system in the company. This system should be abolished It would satisfy the labour and also provide an incentive to increase production. Then there has been controversy about the appointment of chairman of the company. I feel that Government should not interfere with the appointments and transfer in the company. Selections should be made on the basis of merit and principles and not on the basis of influence or pressure.

इस्पात और खान मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी (प्रबंध-ग्रहण) अधिनियम, 1972 का संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पास किये गए रूप में, विचार किया जाये।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी (प्रबंध-ग्रहण) अधिनियम, 1972 का संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पास किए गए रूप में, विचार किया जाये।"

श्री सोमनाथ चटर्जी (बर्दवान) : सभापति महोदय, यह उपाय बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी का देश के इस्पात क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इस कम्पनी का सरकार द्वारा प्रबन्ध संभालने के निर्णय की घोषणा करते हुए स्वर्गीय इस्पात मंत्री ने कहा था कि इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी उत्पादन में बढ़ती हुई कमी को रोकने में असमर्थ रही है और उद्योग के आधुनिकीकरण और विस्तार के लिए योजनाओं की तत्काल क्रियान्विति की ओर इस कम्पनी ने कोई ध्यान नहीं दिया।

यह बात मेरी समझ से बाहर है कि प्रबन्ध-ग्रहण अवधि के दो वर्षों के भीतर सरकार कम्पनी के कार्यकरण में सुधार किस प्रकार ला सकती है। अब इस अवधि को तीन वर्ष और बढ़ाने के लिए वर्तमान विधेयक लाया गया है। परन्तु यह समय भी पर्याप्त नहीं है। मंत्री महोदय कृपया स्पष्टीकरण दें कि क्या तीन वर्ष की अवधि पर्याप्त है। सरकार यह पहले ही जानती थी की दो वर्ष का समय पर्याप्त नहीं होगा। फिर अध्यादेश जारी करने के बजाय सरकार ने विधेयक क्यों नहीं पेश किया। अध्यादेश जारी करते समय उसके कारणों का भी उल्लेख करना होता है। लेकिन सरकार ने प्रबन्धक वर्ग में परिवर्तन करने के औचित्य के बारे में एक भी शब्द नहीं कहा। सरकार अवधि बढ़ाने की आढ़ में मूल अधिनियम के प्रबन्ध सिद्धान्तों में आमूल चूल परिवर्तन करना चाहती है।

राज्य-सभा में पेश किए गये विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के विवरण में कहा गया था कि अभिरक्षक और परामर्शदात्री बोर्ड की नियुक्ति संतोषजनक नहीं है। इसलिए बढ़ी हुई अवधि में प्रबन्धक बोर्ड का गठन किया जाएगा। अध्यादेश जारी करने के कारणों के बारे में एक भी शब्द नहीं किया गया। सरकार द्वारा कम्पनी का प्रबन्ध-ग्रहण करने का उद्देश्य यह था कि कुशल और बुद्धिमान प्रबन्धकों को कम्पनी में लगाया जाए ताकि स्थिति में सुधार हो सके। लगता है सरकार अपने उद्देश्य को भूल गई है।

अभिरक्षक और परामर्शदात्री बोर्ड की नियुक्ति से कम्पनी के उत्पादन में वृद्धि हुई है। पहली बार भर्ती संबंधी नीति बनाई गई है। इस से पूर्व प्रबन्धकों के संकेत पर भर्ती की जाती थी। 'स्क्रैप' की बिक्री भी 80 लाख रुपये से बढ़कर 1.41 करोड़ हो गई है। इसके अतिरिक्त कम्पनी का सिनेमा 700 रुपये प्रति माह पट्टे पर दिया जाता था परन्तु अभिरक्षक के कार्यकाल में यह सिनेमा 5,500 रुपये प्रति माह के पट्टे पर दिया गया है।

मैं कुछ तथ्य भी सदन के सामने रखना चाहता हूं। इस्पात मंत्री ने स्वीकार किया है की अभिरक्षक श्री राय ने भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए प्रयत्न किए हैं और नीलाम-प्रणाली को सुव्यवस्थित बनाया। श्री राय से पूर्व भर्ती करने की कोई सुव्यवस्थित प्रणाली नहीं थी। श्री राय ने नई भर्ती नीति बनाई।

परन्तु सरकार ने उनकी सेवाओं की सराहना करने की बजाय अध्यादेश जारी करके उन्हें नौकरी से ही निकाल दिया। अध्यादेश जारी करने से पूर्व उन्हें त्याग-पत्र तक देने के लिए नहीं कहा गया। सरकार महत्वपूर्ण कम्पनी के अभिरक्षक के साथ ऐसा व्यवहार करके प्रबन्ध-ग्रहण को संगत नहीं ठहरा सकती। सरकार ने यह बहाना बनाकर कि श्री

राय के एक सहयोगी का कार्य संतोषजनक नहीं था, सरकार ने कम्पनी को अपने हाथ म ले लिया । परन्तु यह बहाना दिल्ली के नौकरशाहों द्वारा बनाया गया था । सरकार का वास्तविक उद्देश्य श्री राय को बलि का बकरा बनाना था ।

मैं जानना चाहता हूं कि प्रबन्ध में प्रस्तावित परिवर्तन से सुधार किस प्रकार होगा । पूर्ण कालिक अभिरक्षक के स्थान पर अंशकालिक प्रशासक इस महत्वपूर्ण संस्था के कार्यकरण में किस प्रकार सुधार ला सकता है । वह प्रशासक हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड तथा सेलम संयंत्र का चैयरमैन भी है । एक अधिकारी इतनी संस्थाओं को एक साथ कैसे संभाल सकता है ? शायद इस अधिकारी को भी इस्पात क्षेत्र से निकालने के लिए बहाना ढूंढ़ा जा रहा है ।

स्टील अथारिटी आफ इण्डिया का गठन करते समय यह कहा गया था कि यह कम्पनी उद्योग के विकास के लिए लचीले साधन के रूप में कार्य करेगी । इसके गठन का उद्देश्य लौह तथा इस्पात क्षेत्र के लिए सही विचारधारा तथा दिशा प्रदान करना तथा एककों को विस्तृत निदेश देना था । परन्तु मशहूर समाचार-पत्र 'दि हिन्दु' में प्रकाशित समाचार के अनुसार गत ड़ेढ़ वर्षों में उत्पादन सुधारने के लिए ठोस कार्यवाही नहीं की गई । लक्ष्य-प्राप्ति की बातें ही होती रही । कोई व्यवहारिक कार्य नहीं किया गया ।

[श्री जगन्नाथराव जोशी पीठासीन हुए ।
SHRI JAGANNATHRAO JOSHI *in the Chair*]

स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड ने वर्तमान प्रबन्धकों के कार्य-काल के दौरान संतोषजनक कार्य नहीं केवल यह लिमिटेड नौकरशाहों की उंगलियों पर नाचती रहीं । इसने विभिन्न एककों के लिए हानिकारक प्रतिस्पर्धा का वातावरण उपस्थित किया । एककों को स्वायत्तता देने की बजाय उन पर कड़ा नियन्त्रण रखा जा रहा है । उत्पादन न बढ़ने पर इस्पात के मूल्य में वृद्धि कर दी गई ।

एक ओर देश में महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं के लिए इस्पात की कमी है, दूसरी ओर संयंत्रों में इस्पात का भंडार जमा है । एक संयंत्र में तो एक समय 5 लाख टन इस्पात इकट्ठा हो गया और इसका निर्यात करने का निश्चय तक ले लिया गया । 54 लाख टन इस्पात उत्पादन का लक्ष्य रखा गया था परन्तु अब यह आंकड़े घटाकर 43 लाख टन कर दिए गए है । यह आंकड़े वर्ष 1972 के आंकड़ों से भी कम है ।

श्री के० डी० मालवीय ने स्वयं कहा है कि होल्डिग कम्पनियों पर काफी बोझ आ पड़ा है और इसलिए प्रत्येक एकक की जिम्मेदारी संभालनी होगी । हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड का भी तीन हिस्सों में बांटने का प्रस्ताव है । भिलाई, रूरकेला और दुर्गापुर संयंत्र के लिये तीन संगठन बनाने के लिए विचार किया गया है । इसके लिए तर्क दिया गया है कि एकक निर्णय लेने के मामले में स्वायत्त हो सकेंगे और इससे लाभप्रद प्रतिस्पर्धा का वातावरण उत्पन्न होगा । वास्तविकता तो यह है कि एककों को स्वायत्तता देने की बजाय सरकार अपने हाथ में अधिक से अधिक शक्ति लेना चाहती है । स्टील अथारिटी आफ इण्डिया उद्योग के क्षेत्र में संघीय ढ़ांचा बनाने में असमर्थ रही है और कोयले, बिजली, परिवहन तथा इस्पात उद्योग में अव्यवस्था उत्पन्न कर रही है ।

मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि गठित किये जा रहे प्रबन्ध बोर्ड द्वारा अच्छा कार्य कैसे सम्भव होगा और सलाहकार बोर्ड तथा अभिरक्षक के होने से किन किन कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है । मंत्री महोदय को इस बात का आश्वासन देना चाहिये कि ऐसा देश के हित में किया गया है । गठित प्रबन्ध बोर्ड के सदस्यों को क्या कार्य सौंपे जायेंगे और उन्हें दिल्ली से कौन से मार्गदर्शन दिये जायेंगे । आप यह जानने का प्रयास

[श्री सोमनाथ चटर्जी]

करें कि श्रमिकों का सच्चा प्रतिनिधि कौन है । श्रमिकों की समस्याओं पर ध्यान दिया जाना चाहिये । भर्ती के लिये उचित नीति अपनायी जानी चाहिये । मंत्री महोदय को इन सब बातों की ओर ध्यान देना चाहिये ।

सरदार स्वर्णसिंह सोखी (जमशेदपुर) : मैंने भारतीय आयरन एण्ड स्टील अधिनियम के लिये चार संशोधनों का सुझाव दिया था । मुझे आश्चर्य है कि अब और तीन वर्ष की अवधि बढ़ाने की अनुमति मांगी जा रही है ।

इस्पात मंत्री का यह कहना गलत है कि इंडियन आयरन एंड स्टील कम्पनी लिमिटेड, बर्नपुर की स्थापना 50 वर्ष पहले हुई थी ।

1972 में जब इंडियन आयरन एंड स्टील कम्पनी को अपने अधिकार में करने के लिये विधेयक लाया गया था तो मैंने आपत्ति की थी कि इसे दो वर्ष तक अपने अधिकार में न लिया जाए । मैंने कहा था कि इसका लोकहित में सीधे ही राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिये । किंतु इस्पात मंत्री ने मेरी बात नहीं सुनी थी । मैं इस वक्तव्य से सहमत नहीं हूं कि बर्नपुर स्थित इस्पात संयंत्र को अपने हाथों में इसलिये लिया जा रहा है क्योंकि कुछ वर्षों से इस संयंत्र की स्थिति बिगड़ती जा रही है ।

इस्पात संयंत्र में भी अन्य उद्योगों की तरह सुप्रबन्ध व्यवस्था तथा अच्छे श्रमिक सम्बन्धों का होना आवश्यक है । नौकरशाही द्वारा उपक्रमों को चलाने से अधिक सुधार नहीं होगा । इसको अपने हाथ में लेने के बाद लगभग 10 करोड़ रुपये व्यय हो गये हैं । लेकिन फिर भी उत्पादन में गिरावट आयी है । इसके क्या कारण हैं ? इसे अपने हाथ में लेने के बाद सरकार ने कैसा पुनर्गठन किया है और क्या सुधार किये हैं । अधिक धन और समय नष्ट करने के बजाय इस संयंत्र का तुरन्त राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिये । प्रबन्धक बोर्ड के लिये श्रमिकों में से एक सदस्य नामित किया जाना चाहिये ।

***श्री ई० आर० कृष्णन्** (सलेम) : सरकार ने इंडियन आयरन एण्ड स्टील कंपनी के प्रबन्धक को आरम्भ में दो वर्ष के लिये अपने हाथ में लिया था जिसकी अवधि 14 जुलाई 1974 को समाप्त होनी थी । इस पर भी राष्ट्रपति ने 28 जून, 1974 को अध्यादेश जारी कर दिया है ।

सरकार द्वारा अंतिम समय अध्यादेश जारी करने की यह कार्यवाही आपत्तिजनक है ।

इंडियन आयरन एंड स्टील कम्पनी का राष्ट्रीयकरण करने वाला विधेयक अभी तक पेश नहीं किया गया है । मंत्री महोदय ने राज्य सभा में कहा है कि इसके अंशधारियों की संख्या बहुत बड़ी है और इस वित्तीय संकट के समय अंशधारियों को भुगतान करने के लिये सरकार के पास संसाधन नहीं है । इस सम्बन्ध में मेरा एक सुझाव है । सरकार ने हाल में अनिवार्य निक्षेप के लिये कानून बनाया है जिसके आधार पर अंशधारियों को दी जाने वाली राशि अनिवार्य निक्षप में जमा की जा सकती है । अतः सरकार इंडियन आयरन एंड स्टील कम्पनी का तुरन्त राष्ट्रीयकरण कर सकती है । इस कम्पनी के तत्कालीन प्रबन्धकों को मुआवजा देने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

यदि हम इस्पात का उत्पादन पर्याप्त मात्रा में बढ़ाना चाहते हैं तो इस कम्पनी का राष्ट्रीयकरण करने के लिए सरकार को इसी सत्र में विधयक लाना चाहिये ।

---

*तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर ।

*Summarised translated version based on english translation of the speech delivered in Tamil.

श्री वसन्त साठे (अकोला) : किसी कम्पनी को थोड़ा थोड़ा करके अपने अधिकार में लेने और फिर अवधि-बढ़ाने की मांगे करने की नीति एक घातक नीति है । मंत्री ने कहा है कि मशीनरी में जंग लगा हुआ है और कम्पनी की अस्तियों और शेयरों का लिखित मूल्य कुछ भी नहीं है । ऐसी स्थिति में इसका राष्ट्रीयकरण क्यों नहीं किया जाता है ? सुप्रबन्ध, मशीनरी में पूंजी लगाने, उत्पादन बढ़ाने तथा श्रमिकों को प्रबन्ध व्यवस्था में शामिल करने आदि से लिए पूरी योजना तैयार की जानी चाहिए थी । हम समझते हैं कि आज हमारे सभी-इस्पात कारखाने यदि अपनी 75 प्रतिशत स्थापित क्षमता को उपयोग में लाय तो हम 700 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा बचा सकतें है ।

सब से महत्वपूर्ण बात श्रमिकों को प्रबन्ध व्यवस्था में शामिल करना है । हमें कार्मिक संघों के आपसी द्वन्द्व को समाप्त करना चाहिये । हमें कर्मचारियों को अवसर देना चाहिए कि वे दुकान के स्तर से लेकर प्रबन्धक स्तर तक अपने ही प्रतिनिधि चुनें । उनके प्रबन्ध व्यवस्था में आने के बाद ही हम उनसे यह कह सकते हैं कि उनके वेतन, उपलब्धियां और बोनस आदि उत्पादन के साथ जुड़ सकती है । हमें यह जिम्मेदारी उन्हीं पर डालनी चाहिए और कर्मचारियों को अपने विश्वास में लेना चाहिये । तभी वे कुछ कर सकते हैं ।

Shri Bhogendra Jha (Jainagar) : I am disappointed to see this Bill. The Government is only extending the period of taking of it instead of nationalising the same. This measure is far from expectations. In fact, Government should have taken a bold step by way of nationalising it. Government, if wants can nominate Shri Tata as Chairman of the Steel Authority of India but at the same time TISCO should also be nationalised.

सभापति महोदय : माननीय सदस्य अपना भाषण कल जारी रखे ।

इसके पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, 30 अगस्त, 1974/8 भाद्र 1896 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till eleven of the clock on Friday, August 30, 1974/*Bhadra* 8, 1896 (*Saka*).